खण्ड-188, अंक-1
मंगलवार, 26 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(17 सितम्बर, 1957 ई0)

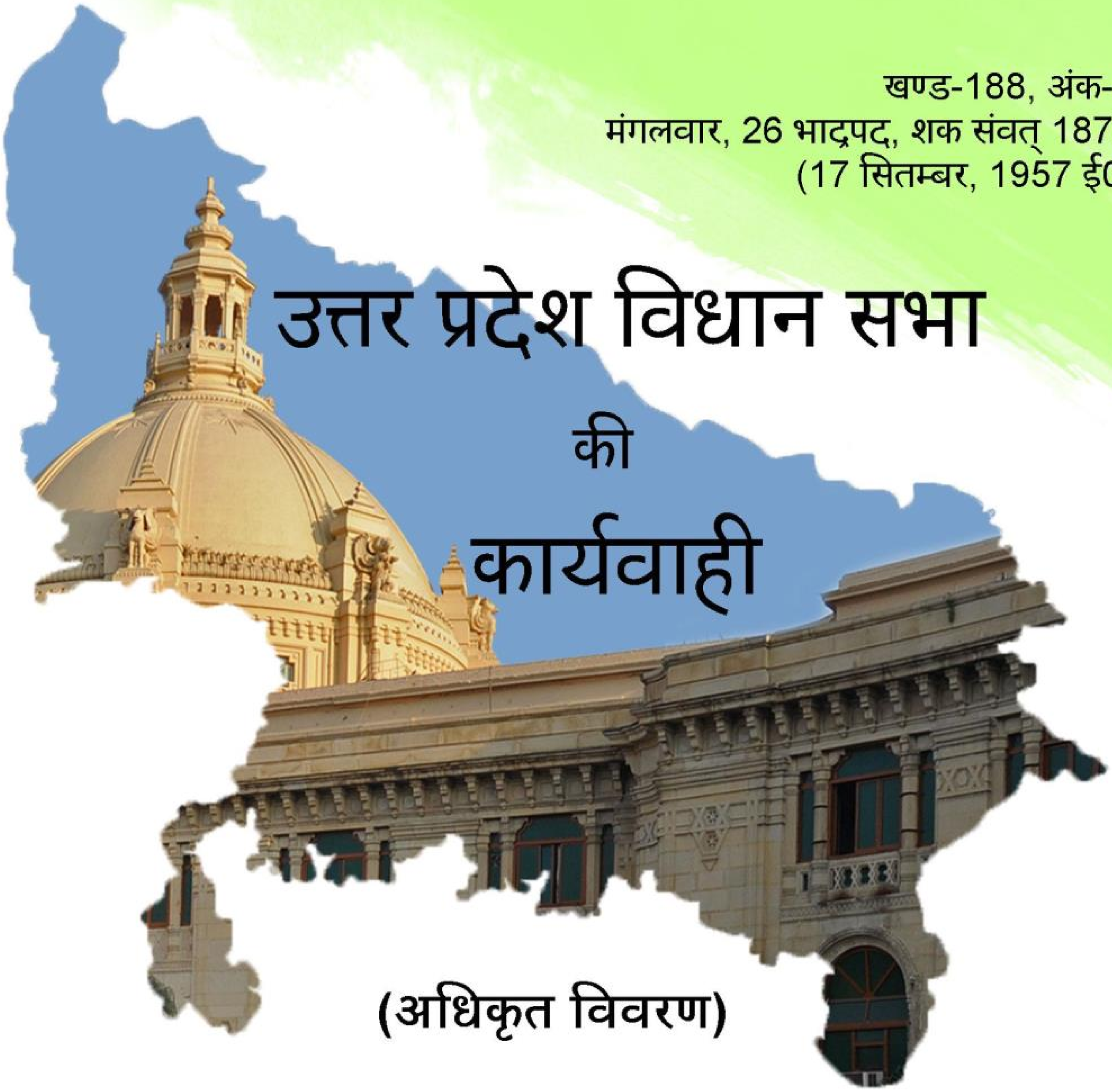

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 188 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश बृहत् जोत कर विधेयक, १९५७ (प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया)	३३–३४
विधान सभा प्रक्रिया नियमावली में प्रवर समिति द्वारा प्रस्थापित संशोधनों पर विचारार्थ समय निर्धारण की मांग	३४–३५
वर्तमान शासन प्रणाली की जांच करने के लिए कमीशन नियुक्त करने के सम्बन्ध में संकल्प (वापस लिया गया)	३५–५१
कानपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में संकल्प (विवाद जारी) ..	५१–७५
नातेथयां	७६–८४

विधान सभा प्रदेश प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १७ सितम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३२३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफ़री, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खज़ान सिंह, चौधरी
खमानी सिंह, डाक्टर
खयाली राम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री

छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वर प्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बूजवासी लाल, श्री
बूजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्र रिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपाल सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकान्त सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षणतिवारी, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, श्री वैद्य
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी

लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगविहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी, श्रीमती
सियाबुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

माल उपमन्त्री, श्रीपरमात्मानन्दसिंह, भी उपस्थित थे।

अनुवाद एवं संसदीय कार्य

मंगलवार, १७ सितम्बर, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अशोक मेहता खाद्यान्न समिति के सम्बंध में केन्द्रीय सरकार से परामर्श

**१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार ने पूर्वी जिलों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्य स्थिति में सहायता आदि (relief) के प्रश्न को अशोक मेहता खाद्यान्न समिति (Ashok Mehta Food grains Enquiry Committee) के पास भेजे जाने हेतु केन्द्रीय सरकार को लिखा है ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)— जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने श्री त्रिलोकी सिंह जी को हाल ही में जो पत्र लिखा था उसमें यह भी लिखा था कि अशोक मेहता समिति को यह खाद्यान्न के सम्बन्ध में जो प्रश्न है इसके रेफरेंस के लिये केन्द्रीय सरकार से मुख्य मंत्री जी की कान्फ्रेन्स है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां। मैंने लिखा था और केन्द्रीय खाद्य मंत्री से मुझसे बातचीत भी हुई थी इस विषय में कि यदि वह इस मामले को उस कमेटी के टर्म्स ऐण्ड रेफरेंस में शामिल कर दें तो मुझे कोई आपत्ति न होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सम्बन्ध में अब क्या प्रगति हुई है और कन्द्रीय सरकार ने क्या उन्हें अपने किसी निश्चय की सूचना दी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लिख कर मेरे पास कोई सूचना नहीं आयी, लेकिन मुझसे जो बातचीत हुई थी उस से मैंने समझा कि उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में इसको शामिल कर दिया गया होगा। लेकिन कल माननीय त्रिलोकीसिंह जी की बात-चीत से मुझे ऐसा मालूम हुआ कि शायद वह ऐसा नहीं कर सके हैं। उनको हमारी तरफ से किसी खत या सूचना का इंतिजार है। यदि ऐसा है तो मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का विचार उन्हें कुछ लिख कर अधिकृत रूप से भेज देने का है अथवा उन्होंने कोई और निश्चय किया है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसका उत्तर दिया जा चुका है।

अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में लगान में छूट देने के लिए प्रार्थना

**२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार पूर्वीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों के अभावग्रस्त इलाकों में १२ आना आम लगान पर छूट देने का विचार कर रही है ?

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्द सिंह)—रुपये में १२ आने की छूट देने का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है। मालगुजारी में छूट हानि की मात्रा पर नियमानुसार दी जाती है, और इस तरह इन क्षेत्रों में भी दी जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि नियमानुसार जो छूट दी जा रही है वह किस जिले में कितनी छूट नियमानुसार रुपये पीछे दी गई ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—इसमें तो प्रत्येक जिले का ब्यौरेवार उत्तर देना होगा। नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पूर्वी जिलों का कोई ऐसा क्षेत्र है कि जहां १२ आने की छूट दी गई हो ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या यह सही है कि बस्ती जिले के जिलाधीश ने सरकार के पास रबी की फसल में १२ आने तक की छूट के लिये लिखा था ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---इसकी सूचना इस समय तो मेरे पास यहां नहीं है, जो हुई है उसकी सूचना दी गई है।

बाराबंकी जिले में हैजे की रोकथाम के उपाय

**३---नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी शहर तथा जिले में हैजे का प्रकोप बढ़ा हुआ है ? यदि हां, तो उसकी रोकथाम के लिये क्या प्रबन्ध हो रहा है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)---११ तारीख से शहर या देहात कहीं से किसी मृत्यु की सूचना नहीं है। अब भी लोगों के टीके लग रहे हैं और मकानों और कुओं का Dis-infection हो रहा है और अतिरिक्त कर्मचारी रोकथाम में लगे हैं।

**४---श्री नत्थाराम रावत---उक्त जिले में हैजा रोग से अब तक कितने मनुष्य बीमार पड़े, उनमें कितने मरे तथा हैजा फैलने के पहले किन-किन बातों का प्रबन्ध हैजा न फैलने देने के लिये किया गया था ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---बाराबंकी जिले में अब तक हैजे तथा अतिसार से कुल १४५५ व्यक्ति बीमार हुये और उनमें से ५५१ मरे। निम्नलिखित उपाय रोकथाम के लिये किये गये :

१---लगभग साढ़े तीन लाख टीके लगाये गये।

२---२३,५०८ कुएं निःसंक्रामीकरण (Disinfect) हुए।

३---८१४० घरों का निःसंक्रामीकरण (Disinfect) किया गया।

४---Epidemic Diseases Regulations लागू हुए।

श्री नत्थाराम रावत---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो टीके लगाये गये हैं उनमें कितनी संख्या देहात की है और कितनी शहर की ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---शहर की १४,२१३ और देहात की ३,३०,३९६ है।

श्री नत्थाराम रावत---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो संख्या मृत्यु की बतलायी गयी है उसमें कितनी देहात की और कितनी शहर की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---शहर में ५१ मरे और देहात में ५००।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---ये टीके हैजा फैलने के बाद लगे या हैजा फैलने के पहले ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पहले कोई लगवाता नहीं है। जब खतरा आता है तब सभी तैयार हो जाते हैं।

तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद नगरपालिका के चुंगी कार्यालय का स्थानान्तरण पर विचार

*१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद नगरपालिका चुंगी विभाग सदर तथा म्युनिसिपल मार्केट जो बाजार में है, की इमारत को तुड़वा कर वह दूसरी इमारत बनाना चाहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—वापसी चुंगी प्रणाली के लागू होने से आक्ट्राय विभाग के कुछ कर्मचारी फालतू हो गए एवं उसके फलस्वरूप चुंगी भवन का भी कुछ स्थान फालतू हो गया। अतः नगरपालिका नगर नियोजक से परामर्श लेते हुए यह विचार कर रही है कि इस भवन को आवश्यक सुधार के पश्चात् किसी लाभप्रद कार्य के लिए दे दें तथा कार्यालय को अन्य स्थान पर हटा दे।

*२-३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—[१३ सितम्बर, १९५७ को प्रश्न ४-५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*४-५—श्री वीरेंद्रवर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २४ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*६-८—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—[१ अक्तूबर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

*९-११—श्री रामसुन्दर पांडेय—[१ अक्तूबर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

*१२—श्री नारायणदत्त तिवारी—[१० अक्तूबर, १९५७ के लिए प्रश्न ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

खाद्यान्नों के रिजर्व स्टाक में चावल की कमी

*१३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खाद्यान्नों (food grains) का कितना रिजर्व-स्टाक यू० पी० सरकार का अपना Reserve रखा हुआ है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—राज्य सरकार के गोदामों में ३१ अगस्त, १९५७ को वितरण के लिये खाद्यान्नों का कुल स्टाक निम्नलिखित था :-

	टन
गेहूं	३७,०४५
चावल	२२
मोटा अनाज	५३,४४३

इसके अतिरिक्त कोई रिजर्व स्टाक नहीं था, परन्तु ४०,००० टन गेहूं अगस्त तथा सितम्बर के कोटे का पोर्ट से आने को बाकी था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इसका कारण बतलायेंगे कि चावल का जो रिजर्व स्टाक है वह २२ टन ही क्यों रखा गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं समझता हूं कि बहुत सा स्टाक ऐसा है जो केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होता है और कुछ प्रदेशीय सरकार द्वारा भी खरीदा गया है। तो चावल न तो केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुआ और न प्रदेशीय सरकार द्वारा लिया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या चावल की विशेष कमी को देखते हुए राज्य सरकार चावल का रिजर्व स्टाक बनाने का विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जैसा कि अभी तक की सूचनाओं से ज्ञात है चावल की विशेष कमी नहीं है। यह जरूर है कि चावल का भाव कहीं-कहीं पर अधिक है। पूर्वी क्षेत्रों में जो हाल ही में फसल हुई है उसमें, जैसी सूचना प्राप्त हुई है, चावल की विशेष कमी रहेगी ऐसी आशा नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि राज्य सरकार के गोदामों में रिजर्व स्टाक गेहूं, चावल और मोटे अनाज का जो बतलाया गया है, यह राज्य सरकार का अपना ही है या केन्द्रीय सरकार का भी उसमें शामिल है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं उनके प्रश्न को बहुत साफ तो नहीं समझ पाया लेकिन यदि माननीय सदस्य महोदय का प्रश्न यह है कि जो इस समय हमारे पास स्टाक है वह हमारा है या केन्द्रीय सरकार का है ? इस समय केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ गेहूं है जो राज्य सरकार के पास है।

श्री व्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि चावल का जो स्टाक है वह देहाती क्षेत्र में नहीं भेजा जाता है ?

श्री अध्यक्ष—उत्तर में स्टाक केवल २२ ही टन बताया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि चावल का रिजर्व स्टाक न होने के कारण फेयर प्राइस शाप्स में चावल भेजा नहीं जाता ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, यह सही है कि फेयर प्राइस शाप्स में चावल का स्टाक सरकार की तरफ से नहीं भेजा जाता ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—सरकार के गोदामों में क्या प्रदेश से खरीदा हुआ खाद्यान्न है या आयात किया हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जवाब में कहा है कि कुछ केन्द्रीय सरकार ने दिया। तो प्रान्त के बाहर का भी है।

नैनीताल जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें

*१४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल जिले में सरकारी सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें खोली गई हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—नैनीताल जिले में सस्ते गल्ले की १४ दुकानें चल रही हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—ये दूकानें कहां-कहां खोली गई हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सूचना की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि ये गल्ले की दूकानें अभाव-ग्रस्त इलाकों में देहात में नहीं खोली गई हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह बात गलत है। जहां आवश्यकता है वहीं खोली गई हैं।

बलिया जिले में सड़कों की निर्माण-योजना

*१५—श्री रामनाथ पाठक (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में कौन-सी सड़कें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्माण विभाग द्वारा पक्की की जायेंगी और कितने मील नई सड़कें बनायी जायेंगी ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७६ पर ।)

श्री रामनाथ पाठक—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बलिया जिले की फीडर रोड्स भी रखी गई हैं ?

श्री गिरधारीलाल—जो सूची में हैं वही रखी गई हैं । दूसरी नहीं हैं ।

उजियारघाट ग्रुप आफ फेरीज का ठेका

*१६—श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उजियारघाट ग्रुप आफ फेरीज का प्रबन्ध जिला बोर्ड के हाथ से निकलने के बाद से अब तक कुल आमदनी कितनी हुई है और जिला बोर्ड को कुल कितना रुपया दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—लगभग ६ लाख रुपये की आय हुई और जिला बोर्ड को अब तक कुल ११,८८१ रु० १ आना ६ पाई इसमें से दिया गया है । इसके अतिरिक्त जिला बोर्ड को ६०,००० रु० का अनुदान भी दिया गया है ।

श्री रामलक्षण तिवारी—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस घाट का अन्य पी० डब्ल्यू० डी० के घाटों की भांति ठेका क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री गिरधारीलाल—वास्तव में वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर की ऐडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से राय है कि पी० डब्ल्यू० डी० को स्वयं ही इसका इन्तजाम करना चाहिये ।

श्री रामलक्षण तिवारी—क्या सरकार ने कभी इसका ठेका देने के लिये टेंडर मांगे थे ?

श्री गिरधारीलाल—जिस समय टेंडर मांगे गये उसी समय वहां के ऐडमिनिस्ट्रेटर्स की राय जो मैंने अभी बताई, आई थी ।

श्री रामलक्षण तिवारी—क्या समय-समय पर विभागीय प्रबन्ध के विरुद्ध शिकायतें आती रही हैं कि वहां पर टोल पूरा नहीं वसूल किया जाता है और उसमें चोरियां हो रही हैं ?

श्री गिरधारीलाल—मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है ।

*१७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[१ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[स्थगित किया गया ।]

बलिया जिले की सिकन्दरपुर टाउन एरिया की ओर से सहायतार्थ प्रार्थना-पत्र

*१९—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दरपुर टाउन एरिया (बलिया) को पिछले ५ वर्ष के अन्दर किसी तरह की सरकारी आर्थिक सहायता दी गई है ?

स्वशासन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—जिला बलिया की सिकन्दरपुर टाउन एरिया को स्वशासन विभाग से कोई आर्थिक सहायता पिछले पांच वर्षों में नहीं दी गई ।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले ५ वर्षों में सिकन्दरपुर टाउन एरिया की ओर से सहायता मांगने का कोई प्रार्थना-पत्र आया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। जरूर आया होगा, लेकिन धन न होने के कारण टाउन एरियाज को बहुधा धन नहीं दिया जा सकता है।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सिकन्दरपुर टाउन एरिया की आर्थिक स्थिति पर विचार करते हुये सरकार उसकी सहायता करने पर विचार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस सुझाव के लिये धन्यवाद है, लेकिन सभी टाउन एरियाज की ऐसी स्थिति है और इस समय धन नहीं दिया जा सकता है।

*२०-२२—श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)—[१ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

बुलन्दशहर जिलान्तर्गत कुलेसरा में हिन्डन नदी पर पुल बनाने की योजना

*२३—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बादरी सूरजपुर बरौला छलरा रोड पर जिला बुलन्दशहर में हिन्डन नदी पर कुलेजरा नामक स्थान पर पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक प्रारम्भ की जा सकेगी ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। स्वीकृति मिलने पर अंतिम कार्यवाही की जायगी।

*२४—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस पुल पर कुल कितना व्यय होगा ?

श्री गिरधारीलाल—लगभग ६ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार से इस पुल के संबंध में कब लिखा-पढ़ी हुई और कब तक वह इसकी आशा करते हैं ?

श्री गिरधारीलाल—इसी वर्ष लिखा गया था और मुझे उम्मीद है कि इसी वर्ष इसका जवाब आ जावेगा।

फैजाबाद जिले में सड़कों की निर्माण-योजना

*२५—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने मील और कौन-कौन सड़कें पक्की की जायेंगी या आधुनीकृत होंगी ?

श्री गिरधारीलाल—यह सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७७ पर)

*२—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—[हटा दिया गया।]

*२७—श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—[३० सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२८-२—श्री हरदयालसिंह पिपल—[१ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में कुआनो नदी पर लालगंज का पुल बनवाने की प्रार्थना

*३०—श्री रामलाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार लालगंज, तहसील बस्ती, जिला बस्ती में कुआनो नदी पर पुल बनवाने का विचार रखती है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं, यह पुल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है।

श्री रामलाल—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि लालगंज में कुआनो नदी पर पुल न होने से घाघरा और कुआनो नदियों के बीच के निवासियों को वर्षाकाल में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

श्री गिरधारीलाल—जहां पुल नहीं हैं वहां सभी जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

श्री रामलाल—क्या मंत्री जी वहां के निवासियों की कठिनाई को देखते हुए कुआनो नदी पर पुल बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—इसी के नजदीक १५ मील के फासले पर मुखलिसपुर पर एक पुल बन रहा है। थोड़े ही फासले पर २,३ पुल नहीं हो सकते।

*३१—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—[१ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

बद्रीनारायण मार्ग में जोशीमठ तक मोटर यातायात के लिए सड़क

*३२—श्री बलदेवसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बद्रीनारायण मार्ग में जोशीमठ तक सड़क मोटर यातायात के लिए कब तक बन जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—बेलाकूची में पुल को छोड़कर जोशीमठ तक मोटर मार्ग जून १९५८ तक हो जाने की आशा है।

*३३—श्री बलदेवसिंह—क्या उसके आगे बद्रीनारायण तक भी सड़क निर्माण होने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

श्री बलदेवसिंह—क्या यह सही है कि इस सड़क का जोशीमठ तक पहुंचने का लक्ष्य सन् १९५६ में था ? यदि हां, तो क्यों २ वर्ष पिछड़ गया ?

श्री गिरधारीलाल—१९५६ में इसका कोई लक्ष्य नहीं था।

श्री बलदेवसिंह—क्या बेलाकूची का पुल इस साल नहीं बन रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—अगर इस वर्ष स्टील वगैरह मिल गया तो उम्मीद है कि इसी वर्ष बन जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि इस सड़क को केन्द्रीय सरकार ने नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया है और बद्रीनाथ तक मोटर रोड बनाने के लिये पैसा देने को भी कहा है ?

श्री गिरधारीलाल—यह ठीक नहीं है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या यह सही है कि पिछले सप्ताह पी० डब्ल्यू० डी० की मोटर पुल से पार करके जोशीमठ तक पहुंच गई है ?

श्री गिरधारीलाल--हां, सरकारी कर्मचारी जो इस सड़क पर काम कर रहे हैं उनकी जीप आगे पहुंची है ।

श्री बलदेवसिंह--यह सड़क केवल जोशीमठ तक जावेगी या आगे भी ?

श्री गिरधारीलाल--फिलहाल जोशीमठ तक ही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बद्रीनाथ की मोटर सड़क की राष्ट्रीय आवश्यकता को देखते हुये केन्द्रीय सरकार को लिखने का विचार कर रही है कि इसे नेशनल हाई वे डिक्लेयर कर दिया जाय ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं ।

जालौन जिले में पहूंज नदी पर पुल बनवाने की प्रार्थना

*३४--श्री गरीबदास (जिला जालौन)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यमुना-बेतवा व पहूंज नदियों से घिरे हुये जालौन जिले में आवागमन की सुविधा के लिये पुल निर्माण करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उस योजना पर कब तक अमल शुरू हो जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल--जालौन जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पहूंज नदी पर कोंच नदी गांव सड़क पर एक पुल बनाने का प्रस्ताव है । योजना अवधि में ही इस पुल का निर्माण आरम्भ किया जायेगा ।

श्री गरीबदास--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस पुल को बनवाने में कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री गिरधारीलाल--३ लाख रुपया ।

श्री गरीबदास--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इसके अतिरिक्त यमुना और बेतवा नदियों पर भी पुल बनवाने का विचार है ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं, कोई विचार नहीं है ।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह जानते हैं कि कालपी नदी पर पुल न बनने के कारण जनता को बहुत बड़ा कष्ट है ?

श्री गिरधारीलाल--मैंने पहले भी कहा था कि जहां पुल नहीं हैं वहां कष्ट अवश्य होता होगा ।

*३५--श्री गरीबदास--[१ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

हमीरपुर जिले के आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को नियुक्त करने वाली समिति

*३६--श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिले में आनरेरी तथा स्पेशल मैजिस्ट्रेटों की कचहरियों में कुल कितने मुकदमें पिछले वर्ष फैसल हुए ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--१६० मुकदमे फैसल हुए ।

*३७--श्री रामगोपाल गुप्त--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इनको नियुक्त करने की कोई कमेटी है ? यदि हां, तो इस कमेटी में कौन-कौन सदस्य हैं और इस कमेटी की बैठक कब से नहीं हुई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां। इस कमेटी में निम्नलिखित सदस्य हैं और इसकी बैठक ४ अक्टूबर, १९५२ से नहीं हुई —

१—जिलाधीश,

२—सेशन्स जज,

३—श्री गणेश विनायक बाझे, प्रेसीडेन्ट जिला कांग्रेस कमेटी,

४—श्री मन्नी लाल गुरदेव,

५—श्री श्रीपति सहाय जी,

६—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, एम० एल० ए०,

७—श्री जोरावर जी,

८—श्री अहमद खां, उपाध्यक्ष, म्युनिसिपल बोर्ड,

९—श्री रामचन्द्र, एडवोकेट।

श्री रामगोपाल गुप्त—क्या सरकार यह बतायेगी कि इन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को कब मुकर्रर किया गया है तथा इन्होंने किस तारीख से अदालत में काम शुरू किया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसकी मेरे पास इस समय सूचना नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को मुकर्रर करने के लिये जो कमेटी मुकर्रर की गयी है, उसका कार्यकाल कितना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अभी कार्यकाल निश्चित नहीं है। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और नयी कमेटी भी शीघ्र ही बनायी जायगी।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान के अलावा किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के प्रधान भी इस कमेटी के सदस्य हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान होने के नाते उस कमेटी के सदस्य नहीं बनाये गये। वे एक स्थानीय विशिष्ट नागरिक होने के नाते उसके सदस्य बनाये गये हैं। इसलिये किसी और पार्टी के भी प्रेसीडेंट के इसमें होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बतायेगी कि जिस कमेटी के द्वारा आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स नियुक्त किये जाते हैं, उस कमेटी में कितने सदस्य नागरिकों की हैसियत से चुने जायेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय ३ अथवा ४ का प्रश्न है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश के हर जिले के विशिष्ट नागरिकों में जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री अथवा अध्यक्ष की व्यवस्था है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रत्येक जिले के सम्बन्ध में तो सम्भवतः यह ठीक नहीं है।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस कमेटी की मेम्बरशिप क लिए कोई क्वालिफिकेशन भी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---कुछ एम० एल० ए० सज्जन होते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ और विशिष्ट नागरिक ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १६० फैसले किस अवधि तक हुए हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सन् १९५६ में ये फैसले हुए हैं ।

*३८-४०---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)---[१ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४१---श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---[३० सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बस्ती जिले में श्रमिक बस्ती बनवाने की मांग

*४२---श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला बस्ती में श्रमिक-बस्ती बनवाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी नहीं । अभी तो ऐसा विचार नहीं है, लेकिन अगर जरूरत समझी गयी तो बाद में बनाये जा सकते हैं ।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बस्ती जिले में श्रमिकों की गिरती हुई दशा को देखते हुए तत्काल वहां श्रमिक बस्ती बनाने का विचार करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस प्रश्न के हल करते समय कई बातों पर विचार करना पड़ता है । एक तो कुछ धन का प्रश्न आता है, इसके अतिरिक्त दूसरा यह कि कहां अधिक आवश्यकता है, तीसरा एक बहुत बड़ा प्रश्न यह भी पैदा होता है कि जहां श्रमिक बस्ती बनायी जाय, वहां श्रमिक आकर रहने लगें । इन सब बातों पर विचार करके अन्त में निर्णय किया जाता है । बस्ती के सम्बन्ध में यह प्रश्न विचार किया जा सकेगा, ऐसी आशा है ।

गोरखपुर जिले के परगना तिलपुर में खरीफ के बीज का वितरण

*४३---श्री मदन पांडेय---गोरखपुर जिले के परगना तिलपुर में खरीफ का बीज कितने-कितने परिमाणों में सहकारी संघों तथा सरकारी बीज भंडारों की मार्फत वितरण हुआ ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---५,६०२ मन २७ सेर ८ छ० खरीफ का बीज सहकारी संघों तथा सहकारी बीज भंडारों के मारफत वितरण हुआ । इस परगने में कृषि विभाग का कोई सरकारी बीज भंडार नहीं है ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो बीज वितरण हुआ है, उसमें अधिक से अधिक एक व्यक्ति को कितना परिमाण दिया गया है, और कम से कम एक व्यक्ति को कितना परिमाण दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह बहुत ब्योरे का सवाल है, क्योंकि आपने कोई अलग-अलग व्यक्तियों के बारे में मूल सवाल तो पूछा नहीं था ।

श्री मदन पांडेय---क्या सरकार को मालूम है कि उस स्थान पर इतने बीज वितरण के बाद और भी मांग रह गयी है और इन मांगों के रहते हुये और भी सहकारी और सरकारी बीज भंडार बढ़ाने की कोई योजना है ?

श्री मोहनलाल गौतम--बीज की मांग तो अधिक है और अधिक रहती भी है, लेकिन हमको देखना पड़ता है कि कितना अच्छा बीज हम दे सकते हैं, क्योंकि हम खराब बीज देना नहीं चाहते इसलिये उसकी भी एक लिमिटेशन होती है।

श्री मदन पांडेय--क्या वहां कृषि विभाग की ओर से कोई बीज भंडार खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इस समय कोई बीज भंडार कृषि विभाग का नहीं है। यह प्रश्न कि कितने कृषि विभाग की ओर से बीज भंडार खुलें और कितने कोआपरेटिव विभाग की ओर से, यह प्रश्न अभी चल रहा है। हो सकता है कि सन् १९५८-५९ तक वहां कृषि विभाग की ओर से सीड स्टोर खुले।

श्री रामायण राय--क्या माननीय मंत्री जी रबी के बीज की कमी को देखते हुए रबी के बीज को इकट्ठा करने की कोई व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, कोशिश हो रही है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को गल्ला कितने दिनों के लिये दिया जाता है और किस ब्याज की दर पर दिया जाता है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जब बीज बोया जाता है उस वक्त दिया जाता है और जब फसल कट चुकती है तब लिया जाता है और वह सवाये पर दिया जाता है।

कानपुर विकास बोर्ड में हरिजनों की नियुक्तियां

*४४--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर विकास बोर्ड ने जनवरी सन् १९५६ से अब तक क्लर्क तथा इसके ऊपर के स्थानों में कुल कितनी नियुक्तियां की हैं ? उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--कानपुर विकास बोर्ड में जनवरी सन् १९५६ से लेकर अगस्त, सन् १९५७ तक क्लर्कों तथा इसके ऊपर के पदों पर कुल ६४ नियुक्तियां की गयीं, और इन में ८ हरिजन थे।

श्री मुरलीधर कुरील--क्या सरकार को मालूम है कि कानपुर विकास बोर्ड में संरक्षण के हिसाब से नियुक्तियां बहुत कम हो रही हैं ? उनको पूरा करने के लिये सरकार की तरफ से क्या प्रयत्न हो रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस बोर्ड में ४३ क्लर्कों की नियुक्तियां हुई थीं, उनमें ८ हरिजन लिये गये थे। बाकी २० टेक्निकल नियुक्तियां थीं, जिनमें हरिजनों के कोई प्रार्थना-पत्र नहीं थे, इसलिये मजबूरी थी, उसमें वह नहीं लिये गये।

खलीलाबाद में मुन्सफी के बारे में पूछताछ

*४५--श्री धनुषधारी पांडेय--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खलीलाबाद तहसील का कुछ भाग बांसगांव-गोरखपुर तथा कुछ भाग बस्ती की मुन्सिफी में लगा हुआ है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी नहीं। खलीलाबाद तहसील का पूरा भाग बस्ती में स्थित खलीलाबाद मुन्सफी के अन्तर्गत है।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बस्ती जिले के विधायकों ने माननीय मंत्री जी के पास एक आवेदन-पत्र दिया है कि खलीलाबाद के सेंट्रल स्थान होने के कारण और वहां से ट्रांसपोर्ट की दिक्कत को देखते हुये खलीलाबाद ही में मुन्सिफी कर दी जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---खलीलाबाद ही में वहां की मुन्सिफी है ।

पीलीभीत-बीसलपुर तथा पीलीभीत-पूरनपुर सड़कों पर खर्च का तखमीना

*४६---श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत-बीसलपुर तथा पीलीभीत-पूरनपुर की सड़कों के Preliminary Estimates क्या हैं ?

श्री गिरधारी लाल---पीलीभीत-बीसलपुर सड़क १३,८९,००० रुपये
पीलीभीत-पूरनपुर सड़क ८,३७,००० रुपये ।

*४७---श्री मुनीन्द्रपाल सिंह---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त दोनों सड़कों की लम्बाई क्या है ?

श्री गिरधारी लाल---पीलीभीत-बीसलपुर सड़क २२ ५/८ मील तथा पीलीभीत-पूरनपुर सड़क २३ मील लम्बी है ।

श्री मुनीन्द्रपाल सिंह---क्या सरकार बतायेगी कि इस दूसरी सड़क का एस्टीमेट कम क्यों है ?

श्री गिरधारीलाल---पहली सड़क तो कान्क्रीट सड़क है और दूसरी वाटर-बाउन्ड सड़क है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इन दोनों सड़कों का रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या है ?

श्री गिरधारीलाल---अभी कोई नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इन दोनों सड़कों में से सबसे अधिक ट्रैफिक लोड किस सड़क पर है ?

श्री गिरधारीलाल---दोनों पर लोड काफी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या ये दोनों सड़कें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल हैं ?

श्री गिरधारीलाल---जी हां ।

*४८-४९---श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)---[१ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५०-५१---श्री कल्याण राय (जिला रामपुर)---[वापस लिये गये।]

अलीगढ़ नगरपालिका द्वारा लगाये गये गृह-कर के सम्बन्ध में नगर कांग्रेस कमेटी का प्रार्थना-पत्र

*५२---श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार को विदित है कि अलीगढ़ नगरपालिका के गृह-कर (House tax) की हद (Limit) के सम्बन्ध में अलीगढ़ की जनता ने नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा गृह-कर लगाने के समय में ही अड़तालिस रुपये (४८ रु०) वार्षिक आय पर कर लगाने के बजाय एक सौ पचास रुपये (१५० रु०) वार्षिक आय तक छूट के लिये तथा दर घटाने के लिये ६०० (छः सौ) रुपये वार्षिक आय तक प्रति रुपये चार पैसे के बजाय तीन पैसे और ६००) से अधिक वार्षिक आय पर एक आना प्रति रुपया कर लगाने की प्रार्थना की थी ? कबतक सरकार से इसके निर्णय की आशा की जा सकती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। मार्च, १९५५ में अलीगढ़ नगर कांग्रेस कमेटी ने सरकार को एक प्रार्थना-पत्र भेजा था। उसमें अन्य सुझावों के साथ इस आशय के सुझाव थे कि ४८ रुपये के बजाय १५० रुपये तक की आय के मकानों को गृह कर से मुक्त कर दिया जाय और साथ ही साथ १,००० रुपये तक की आय वाले मकानों पर ६ पाई फी रुपये के हिसाब से और १,००० रुपये से अधिक आय वाले मकानों पर एक आना फी रुपये के हिसाब से गृह कर लगाया जाय। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है उसमें ऐसा कोई सुझाव नहीं था कि ६०० रुपये वार्षिक आयवाले मकानों पर १ आना रुपये से कम करके ३ पैसा रुपया टैक्स लगाया जाय और ६०० रुपये से अधिक आयवाले मकानों पर १ आना रुपये के हिसाब से टैक्स लगाया जाय। सरकार ने उक्त प्रार्थना-पत्र को १९५५ में ही अस्वीकार (reject) कर दिया था।

श्री अनन्तराम वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रार्थना-पत्र किन कारणों से अस्वीकार किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—हाउस टैक्स १९५५ में ही लगना शुरू हुआ था और उस वक्त यह मुनासिब नहीं समझा गया कि इसको कम किया जाय, क्योंकि इससे आय पर बहुत बड़ा असर पड़ता है।

*५३-५४—श्री मदन पांडेय—[१ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

रुड़की में हवाली मुन्सफी कायम करने का विचार

*५५—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार का विचार रुड़की में हवाली मुसिफी कायम करने का है ? यदि हां, तो वह कब तक कायम हो जायेगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां। रुड़की में मुन्सिफी कायम करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और हाईकोर्ट के उत्तर की प्रतीक्षा है। इस विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि अन्तिम निर्णय क्या और कब तक होगा।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या मंत्री जी को स्मरण है कि आज से सवा वर्ष पहले मंत्री जी ने यही जवाब दिया था कि यह विषय विचाराधीन है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मुझे स्मरण तो नहीं है, लेकिन सदस्य महोदय कहते हैं तो ठीक ही होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—सवा वर्ष की बात है तो क्या ऐश्योरेंस कमेटी ने आपको कोई रिमाइन्डर दिया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसका मुझे ज्ञान नहीं है।

*५६-५८—श्री लालबहादुरसिंह (जिला जौनपुर)—[१ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५९—श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—[१ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

गोंडा नगरपालिका की वाटरवर्क्स और ड्रेनेज योजना पर अनुमानित व्यय

*६०—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा नगरपालिका में कब तक वाटर वर्क्स और ड्रेनेज स्कीम का कार्य शुरू हो जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—गोंडा नगरपालिका के अनुरोध पर वहां के लिये वाटर वर्क्स और ड्रेनेज योजना चीफ इंजीनियर, लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट ने बनाई है। वाटरवर्क्स की योजना तैयार हो गई है और बोर्ड को भेज दी गई है। ड्रेनेज की योजना तैयार हो रही है। इन स्कीमों में काम तभी शुरू होगा जब गोंडा नगरपालिका इनके लिये उपयुक्त धन का कर्जा प्राप्त कर ले। दूसरे नगरपालिका की आमदनी भी ऐसी होनी चाहिये कि वह कर्जा वापस कर सके। इस समय द्वितीय स्थिति को देखते हुये यही प्रतीत होता है कि गोंडा नगरपालिका को इस काम के लिये कर्जा नहीं मिल सकेगा।

*६१—श्री गंगा प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाटर वर्क्स और ड्रेनेज की उक्त योजना पर अनुमानतः कितना धन व्यय होगा?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—चीफ इंजीनियर, लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट की राय में वाटरवर्क्स योजना में १०,७६,३०० रु० और ड्रेनेज योजना में २०,००,००० रु० व्यय होगा।

वाराणसी जिले के परगना जाल्हूपुर-कटेहर व सुल्तानीपुर में सस्ते गल्ले की दूकानें

*६२—श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के परगना जाल्हूपुर-कटेहर व सुल्तानीपुर में सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें हैं?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—वाराणसी जिले के परगना जाल्हूपुर-कटेहर तथा सुल्तानपुर में सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या निम्नलिखित है:—

१—जाल्हूपुर	४ दूकानें
२—कटेहर	५ दुकानें
३—सुल्तानीपुर	१ दूकान
योग	१०

*६३—श्री लोकनाथ सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले के परगना जाल्हूपुर-कटेहर व सुल्तानीपुर के क्षेत्र में उन क्षेत्रों के रहने वालों को सस्ते गल्ले के वितरण का कार्य क्यों नहीं दिया जाता?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं ऐसा नहीं है। परगना जाल्हूपुर के ग्राम गौरा की एक दूकान के अतिरिक्त उस परगने की तथा परगना कटेहर और सुल्तानपुर की सभी दूकानें उन्हीं क्षेत्रों के रहने वालों को दी गई हैं।

*६४-६६—डाक्टर खमानी सिंह (जिला मुरादाबाद)—[१ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*६७-६८—श्री रघुराजबहादुर सिंह उपनाम लाल साहब (जिला गोंडा)—[१ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिले के विनायकपुर विधायक क्षेत्र में सस्ते अनाज की दूकानें

*६९—श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के विनायकपुर विधायक क्षेत्र में कितने दूकानदारों को सस्ते गल्ले की दूकान दी गई हैं और उन्होंने कितना गल्ला मई, जून, जुलाई, १९५७ में सरकारी गोदामों से उठाया है?

श्री सैयद अली जहीर—गोरखपुर जिले के विनायकपुर विधायक क्षेत्र में दी गई दूकानों की संख्या तथा मई, जून और जुलाई, १९५७ में उन दुकानों द्वारा सरकारी गोदामों से उठाये गये गल्ले की मात्रा की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७८ पर)

बस्ती जिले में कस्बा मेहदावल की सस्ते गल्ले की दूकानों में चोरबाजारी की शिकायत

*७०—श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कस्बा मेहदावल की सस्ती गल्ले की दुकानों से चोरबाजारी से गल्ला बेचने के सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी बस्ती को दिनांक २-७-५७ को तार द्वारा १०-७-५७ व २४-७-५७ ई० को लिखित शिकायतें जो दी गई थीं उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—तार तथा लिखित शिकायतों के सम्बन्ध में आवश्यक जांच करने के बाद ७-८-५७ को श्री मृत्युञ्जय शर्मा की दूकान कैंसिल कर दी गई ।

*७१—श्रीमती गेंदादेवी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के ग्राम बेलोली और बेलहर के सस्ते गल्ले के दूकानदार निर्धारित सेन्टर पर दूकानें न रख कर अपने घर बेलोली से १० मील और बेलहर से ६ मील की दूरी पर कस्बा मेहदावल में क्यों दूकानें रख रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ग्राम बेलोली की दूकान कुछ समय तक मेहदावल में रही, परन्तु ग्राम बेलहर की दूकान मेहदावल में कभी नहीं रही बल्कि यह कुछ समय तक नन्दौर में रही । जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि ऐसा बाढ़ तथा यातायात की कठिनाइयों के कारण किया गया था । उक्त दूकानदारों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्रीमती गेंदादेवी—क्या यह सत्य है कि दिनांक ३ अगस्त, १९५७ को मेहदावल कस्बे की जनता ने बेलहर के सस्ते गल्ले के दूकानदार को कस्बा मेहदावल में चोरबाजारी से ८ बोरा गेहूं बेचते हुए पकड़ कर मेहदावल की पुलिस के हवाले किया है । यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके सम्बन्ध में कोई शिकायत हो, इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं । अगर माननीय सदस्या कोई प्रश्न करेंगी तो मैं सूचना एकत्रित करने की चेष्टा करूंगा ।

श्रीमती गेंदादेवी—क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक २ अगस्त, १९५७ को मेहदावल कस्बे की जनता ने बेलोली सस्ते गल्ले के दुकानदार श्री पुतलू को कस्बा मेहदावल में चोरबाजारी से ३ बोरा गेहूं बेचते हुये पकड़ कर मेहदावल के पुलिस को हवाले किया है । यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब भी वही मिलेगा । आप इसको सरकार के पास लिख कर भेज दें ।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो कार्यवाही इन व्यापारियों के खिलाफ की जा रही है वह किस कानून की कौन सी धारा के अन्तर्गत की जा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जो चीप फूड ग्रेन्स की दूकाने बनायी जाती हैं तो उस सम्बन्ध में कुछ परमिट और लाइसेंस जो दिये जाते हैं उसके कुछ नियम होते हैं । उनका उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाती है और जहां तक मेरा खयाल है ये कार्यवाहियां उन्हीं के उल्लंघन के फलस्वरूप की जा रही हैं ।

*७२—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—[हटा दिया गया ।]

*७३-७५—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—[१ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

जंगल विभाग के फारेस्टरों एवं क्लर्कों के कन्फरमेशन आर्डर्स में तब्दीली

*७६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने जंगलात विभाग में कार्य करने वाले फारेस्टरों एवं क्लर्कों के (Confirmation orders) को revise और alter किया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतलायेगी कि यह सूचना किन कार्यालयों से एकत्रित की जा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कई कार्यालय हैं जिन सबका इससे सम्बन्ध है उन सभी से इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि जंगलात विभाग के कार्यालय सब एक ही स्थान पर मौजूद हैं और चीफ कंजर्वेटर के कार्यालय में यह सभी आज्ञायें रखी हुई हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—चीफ कंजर्वेटर के कार्यालय में प्रत्येक फाइल इसके सम्बन्ध में उपलब्ध हो सके तब तो कठिनाई न हो । लेकिन उनको भी कई स्थानों से इसकी सूचना इकठ्ठी करनी पड़ती है तब यह सूचना यहां पर एकत्रित हो कर आती है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वह सूचना उनको कब तक प्राप्त हो जायगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रयत्न किया जा रहा है । मेरा खयाल है कि बहुत जल्दी प्राप्त हो जायगी और प्राप्त होते ही सामने रखी जायगी ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी कैसे हुई कि सब सूचना इकट्ठी की जा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सूचना के आधार पर ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि किसी भी फारेस्टर या क्लर्क के कन्फर्मेशन आर्डर को रिवाइज या आलटर चीफ कंजर्वेटर या कंजर्वेटर का आफिस करता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके सम्बन्ध में चीफ कंजर्वेटर और कंजर्वेटर दोनों ही यह कार्य करते हैं ।

आजमगढ़ जिले में पंचायत मंत्रियों को १९५७ के आम चुनाव में मार्ग-व्यय न मिलना

*७७—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में पंचायत मन्त्रियों को सन् १९५२ तथा सन् १९५७ के आम चुनाव के समय का मार्ग व्यय मिल गया है तथा इसके अतिरिक्त सन् १९५५ ई० की मतदाता सूची बनाने का पारिश्रमिक भी मिल गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—आजमगढ़ जिले में पंचायत मंत्रियों को सन् १९५२ के आम चुनाव के समय का मार्ग व्यय, उनसे प्राप्त बिलों के अनुसार, मिल गया है।

सन् १९५७ के आम चुनाव के मार्ग व्यय का भुगतान तथा सन् १९५५ की मतदाता सूची बनाने के पारिश्रमिक का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है।

*७८—श्री मुक्तिनाथ राय—यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि इस कार्य के लिये दी गई? यदि नहीं, तो क्या स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस कार्य में इतना विलम्ब क्यों हुआ और इसकी जिम्मेदारी किस पर है?

श्री रामस्वरूप यादव—सन् १९५२ के आम चुनाव के समय के मार्ग-व्यय के भुगतान करने के लिये २,४३६ रु० ७ आने की धनराशि दी गई।

सन् १९५७ के आम चुनाव के मार्ग व्यय के भुगतान में बिलम्ब होने का कारण यह है कि पंचायत मंत्रियों से प्राप्त मार्ग व्यय के भत्तों के बिलों की धनराशियों को नवीन सिक्कों में परिवर्तित करने तथा दैनिक भत्ते की दर आदि की गड़बड़ियों को ठीक कराने में पर्याप्त समय लग गया। इसमें बिलम्ब होने में कोई कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है।

पंचायत मंत्रियों को सन् १९५५ में मतदाता की सूची बनाने के पारिश्रमिक मिलने में विलम्ब का कारण यह है कि सम्बन्धित कर्मचारियों से बिलों के प्राप्त करने में अत्यधिक समय लग गया जिसके फलस्वरूप बिलों को एकाउन्टेंट जनरल, उत्तर प्रदेश के पास पूर्व समीक्षा (Pre-audit) के लिये भेज दिया गया है। इसमें भी विलम्ब होने में कोई कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यात्रिक भत्ते के बिल जो दिए गए हैं वह जिले के समस्त मंत्रियों के हैं या कुछ मंत्रियों के बाकी भी हैं? यदि बाकी हैं तो कितनों के?

श्री रामस्वरूप यादव—सन् ५२ के जिन मन्त्रियों के बिल आ चुके थे उन सबका ही भुगतान हो चुका है।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बतायेगी कि इस बिल का भुगतान कब किया गया?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिए तो, श्रीमन्, सूचना की आवश्यकता है। तिथि मेरे पास नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नये पैसों का चलन १ अप्रैल, १९५७ से शुरू हुआ है तो सन् ५५ से जो बकाया चली आती है वह अप्रैल, सन् ५७ से पहले क्यों नहीं अदा की गई?

श्री रामस्वरूप यादव—सन् ५७ का जो आम चुनाव हुआ है उसके बारे में निवेदन किया था कि नये पैसों की वजह से उनका भुगतान नहीं हो सका, ५५ वाला प्रि-आडिट के लिये गया हुआ है और ५२ का भुगतान हो चुका है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग आजमगढ़ से निकाले गये कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति

*७९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, आजमगढ़ के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहां प्रश्नकर्ता द्वारा ३० अप्रैल, एवं ९ मई, १९५७ का भेजा हुआ पत्र निर्माण विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्रों के साथ प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। केवल एक पत्र ९ मई, १९५७ का प्राप्त हुआ था। इस पत्र में जिस कर्मचारी के सम्बन्ध में लिखा गया था उसे काम पर रख लिया गया।

*८०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर काम करने वाले कर्मचारियों को मासिक क्या वेतन मिलता है तथा साल में कितना अवकाश मिलता है ?

श्री गिरधारीलाल—यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई संख्या १ में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७९ पर)

*८१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में सड़कों पर काम करने वाले निर्माण विभाग के कितने कर्मचारी सन् १९५६ और १९५७ में निकाले गये और क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची संख्या २ में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८० पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कर्मचारी क्यों निकाला गया था और कैसे रक्खा गया था ?

श्री गिरधारीलाल—यह प्रश्नकर्ता की सिफारिश पर रक्खा गया था और जिस वक्त जरूरत नहीं थी उस वक्त निकाल दिया गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इसको निकालने के पहले निकालने के लिये कोई नोटिस दी गई थी ?

श्री गिरधारीलाल—इसके लिये सूचना की जरूरत होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस कर्मचारी के लिये प्रश्नकर्ता की सिफारिश थी या जानकारी के लिये प्रमाण-पत्र था ?

श्री गिरधारीलाल—यह दोनों चीजें करीब करीब एक सी होती हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मेट, बेलदार और मजदूर को जो ३५ रु० और २५ रु० मासिक तनख्वाह दी जाती है और क्या यह सही है कि इस प्रदेश के किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को इतनी कम तनख्वाह नहीं दी जाती ?

श्री गिरधारीलाल—इसके लिये सूचना की जरूरत होगी ।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पी० डब्ल्यू० डी० के जो मजदूर हैं उनको कितनी इनीशियल पे और कितनी महंगाई दी जाती है ?

श्री गिरधारीलाल—वह जो कुछ है एक साथ दी जाती है । उसमें पे और भत्ता सब मिला रहता है ।

बिजनौर जिलान्तर्गत लहपी में पुल का अधूरा निर्माण कार्य

*८२—श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मन्डावर परगना, जिला बिजनौर में लहपी में पुल बनवाने के हेतु गोले बने खड़े हैं जिसको कई वर्ष हो चुके किन्तु अभी तक पुल नहीं बन पाया ? इसका क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—(क) जी हां ।

(ख) इस पुल का निर्माण कार्य ग्रामवासियों द्वारा दिये गये चन्दे तथा जिला बोर्ड और जिला नियोजन समिति द्वारा दी गई सहायता से शुरू किया गया था। किन्तु रुपया खत्म हो जाने के कारण पुल पूरा नहीं हो पाया।

जिलाधीश से पूछताछ की जा रही है और उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस प्रश्न पर विचार किया जायगा।

*८३—श्रीमती चन्द्रावती (अनुपस्थित)—क्या सरकार उक्त स्थान पर शीघ्र ही पुल बनवाने का प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—विचार किया जायगा।

इटावा जिले की कोआपरेटिव सोसाइटियों में गबन

*८४—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में कितनी कोआपरेटिव सोसाइटियां ऐसी हैं जिनमें सन् १९५४ से अब तक गबन की घटनायें हुई हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—६३।

*८५—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)—जिन सोसाइटियों में गबन हुआ है उनमें गबन से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई ?

श्री मोहनलाल गौतम—२० मामलों में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही और शेष के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो रही है।

लखनऊ नगरपालिका के अन्तर्गत निष्कान्त सम्पत्ति का वाटर तथा हाउस टैक्स

*८६—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ नगरपालिका के अन्तर्गत निष्कान्त सम्पत्ति पर १-४-५२ से ३०-९-५४ तक का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का कितना रुपया अभी तक कस्टोडियन, लखनऊ, से प्राप्त नहीं हुआ है और उसका क्या कारण है ?

*८७—क्या लखनऊ नगरपालिका को यह सूचना प्राप्त हुई है कि जिन निष्कान्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उक्त बकाया है वे ३०-९-५४ के बाद बेची जा चुकी हैं ?

*८८—क्या उक्त बकाया उक्त सम्पत्तियों के नये मालिकों से वसूल किया जा रहा है और वसूल न होने पर उनका वाटर कनेक्शन काट दिया जाता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नगरपालिका से विस्तृत विवरण एकत्रित किया जा रहा है। सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध होने पर माननीय सदस्य महोदया को ज्ञात करा दिया जायगा।

बांदा जिले में सड़कों की निर्माण योजना

*८९—श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)—क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बांदा जिले में कौन-कौन सड़कें बनाई जायेंगी ?

श्री गिरधारीलाल—सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८१ पर)

श्रीमती सियादुलारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि बांदा जिले में कौन कौन से भारी यातायात के मार्ग हैं ?

श्री गिरधारीलाल—यह सब जो सूची दी हुई है उसमें दिया हुआ है।

श्रीमती सियादुलारी—भारी यातायात के मार्ग की जो सूची दी हुई है उसमें १८ मील बिखलाये गये हैं, लेकिन यह नहीं बतलाया गया कि कौन कौन से मार्ग हैं ?

श्री गिरधारीलाल—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्लो एंड ग्रिड फार्मूला के अनुसार जो सड़कें रक्खी गई हैं वे पूरी हो गई हैं या उनमें अभी कुछ कमी है ?

श्री गिरधारीलाल—जहांतक हो सका, पूरा करने की कोशिश की गई है।

श्रीमती सियादुलारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन्होंने जो सूची दी है यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के नये निर्माण के लिए है या पुरानी सड़कें ही फिर से रख दी गयी हैं ?

श्री गिरधारीलाल—यह तो जो सूचना मांगी गयी थी, वही दी गयी है।

फर्रुखाबाद में नल योजना पूरी न होने की शिकायत

*९०—श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ में कब से नल योजना द्वारा जनता को जल मिलना आरम्भ हो जायेगा जिसके लिये सरकार ने कर्ज दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—फतेहगढ़ में जलदाय-गृह का उद्घाटन १२ अगस्त, १९५७ ई० को हो चुका है। इसके पश्चात् ही जनता को नल योजना द्वारा जल प्राप्त होना आरम्भ हो गया है।

फर्रुखाबाद में जलदाय-गृह को विद्युत् शक्ति प्राप्त न होने के कारण जनता को पानी नहीं प्राप्त हो रहा है। यह आशा की जाती है कि सितम्बर के अन्त तक नलकूप को विद्युत् शक्ति प्राप्त हो जायेगी। यह सब कार्य हो जाने से वहां की जनता को नल द्वारा पानी प्राप्त होने लगेगा।

श्री रामकृष्ण सारस्वत—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद नल योजना में कितनी लागत लगी और उसमें सरकार ने कितना रुपया कर्ज दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसमें तो, श्रीमन्, सूचना की आवश्यकता है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इस योजना से जनता को पानी नहीं मिल रहा है तो फिर इस समय किसको पानी प्राप्त हो रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने यह निवेदन किया कि फतेहगढ़ में पानी मिल रहा है, फर्रुखाबाद में काम आरम्भ ही नहीं हुआ। जब पावर हाउस से बिजली मिल जायगी तब काम शुरू हो जायगा।

श्री रामकृष्ण सारस्वत—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद में जो विद्युत् जल योजना द्वारा बिजली मिलेगी, वह कहां से मिलेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—फर्रुखाबाद में तो लाइसेंसी हैं, उन्हीं से मिलेगी।

श्री रामकृष्ण सारस्वत—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विद्युत् शक्ति के अतिरिक्त इस जलदायक को जल...

श्री अध्यक्ष—आप जरा सोच लें ।

श्री रामकृष्ण सारस्वत—क्षमा कीजियेगा, मैं अभी सीधा फर्रुखाबाद से ही आ रहा हूं, इसलिए कुछ अटपटा रहा हूं । (हंसी)

क्या सरकार इस बात को बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद की इस विद्युत् जलराशि से कितना जल वहां की जनता को प्राप्त हो सकेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसकी तो सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

डुमरियागंज-बांसी तथा शाहपुर-सिंगारजोतघाट-उतरौला सड़कों की खराब हालत

*९१—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वित्तीय वर्ष में डुमरियागंज (बस्ती) से बांसी तक जाने वाली कच्ची सड़क को पक्की सड़क बनाये जाने की व्यवस्था की गई है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं ।

*९२—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में डुमरियागंज (बस्ती) में शाहपुर से सिंगार जोत घाट होते हुये उतरौला (गोंडा) तक जाने वाली सड़क को ठीक कराने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं ।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार को मालूम है कि ये दोनों सड़कें आम तौर पर आवागमन का साधन हैं और कितनी दिक्कत इससे आने जाने वालों को होती है ?

श्री गिरधारीलाल—जहां सड़कें अच्छी नहीं हैं वहां दिक्कत जरूर होती है ।

बस्ती जिले में बनने वाले पुल तथा मार्ग

*९३—श्री धनुषधारी पांडेय—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष बस्ती जिले में कौन कौन सी सड़कें तथा कौन कौन से पुल चालू किये जायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—वर्तमान वित्तीय वर्ष में बस्ती जिले में बांसी-तलपुरवा सड़क तथा कुवानों नदी पर मुखलिसपुर के पुल का निर्माण कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है ।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी महसो-महोली रोड, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी आ गयी है और जिला प्लानिंग कमेटी से चौथे नम्बर की सिफारिश पर आई है, उसको इसी वर्ष कार्य रूप में परिणत करने के लिये आज्ञा क्यों नहीं करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—इसका प्रश्न इसके अलावा है, जिसके ऊपर भी विचार हो रहा है ।

बांसी-तलपुरवा रोड तथा बूढ़ी राप्ती पर ककरही घाट के पुल निर्माण की योजना

*९४—श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांसी-तलपुरवा रोड (बस्ती) का बनाना कब प्रारम्भ होने जा रहा है और वह कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---इस सड़क पर कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही आरम्भ हो जाना चाहिये ।

द्वितीय भाग---इसके बनने में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा ।

*९५---श्री प्रभुदयाल---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बूढ़ी राप्ती बानगंगा नदी के ककरही घाट पर पक्का पुल कब तक पूरा हो जायेगा और १५ जुलाई, १९५७ तक उस पर कितना काम हो चुका है ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---पुल का निर्माण कार्य जून सन् १९५८ तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

द्वितीय भाग---१५ जुलाई, १९५७ तक कुओं की गलाई का काम ९४ प्रतिशत तक हो चुका है ।

श्री प्रभुदयाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो इस नदी पर पुल बनाया जा रहा है उसकी मियाद और बढ़ा दी गई है ?

श्री गिरधारीलाल---इसकी मुझे कोई इत्तला नहीं है ।

ककरही और बांसी घाट से आय

*९६---श्री प्रभुदयाल---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि ककरही और बांसी घाट से १९५५-५६ में सरकार को कितने रुपये की आय हुई है ?

श्री गिरधारीलाल---चूंकि ये दोनों घाट अप्रैल, १९५६ में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लिये गये अतः १९५५-५६ में उनसे सरकार को आय होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री प्रभुदयाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ से जो टौल टैक्स वसूल किया जाता है, वह आमदनी में नहीं गिना जाता है ?

श्री गिरधारीलाल---जैसा मैंने बतलाया कि १९५६-५७ से हिसाब है, इससे पहले का नहीं है, यानी १९५६-५७ में टौल टैक्स वहां पर इकट्ठा किया गया ।

हमीरपुर जिले में मौदहा-बसवारी सड़क को वर्षा से क्षति

*९७---श्री रामगोपाल गुप्त---क्या सरकार को यह मालूम है कि गत १७,१८ जुलाई, १९५७ को अतिवर्षा के कारण मौदहा-बसवारी सड़क (जिला हमीरपुर) बह गई है ? यदि हां, तो उससे कितने धन की हानि का अनुमान है ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं । सड़क के किनारे की कुछ मिट्टी कट गई थी जिससे लगभग २५ रुपये की हानि हुई ।

*९८---श्री रामगोपाल गुप्त---जिन अधिकारियों की अदूरदर्शिता के कारण यह हानि हुई है उन पर सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल---यह हानि किसी की अदूरदर्शिता से नहीं हुई ।

मिर्जापुर जिले के जंगलों की उपयोगी वस्तुओं का नीलाम

*९९---श्री रामलखन (जिला वाराणसी)---क्या वनमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के जंगलों की तेन पत्ती, लाख तथा अन्य वन सामग्रियों का नीलाम प्रत्येक वर्ष किस माह में किया जाता है ?

*१००---क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर का Forest Area तेन की पत्तियों के नीलाम के वास्ते कितने लाटों में विभक्त किया गया है तथा उसका नीलाम सन् १९५२ से अप्रैल, सन् १९५७ तक अलग-अलग कितने रुपयों में किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

श्री राम लखन---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सूचना के सम्बन्ध में फारेस्ट आफिसर, मिर्जापुर, को कब तक के लिये लिखा गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह प्रश्न जब उपलब्ध हुआ तब लिखा गया था, फिर कुछ कमी रही, इसलिये दुबारा लिखा गया और जो प्रश्न से संबंधित सूचना उपलब्ध हुई उसमें कुछ कमी पाई गई इसलिये तिबारा इस सम्बन्ध में लिखा गया ।

मुरादाबाद जिले में देला नदी के पुल उद्घाटन के अवसर पर जलपान में व्यय

*१०१---श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मुरादाबाद, तहसील ठाकुरद्वारा, की देला नदी पर पुल का उद्घाटन निर्माण मंत्री ने किया था और उस मौके पर जलपान हुआ था ? अगर हां, तो उस जलपान का खर्च किसने दिया था ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी हां ।

द्वितीय भाग---सरकार ने ।

*१०२---श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (अनुपस्थित)---क्या यह रकम सरकार के खजाने से अदा हुई थी ? अगर हां, तो वह कितनी थी और ग्रान्ट के किस आइटम से दी गई थी ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी हां ।

द्वितीय भाग---जलपान में १६० रुपया व्यय हुआ था तथा यह धनराशि कार्य के आगणन में प्रासंगिक व्यय के आयोजन से दी गई थी ।

कुरावली---मैनपुरी सड़क की खराब हालत

*१०३---श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार को पता है कि मैनपुरी जिले में कुरावली-मैनपुरी सड़क की हालत बहुत खराब है ?

श्री गिरधारीलाल---जी हां ।

*१०४---श्री मलिखानसिंह---यदि हां, तो उसके जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल---इस वर्ष मील ४ से ७$\frac{१}{२}$ तक तथा मील ९ और ११ में कुटाई की जा रही है ।

श्री मलिखान सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क की हालत इतनी खराब क्यों है ?

श्री गिरधारीलाल---इसके मेन्टिनेंस पर जितना रुपया खर्च होना चाहिये था उतना खर्च नहीं किया जा रहा है ।

श्री मलिखानसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो यह बतलाया कि इतना रुपया नहीं है जो खर्च किया जा सके तो वह आगे इसको बनाने के लिये कोई योजना बनायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—जैसा मैंने प्रश्नों के उत्तर में बतलाया उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुये इन मीलों पर काम हो रहा है ।

श्री मलिखानसिंह—माननीय मंत्री जी ने जो बतलाया कि इतनी मीलें तैयार कर रहे हैं तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि उनके अलावा भी अन्य मीलों की हालत बहुत खराब है ?

श्री गिरधारीलाल—हां है, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं किया जायगा ।

*१०५—श्री मलिखानसिंह—[२६ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न १०८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

वाराणसी जिले में सिधौरा-बलुआ रोड पक्की करने की प्रार्थना

*१०६—श्री लोकनाथ सिंह—क्या निर्माण मंत्री के पास वाराणसी जिले के जाल्हूपुर परगने में पहड़िया से बलुवा रोड को पक्की करने की योजना है ? यदि हां, तो उसका कब से निर्माण होने जा रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

*१०७—श्री लोकनाथसिंह—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिधौरा-बलुआ रोड कब पक्की होने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कार्यों के पूर्ण हो जाने के बाद इस सड़क के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

एटा शहर में कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा बसाये गये अरुणानगर में सदस्यों की कोठियां

*१०८—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा शहर में जो कोआपरेटिव सोसाइटी ने अरुणानगर बसाया है उसमें ऐसे कितने सदस्य हैं जिनके पास खुद की रहने की कोठी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—११ सदस्यों के पास ।

अतारांकित प्रश्न

१-६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—[१ अक्तूबर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

खीरी जिले में खुरार-मैलानी रोड का निर्माण

७—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शाहजहांपुर जिले के खुरारी ग्राम से मैलानी स्टेशन तक जो रोड बनाई जा रही है उसकी अधिक से अधिक और कम से कम चौड़ाई क्या है और सड़क को एक सी चौड़ाई का न बनाने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—इसकी अधिक से अधिक चौड़ाई ३२ फीट है और कम से कम चौड़ाई २० फीट है ।

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या १०४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

द्वितीय भाग—सड़क को एक सी चौड़ाई का न बनाने का कारण यह है कि खुटार ग्राम के बाजार, जिसके बीच सड़क जा रही है, के दोनों ओर पक्के मकान और दुकानें हैं जिनके बीच का फासला केवल २० फीट है ।

८—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैलानी ग्राम जो जिला खीरी का जंक्शन स्टेशन है वहां इस सड़क को बनाने के हेतु कितनी दुकानें तथा कितने मकान अधिगृहीत किये जा रहे हैं और ऐसा क्यों है ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क को बनाने के लिये ६ मकान और १४ दुकानें अधिगृहीत की जा रही हैं क्योंकि बिना उपरोक्त मकानों और दुकानों को लिये हुये इस सड़क का बनना सम्भव नहीं है ।

---

२६ जुलाई, १९५७ के प्रश्न संख्या १ तथा २ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन ।

श्री अध्यक्ष—अब स्वास्थ्य मंत्री कुछ पहले के प्रश्नों के उत्तर की दुरुस्ती करेंगे ।

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—तारीख २६-७-५७ के श्री कल्याणचन्द मोहिले के तारांकित प्रश्न संख्या १ तथा २ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में जो सूचना दी गयी थी कि "इलाहाबाद में चेचक से मृत्यु नहीं हुई" उसके स्थान पर निम्नलिखित संशोधन कर लिया जाय:—

"चेचक से कुछ मृत्यु हुईं परन्तु मैं इस समय सही संख्या नहीं दे सकता ।"

उरई नगरपालिका के भंग कर दिये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री गोविंद नारायण तिवारी का है । यह उरई की नगरपालिका को भंग कर दिये जाने के सम्बन्ध में है । लेकिन इसमें आक्षेप भी किया गया है और सरकार की नीयत के ऊपर भी हमला किया गया है । कोई भी प्रस्ताव चाहे वह कामरोको प्रस्ताव हो उसमें कोई ऐसा आक्षेपार्ह भाग नहीं होना चाहिये कि यह काम बदनीयती से किया गया है । यह इस सदन की पद्धति नहीं है । इसलिये मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूं और इसको अवैध करार देता हूं ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—अध्यक्ष महोदय,. . . . .

श्री अध्यक्ष—मेरे कमरे में आप बात करें, मैं समझा दूंगा ।

बुलन्दशहर, मुरादाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी आदि जिलों में अतिवृष्टि के कारण हानि के सम्बन्ध में चार कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—इसके बाद चार अन्य कामरोको प्रस्ताव हैं । इस बीच में जहां-जहां अतिवृष्टि हुई है उससे जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसको ये बताने वाले हैं । इनमें कहीं भी यह आक्षेप नहीं है कि सरकार ने कोई काम ही नहीं किया या जो करना था नहीं किया और जैसे ही माननीय सदस्यों को खबर लगी कि इतने गांवों में हानि हुई या इतने आदमी मरे वह सब खबरें इनमें दी हुई हैं । इस तरह के चार प्रस्ताव हैं । तो मैं एक-एक करके पढ़ देता हूं और माननीय मंत्री जी, यदि उनके पास कोई सूचना

[श्री अध्यक्ष]

इन दिनों में आ गयी हो तो वह इस आदरणीय सदन को दे दें, क्योंकि ये महत्व के तो हैं ही। एक कामरोको प्रस्ताव श्री जगवीर सिंह जी का इस प्रकार है:—

"उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में विशेषकर मेरठ और बुलन्दशहर में १३ इंच और कहीं-कहीं १४ इंच वर्षा होने के कारण हजारों एकड़ फसल नष्ट हो जाने, हजारों मकान गिर जाने और यातायात के साधन बन्द हो जाने और बहुत से मनुष्यों एवं मवेशियों के मरने से उत्पन्न हुई अत्यन्त भयानक स्थिति पर विचारार्थ सदन आज का कार्य स्थगित करता है।"

इसे मैंने कामरोको प्रस्ताव के रूप में तो स्वीकार नहीं किया। सिर्फ मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उनको अगर कोई इसकी सूचना हो और कोई कार्यवाही वे कर रहे हों तो वह सदन को बता दें।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—केवल बुलन्दशहर जिले में ही नहीं बल्कि और जिलों में भी जहां नुकसान हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—तो ये चारों प्रस्ताव आपके पास पहुंच गये हैं ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

श्री अध्यक्ष—इनमें मेरठ, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, अलीगढ़ मैनपुरी आदि जिलों का वर्णन है। सब जिलों के बारे में आप सूचना दे दें।

श्री चरणसिंह—मेरे पास सब जिलों की सूचना मौजूद है। बिजनौर और बरेली में भी बहुत नुकसान हुआ है। थोड़ा सा सहारनपुर में भी हुआ है। अगर आप इजाजत दें तो मैं हर जिले में कितना नुकसान हुआ है और क्या-क्या गवर्नमेन्ट ने किया है वह सब बतला दूं।

श्री अध्यक्ष—जी हां।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, बिजनौर के कलेक्टर ने जो १५ तारीख को इत्तिला मुझे दी उसके मुताबिक १३ सितम्बर, को दोपहर के बाद से साढ़े १७ इंच बारिश १५ तारीख तक हुई, जिसमें से १२.६ इंच तो एक दिन के अन्दर २४ घंटे में हुई। हल्दौर और नहटौर के बीच की सड़क और सोहना और चांदपुर के बीच की रेल लाइन कट कई और आमदरफ्त बंद हो गई और चांदपुर कस्बे के बेशतर हिस्से में पानी घुस गया। १४ सितम्बर को बिजनौर से बाहर जाने वाली जितनी सड़कें थीं उन पर आमदरफ्त बंद हो गई। शहर में भी और देहात में भी मकानात गिरे हैं, लेकिन उनकी तादाद क्या है और कितना नुकसान हुआ है, कलेक्टर ने लिखा है कि अभी नहीं कहा जा सकता। उनकी उस वक्त की इत्तिला के मुताबिक कोई आदमी की जान जाया नहीं हुई। उनको १०,००० रुपया ग्रैचुटस रिलीफ के लिये और १५,००० रुपया मकानों में अहेतुक सहायता के लिये, मकान निर्माण के लिये और २५,००० रुपया डिजास्टर रिलीफ तकावी के तौर पर दिया गया है।

कल जो मेरठ के बारे में मेरे पास इत्तला आई है उसके हिसाब से ५ आदमियों की और जानें गईं। अब मेरठ में कुल १९ मौतें हो चुकी हैं और ८४ जानवर मर चुके हैं। उन्होंने लिखा है कि मकान बहुत बड़ी तादाद में गिर रहे हैं। मवाना तहसील में ४ तारीख को बहुत बड़ी तादाद में बारिश हुई, जो उस समय नहीं गिरे थे, वह मकान अब गिर रहे हैं। १,५०० मकान मवाना कस्बे में गिर चुके हैं। उनके हिसाब से २१,००० मकान जिले की उस तहसील में गिर चुके हैं—१,५०० कस्बे में और २१,००० तहसील में। नहरें और रजबहे बरसाती पानी से भरे हुए हैं और वह कई जगह कट गये हैं। कई जगह गांववालों ने खुद काट दिये हैं जिस की वजहसे मवाना कस्बे में पानी भर गया है। मवाना

की तहसील में, डाकखाने में और तहसील की सरकारी इमारतों में पानी है। तहसीलदार के रहने के मकान और जो अदालती कमरा है, कोर्ट रूम, वहां भी घुटने तक पानी है। मेरठ में मवाना के बीच की जो सड़क है वह बिलकुल कट गई है और कम्युनिकेशन्स बन्द हैं। मवाना कस्बे से कुछ लोगों को निकाल कर मवाना शुगर मिल की इमारत में पहुंचाया गया है। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि संभावली शुगर मिल के पास के गांव खतरे में हैं और संभावली शुगर मिल भी खतरे में है। मुरादाबाद और हापुड़ के बीच रेलवे ट्रैक खराब हो चुका है और हापुड़ और गढ़ की जो सड़क है उस पर कोई सवारी सिवाय मोटर लारी के चल नहीं सकती और वह रास्ता बन्द कर दिया गया है। ९ जगह पर सड़क कटी हुई है। फौजी इमदाद ली गई। मदद के लिये सामान, कपड़ा, सिरकियां वगैरह पहुंचाई जा रही हैं और हमारा स्टाफ व अफसर उसमें लगे हुए हैं। मवाना में १८ इंच बारिश गत तीन दिनों में हुई। यहां जो रुपया दिया गया है वह १०,००० रुपया ग्रेचुइटस रिलीफ के लिये, २५ ००० रुपया सबसीडी के लिये और ७,००० रुपया तकावी के लिये है।

मुरादाबाद में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है १४ और १५ तारीख को सलारा, सोत, बान, कंकन और तरवा और तमाम छोटे-छोटे नदी नाले उफन गये और बाढ़ आ गई। बान और कंकन में १९२१ के हाइयेस्ट फ्लड मार्क से ज्यादा पानी इन दिनों आया ....

श्री अध्यक्ष—वर्षा के आंकड़े आप के पास हैं ?

श्री चरण सिंह—मुरादाबाद की वर्षा के आंकड़े तो इस समय मेरे पास नहीं हैं

अध्यक्ष महोदय, गजरौला और नजीबाबाद के बीच रेलवे लाइन में कई जगह ब्रीचेज हो गये हैं और मुरादाबाद और दिल्ली के बीच रेलवे लाइन पर और गजरौला और नजीबाबाद के बीच कोई रेल १४ सितम्बर की शाम से नहीं चल रही है। रेलवे ट्रैफिक बिलकुल बन्द है। गंगा और सोत नदियों में अधिक पानी से पुलियों को खतरा पैदा हो गया है। मुरादाबाद में अमरोहा, हसनपुर, बिलारी, सम्भल और ठाकुरद्वारा इन पांचों तहसीलों में इतना पानी भर गया है कि वहां नहीं जा सकते हैं। कुछ पुल भी खतरे में हैं। ४०० गांव और २ लाख आबादी पर इसका असर पड़ा है, अब इस वक्त तक जो अनुमान है उसके मुताबिक १० हजार मकान गिर चुके हैं, एक आदमी मरा है और खरीफ की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। गन्ने की फसल को भी नुकसान हुआ है। इस वक्त तक उनको १० हजार रुपया ग्रेचुइटस रिलीफ के लिये दिया गया है। १ लाख रुपया तकावी के लिये दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ में भी काफी नुकसान हुआ है। उतना नहीं है जितना कि इन दो जिलों में हुआ है फिर भी बहुत नुकसान हुआ है। १६ तारीख की, जो हमारे पास इत्तिला आयी है, उन्होंने लिखा है कि ३९८ मकान गिर गये हैं और ३,५०० एकड़ जमीन को नुकसान पहुंचा है। काली नदी से ज्यादा नुकसान हुआ है। तहसील इगलास में ज्यादा नुकसान हुआ है। ५९ गांवों को काली नदी से नुकसान हुआ है और ६ गांवों को गंगा से नुकसान हुआ, जिनमें १२ हजार एकड़ जमीन को नुकसान हुआ है। वहां पर ६ जानवर मरे हैं जो कैटिल की परिभाषा में आते हैं। वैसे तो भेड़, बकरियों की तादाद इसमें ४९ दी हुई है। फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां पर भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जितना भी हो सके मदद दी जाय।

बुलन्दशहर में १३ तारीख से वर्षा हुई और नदी नाले वहां पर सब चढ़ गये। बुलन्दशहर में सिकन्दराबाद और खुर्जा तहसील को काफी नुकसान हुआ है, ३० से लेकर ६० गांवों को नुकसान पहुंचा है। काला नदी से बुलन्दशहर को नुकसान हुआ है। जो नाले शहर से काली नदी में मिलते थे, वह भर गये हैं और उनमें पानी भरने से मुहल्ला देवीपुरा और भवन को बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि उनमें पानी आ गया था लेकिन हाइडल के इंजीनियरों

[श्री चरण सिंह]

के जरिये से उस पानी को वहां से पम्प आउट किया जा रहा है। ३० गांवों में जितने मकान थे वह गिर चुके हैं। १०० खानदानों को तहसील सिकन्दराबाद में रखा गया है। बुलन्दशहर के लिये हमने १० हजार रुपया ग्रेचुइटस रिलीफ के लिये दिया है। अभी जो खबर मिली है उससे मालूम हुआ कि १५ तारीख को वहां पर आसमान साफ था। सिवाय अनूपशहर के और सभी तहसीलों में नुकसान हुआ है। वहां ४ आदमी मरे हैं। जानवरों का नुकसान भी ज्यादा नहीं है। केवल १ दर्जन जानवरों के मरने का समाचार मिला है। उनको १० हजार ग्रेचुइटस रिलीफ, २५ हजार हाउस सब्सीडी और ५० हजार तकावी के लिये दिया गया है।

मैनपुरी में भी शिकोहाबाद और जसराना तहसीलों में बहुत नुकसान हुआ है। छोटी-छोटी नदियों में बाढ़ आ गयी और तहसील जसराना में इमारतों में पानी घुस गया। सहारनपुर से भी कुछ खबर आयी है, उसके मुताबिक ३ दिन वहां भी काफी बारिश हुई है, बहुत से मकान गिरे हैं। वहां पर साढ़े सात हजार ग्रेचुइटस रिलीफ और २५ हजार रुपया तकावी में दिया गया है।

बरेली में पहले भी बारिश हुई थी और अब फिर हुई है। इससे करीब १०० से ज्यादा गांवों में बाढ़ आयी है। अब उन्होंने लिखा है कि १६ तारीख को रामगंगा डेन्जर लेविल पार कर गयी है। चन्दौसी और बदायूं के बीच का रेल ट्रैफिक बंद है। आंवला, फरीदपुर और बरेली तहसीलों में हैवी डेमेज हुआ है। वहां भी कुछ रुपया दिया गया। उस रुपये की तफसील मेरे पास इस वक्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि रुपया हमारे पास है और जरूरत नहीं है। अगर और रुपया मांगेंगे तो दे दिया जायेगा।

मुजफ्फरनगर में चौथी और पांचवी तारीख को १३.३ इंच बारिश हुई है। मवाने में काफी पानी पड़ा है। वहां पर भी बहुत ज्यादा मकान गिरे हैं। १३-१४ तारीख को १३ इंच वर्षा हुई है। सदर तहसील में १४-१५ की रात को साढ़े सात इंच वर्षा हुई है। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़े हिस्से में वाटर लागिंग है और मकान गिर रहे हैं। उनके अनुसार अभी तक ६ हजार मकान गिर चुके हैं और फसल को भी काफी नुकसान हुआ है जिसका तखमीना लगाया जा रहा है। आज सबेरे ही खबर आयी है कि तहसील जानसठ में ३ आदमी मर चुके हैं। १० हजार रुपया ग्रेचुइटस रिलीफ दिया गया है, १० हजार और कामों के लिये दिया गया है, इसके अतिरिक्त २ लाख रुपये की तकावी मंजूर हुई है।

मेरठ में भारी बारिश हुई है। वहां पर ५ हजार रुपया ग्रेचुइटस रिलीफ दिया गया है, ३ हजार रुपया कंटिन्जेंसी एक्सपेंसेज के लिये दिये गये हैं और २५ हजार तकावी के लिये मंजूर किये गये हैं। मेरे पास, माननीय अध्यक्ष महोदय, यही इत्तिला थी जो मैंने दे दी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव और था, मैं उसके बारे में कहने जा रहा हूं। वह दूसरे विषय का है। उसको मैंने अच्छी तरह देखा नहीं है, इसलिये उसको मैं कल लूंगा।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि लखीमपुर के ४० गांवों में बहिया आ गयी है? क्या सरकार का ध्यान वहां के लोगों की सहायता करने का भी है या नहीं?

श्री अध्यक्ष—जो कामरोको प्रस्ताव आज आये थे वह पश्चिमी जिलों के बारे में थे। इसलिये मैंने माननीय मंत्री जी को कह दिया था कि वे पश्चिमी जिलों के बारे में सूचना दे दें। उसमें वे जिले भी आ गये जिनके बारे में वे कामरोको प्रस्ताव थे तथा इसके अलावा और भी जिलों की उन्होंने सूचना दे दी।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने मेरे कामरोको प्रस्ताव के संबंध में बताया; उसके संबंध में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन पश्चिमी जिलों की नदियां ही मैनपुरी होकर जाती हैं। मैंने उसमें यह स्पष्ट कर दिया है कि वहां पर क्षति हुई है। दूसरी अतिवृष्टि से शिकोहाबाद और जसराने में नुकसान हुआ है तो बहुत संभव है कि मैनपुरी और भोगांव में भी नुकसान हो।

श्री अध्यक्ष---आपने मैनपुरी और भोगांव का जिक्र नहीं किया। अगर उन्हें भी खतरा ह तो जिस वक्त वह खतरा सामने हो तब तो ठीक है, वैसे आप माननीय मंत्री जी से बाद में किसी वक्त उसकी सम्भावना के विषय में पूछ सकते हैं।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, इत्तिफाक की बात यह है कि मैनपुरी के भोगांव और बुलन्दशहर के शिकारपुर में ऐसे खतरे की कोई बात नहीं है। वहां की हालत अच्छी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की सूचना के बाद यह स्पष्ट होता है कि वहां बहुत बड़े पैमाने पर और भारी वर्षा हुई है और जो यह कामरोको प्रस्ताव इस विषय में था जैसा कि आपने स्वयं कहा था कि यह महत्व की चीज है और माननीय मंत्री जी के बयान के बाद इसकी महत्ता और भी बढ़ गयी है। तो मैं चाहूंगा कि अगर इस सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्य जो इन क्षेत्रों से तीन दिन की छुट्टी के बाद आये हैं, उनको भी कुछ कहने और सुझाव देने का अवसर मिलता तो उचित होता।

श्री अध्यक्ष---इसका मतलब यह है कि एक रोज और इस पर विवाद हो। अगर यह सुझाव हो कि एक दो घंटे का समय इस पर विवाद के लिये मिले तो मैं समझता हूं कि आप बातचीत कर लें और अगर माननीय मंत्री जी उसके लिये समय एक दो घंटे देंगे तो उसके ऊपर मुझे तो कोई आपत्ति होगी नहीं। लेकिन यह बातचीत सदन के बाहर होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह कार्यक्रम जो आज का है, असरकारी दिन बहुत दिनों के बाद आता है, उसमें कोई खंड नहीं पड़ना चाहिये, यानी उसके समय में कोई कमी नहीं होनी चाहिये।

एक सदस्य---५ बजे के बाद।

श्री अध्यक्ष---आप बाहर बातें कर लें। मैं समझता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल और माननीय मंत्री जी बात कर लें, मुख्य सचेतक से भी बात हो जायगी।

श्री महमूद अली खां (जिला रामपुर)---जनाबवाला, बरेली और मुरादाबाद के बीच में रामपुर पड़ता है, मैं जानना चाहता हूं कि वहां का क्या हालचाल है।

श्री अध्यक्ष---उसको कोई आंच नहीं पहुंची, मालूम होता है।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष---अब माननीय माल मंत्री जी उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९५७ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९५७, पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८२-८४ पर)

श्री अध्यक्ष---इस सम्बन्ध में मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं कि श्री गेंदा सिंह जी ने इस प्रवर समिति से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफा इसलिये दिया कि वे अनशन के बाद कमजोर हो गये थे और इसलिये उन्होंने कहा कि मैं काम नहीं कर सकूंगा। यह उनका त्यागपत्र था, मैं सिर्फ सूचना देता हूं कि वे प्रवर समिति में नहीं थे।

[श्री अध्यक्ष]

अब श्री रामगोपाल गुप्त द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर विचार होगा। उस दिन श्री शब्बीर हसन सज्जन भाषण दे रहे थे, वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

विधान सभा प्रक्रिया नियमावली में प्रवर समिति द्वारा प्रस्थापित संशोधनों पर विचारार्थ समय-निर्धारण की मांग

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि २२ अगस्त, १९५७ के परिपत्र संख्या २,१०२ के अनुसार आपने नेता सदन के सुझाव के साथ यह कार्यक्रम बनाया था कि १६ और १७ सितम्बर को विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य-संचालन के सम्बन्ध में प्रवर समिति द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जायगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके सम्बन्ध में अब क्या निर्णय है, इस अधिवेशन में वह आयेगा या नहीं आयेगा। मैंने पहले भी यह सुझाव दिया था कि अगर उसके लिये वैसे दिन न निकल सके तो १७, १८, १९, २०, इन चार दिनों में कुछ कुछ समय बढ़ा कर इसको कर लीजिये।

इसके अलावा एक दूसरा सुझाव मैं यह भी पेश करता हूं कि उसके लिये अगर जरूरी हो तो २१ तारीख मुकर्रर कर ली जाय। मेरा निवेदन यह है कि वह एक सर्वसम्मत रिपोर्ट है और उसको यहां पास होने में कोई अधिक समय नहीं लगेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि आप इस विषय पर विचार कर लें और उसके लिये कोई समय २०-२१ तक नियत कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि एक इशारा उस रोज भी किया गया था जिस रोज यह तय हुआ था कि १७ तारीख और १८ तारीख को यह असरकारी दिन रखे जायेंगे और १९-२० को वृहत् जोत-कर विधेयक सरकारी विधेयक रहेगा। मैं समझता हूं कि किसी माननीय सदस्य ने प्रक्रिया नियमावली के सम्बन्ध में कुछ कहा था तो शायद मैंने कहा था कि वह प्रश्न इस बैठक में नहीं आ सकेगा। फिर मैं समझता हूं कि एक दिन में वह कार्य खत्म भी होने वाला नहीं है, उसमें कुछ समय लगेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर कोई नया सुझाव है तो बाहर उस पर विचार हो सकता है, यहां पर अगर अब इस पर चर्चा होगी तो इसमें सदन का समय जायगा। अगर कोई समय सरकार देना चाहती है और समझती है कि एक रोज में यह काम खत्म हो जायगा तो दे सकती है। मेरा खयाल है कि नियमों के बारे में बहस होगी तो कम से कम वह सदस्य जो समिति में नहीं थे वह भी अनुभव रखते हैं कि उनको इस प्रक्रिया में पिछले ५ साल में क्या अड़चनें पड़ीं और उनको भी नियमों के बनाने में दिलचस्पी हो सकती है, तो सर्वसम्मति कमेटी की तो है लेकिन यहां उसपर बहस हो सकती है, क्योंकि माननीय सदस्यों को अब स्वयं अनुभव है और नियमों के विचार में समय लगे। इसका विचार आप कर लें। यह तो स्पष्ट है कि एक रोज में यह बहस खत्म होने वाली नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं इतना ही सुझाव दूंगा कि आप बाहर बात कर लें और किसी निर्णय पर आ जायें तो मैं और आदरणीय सदन उसे स्वीकार कर लेंगे। नहीं तो खूब गौर करके क्योंकि नियम बार-बार नहीं बदलते और जल्दी-जल्दी में यह काम नहीं हो सकता इसलिये अगले सेशन में पहले इन्हीं नियमों को रख लिया जाय, यह सुझाव स्वीकार हो जाता है तो हमें अधिकार हो जाता है कि सरकारी और असरकारी काम के पहले, सबसे पहले, अगले सेशन में हम इन्हें ले लें।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---मान्यवर, आपकी इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि अगला सत्र जब हो तो सबसे पहले आर्डर पेपर पर प्रक्रिया नियमावली के मसविदे को रख दिया जाय। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय उपनेता सदन से दरियाफ्त किया था। उन्होंने अपनी दिक्कत बयान की थी कि अभी सरकार ने इन नियमों के सम्बन्ध में अपनी राय

कायम नहीं की है। इसीलिये मैंने आग्रह नहीं किया। जब सरकार ने अपनी राय म नहीं की है तो उनके पेश कराने से कुछ प्रयोजन नहीं होगा। वह तो विचार के बाद वीकार होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—नेता सदन, क्या आप इसको स्वीकार करते हैं कि इसको अगले त्र में सबसे पहले रख दिया जाय ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां, मैं समझता हूं कि यही अच्छा होगा।

वर्तमान शासन प्रणाली की जांच करने के लिए कमीशन नियुक्त करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)—माननीय अध्यक्ष, मैं उस दिन बोल रहा था और अपनी तकरीर खत्म नहीं कर पाया था, कुछ अर्ज करना रह गया था।

इसमें कोई शक नहीं है कि श्री रामगोपाल जी के प्रस्ताव पर बहुत काफी रोशनी पड़ चुकी है। मेरे खयाल में यह बात भी तय हो चुकी है कि जो तरीकेकार अख्तियार किया गया है वह जम्हूरियत के उसूल के खिलाफ है। जम्हूरियत में यह जरूरी है कि वह बात की जाय कि जो अवाम की राय से ताल्लुक रखती हो और अवाम की राय किसी बात को तय करने से पहले ले ली जाय। मेरे खयाल में एक ही आदमी के सुपुर्द इस चीज को कर देना उसूल के खिलाफ है। सन् ३७ में सरकार ने यह तय कर दिया था कि सरकारी नौकरों के मुताल्लिक जो कुछ होगा वह एक उसूल और कायदे के मुताबिक होगा और एग्जिक्यूटिव आर्डर के मातहत किया जायगा और आज़ादी के बाद यह तय हुआ था कि सरकारी मुलाजिमों के मुताल्लिक जो काम किया जायगा वह हाउस के जरिये से तय होगा।

उसके बाद हमने तय किया कि हम जम्हूरियत के उसूल पर चलेंगे और जम्हूरियत के माने हैं कि उस में राय आम्मा का काफी दखल हो। माननीय सदस्य सब से पहले जिस चीज पर नजर डालें वह यह है कि अपने जमाने में अंग्रेजों ने यहां एक ऐसी कौम कायम कर रखी थी, जिसको जमींदार कहते थे और जिसकी जमींदारी का खात्मा किया गया ताकि हुजूर और मजदूर का बटवारा बाकी न रह जाय। जो अंग्रेजों के जमाने के अफसरान थे उनमें हजूरियत जरूरत से ज्यादा थी। हमारे ऊपर के अफसर जिनको आई० सी० एस० का नाम दिया जाता है वे इंगलैन्ड में तालीम पाते थे। उस तालीम का यही मकसद होता था कि उनको यह सिखाया जाय कि तुम दूसरों से सुपरफाइन हो, तुममें और दूसरे हिन्दुस्तानियों में कुछ फर्क है, तुम अंग्रेजों के नजदीक हो और हिन्दुस्तानियों से दूर हो, तुम्हारा यह काम है कि तुम उन पर सख्ती करके सरकार की गाड़ी चलाओ।

आज यह ठीक है कि हम आजाद हो गये हैं और यह भी सही है कि उसमें बहुत से अफसर हैं जिन्होंने अपने को बदल लिया है। मगर यह भी सही है कि बाज में आज भी वह झलक दिखाई देती है। इसके बहुत से उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अभी ८-१० रोज हुये मैं यहां मेडिकल कालेज में गया, एक मरीज को दाखिल कराना था। सुबह से लेकर १ बजे तक इंतजार करता रहा। १ बजे के बाद वहीं अस्पताल के एक साहब ने बतलाया कि आप मिल लीजिये बड़े साहब से, वह दफ्तर में बैठे हुये हैं। तो हम जब गये तो जो साहब वहां थे उन्होंने पूछा कि आप कैसे तशरीफ ले आये, आपको पहले पर्चा बनवाना चाहिये था। मैंने उनसे बताया कि एक मरीज की जिन्दगी मौत का सवाल था, काफी इंतजार के बाद मैंने यह तय किया। इससे मालूम यह होता है कि मेरा वहां इस तरह से जाना उनको बहुत नागवार गुजरा।

बहरहाल, अफसरान में वह चीज अब भी बाकी है। मिसाल के तौर पर, जब सरकारी अफसरान ने यह देखा कि कांग्रेस सरकार अपनी मोटरें वापस लेना चाहती है और इस किस्म

[श्री शब्बीर हसन]

की चर्चा होने लगी, तो मेरे खयाल में अफसरान की नैनीताल में कोई कमेटी बैठी और उसमें यह तय किया कि जब मोटरें जा रही हैं तो हम अपना भत्ता बढ़ा दें। सेंटर के अफसरान को ८ आना मील भत्ता मिलता है, हमारे यहां के अफसरान ने १० आना से १३ आना तक तय कर लिया। उधर तो यह कहा जाता है कि छोटी बचत की जाय और अफसरान उस बचत को इस अंदाज में पेश करते हैं कि अपना भत्ता बढ़ा लिया! यह उनकी हमदर्दी हमारी जनता के साथ, खुद सरकार और मुल्क के साथ है। तो जो मशीनरी सन् १९४७ के पहले थी उसमें आज भी पुलिस के सिपाही से लेकर एक आई० सी० एस० तक में वह चीज झलकती नजर आयेगी।

ऐसी हालत में के० के० दास साहब के हाथ में लोगों की किस्मत दे देना मेरे खयाल में जम्हूरियत का खून है। आप यह यकीन रखें, दूसरे मुल्कों में भी जम्हूरियत थी और जब जम्हूरियत कमजोर हुई तो आमरियत ने सर उठाया और उसका सर उठाना उसी मुल्क के लिये नहीं, दुनियां के लिये जहमत हो गई। यूनान में आज से बहुत पहले जम्हूरियत थी मगर जब वहां की जम्हूरियत कमजोर हुई तो वहां की आमरियत ने सर उठाया और ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत गई कि उन्होंने सड़कों के बजाय इन्सानों पर गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया। हमने जब जम्हूरियत को अपनाया तो यह जरूरी है कि उसको मजबूत बनाने के लिये कोई ऐसी गलती न करें जिससे जम्हूरियत पर कुल्हाड़ा चले।

इसलिये मेरे लायक दोस्त रामगोपाल गुप्त जी ने जो रेजोल्यूशन रखा है वह आज के माहौल के मुताबिक है और उस पर एक नजरसानी करनी चाहिये और अवाम को एक मौका देना चाहिये, उसकी राय मालूम की जाय। आज इस जमाने में हमने इस किस्म की गलती की तो हो सकता है कि इससे ज्यादा नुकसान पहुंच जाय। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि जब हमने एक उसूल को अपनाया है और जिसके ऊपर एक दिन नहीं वर्षों जद्दोजहद की है, आज हमको मौका मिला है कि हम खुद ही नहीं बल्कि दुनियां के दूसरे मुल्कों को भी चैन और अमन से रहने दें। चैन अमन का यही एक उसूल है जहां जम्हूरियत होगी और ताकतवर होगी वहां अमन और चैन रहेगा।

(इस समय १२ बजकर २९ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री मलखान सिंह, पीठासीन हुये।)

उस दिन एक साहब ने कहा था कि जो लोग नौकर हैं वे भी तो हमारे ही भाई हैं। तो उसका जवाब मैं यह दूंगा, जरा गौर फरमायें, कि जिन्होंने चन्द्र शेखर आजाद को गोली मारी थी वे भी हमारे भाई ही थे, जिन्होंने आजादी के सिपाहियों के ऊपर हंटर चलाये थे वह भी हमारे भाई थे। यह भी सही है कि हालात के साथ वह बदल गये हैं और उनको बदलना चाहिये, आज नहीं तो कल वह बदलेंगे बशर्ते कि हम अपनी जगह मजबूत रहें। कहीं ऐसा न हो कि हमारी कमजोरी उनको अपने रंग पर ले आये। इसलिये जरूरी है कि इस जम्हूरियत को हम अपनी हर चीज की कुर्बानी करके जिन्दा रखें और उसके लिये जरूरी है कि हर मामले में हम जम्हूर की राय को वजन दें। एक आदमी के०के० दास के हाथ में सारे सेक्रेटेरियट के मुलाजमीन का फैसला दे देना, यह बिलकुल नामुनासिब बात है। उन सेक्रेटेरियट के मुलाजमीन के मुताल्लिक पहले तो यह तय था कि उनकी सर्विसेज में तबादले नहीं होंगे लेकिन आज आप उनका तबादला करने जा रहे हैं। आप गौर फरमाइये कि जब इतने बड़े सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन दूसरे शहरों को, दूसरी जगहों को जायेंगे तो उसमें कितना खर्च होगा, सरकार का कितना रुपया उनके तबादले पर खर्च हो जायगा। वही लाखों रुपया बचा के हम दूसरे कामों में लगा सकते हैं। फिर जब हम उनके वायदे के खिलाफ उनको दूसरे शहरों में भेजने की सोच रहे हैं तो क्या यह जरूरी नहीं है कि यह चीज सदन में आये? सदन इसको तय करे कि उनको जाना चाहिये या नहीं जाना चाहिये इसलिये कि आज हम उनसे तयशुदा बात के खिलाफ करने जा रहे हैं। इसके साथ मैं माननीय रामगोपाल गुप्त के रेजोल्यूशन की दिल से ताईद करता हूं और मैं यकीन करता हूं कि लोग इसके मुताल्लिक सोचें।

(श्री अधिष्ठाता ने श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे का नाम पुकारा।)

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---श्रीमन्, मैं क्लोजर मूव करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---अब दुबे जी के बाद करियेगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आ इस सदन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वादविवाद होने जा रहा है जिसके बार में बजट सेशन के दौरान में अपने-अपने ढंग से चाहे इधर के लोग हों, चाहे उधर के हों, सभी ने एकमत होकर यह आज की जो सरकारी कर्मचारियों की शासन पद्धति इसमें परिवर्तन करने के बारे में कहा है। होना भी चाहिये, श्रीमन्, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न सामने खड़ा होता है कि हम प्लानिंग के अनुसार अपने गांवों का डेवलपमेन्ट करते जा रहे हैं। डेवलपमेंट के भी सारे कार्य भिन्न-भिन्न विभागों के ही कार्य हैं।

कृषि के डेवलपमेन्ट का जहां प्रश्न है, वह कृषि विभाग के द्वारा भी हो सकता है, किया भी जा सकता है परन्तु आज धीरे-धीरे यह प्लानिंग विभाग सब विभागों के ऊपर एक सुपर-डिपार्टमेन्ट का रूप लेता जा रहा है। तो स्वभावतः प्रश्न यह खड़ा होता है कि जिस समय यह कार्य इंटेंसिव प्लानिंग ब्लाक के स्टेज पर हो जायगा उस समय भिन्न-भिन्न विभागों के कर्मचारियों और यह प्लानिंग के कर्मचारियों का जो द्वैत खड़ा हो रहा है उसका क्या हल होगा, क्योंकि अगर इसका हल न किया गया तो इस द्वैत की भावना से बड़ा संघर्ष होगा और ब्यूरोक्रेसी का, श्रीमन्, बड़ा भारी गुण है कि उसमें डिपार्टमेन्टों का आपस में बड़ा संघर्ष हुआ करता है और बड़ी खींचातानी आपस में होती है। एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी को ठेलने का प्रयास होता है, जहां इस प्रकार का द्वैत होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि प्लानिंग विभाग की ओर से जो अच्छे किस्म के बीज वितरित किये जाते हैं उसके खरीदने का जिम्मा ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के ऊपर होने के कारण कोई भी त्रुटि होती है तो कोई उसको लेने को तैयार नहीं है। अगर गांवों के अन्दर समय से बीज न मिल सका तो प्लानिंग के कर्मचारी यह कहते हैं कि वह तो कृषि विभाग के द्वारा आना चाहिये था और कृषि विभाग कहता है कि इन्होंने समय से इंडेंट नहीं किया। भगवान जाने दोष किसका है? हानि होती है किसानों की। तो इस द्वैत का निपटारा करने के लिये यह आवश्यक है कि आज सब ओर के लोग एक कमेटी या कमीशन के आधार पर बैठकर विचार करें कि यह जो आज तक की पद्धति थी इसको कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं कि जिससे एफिशियेंसी नष्ट न हो। रिआर्गेनाइजेशन होना अच्छा है। परन्तु रिआर्गेनाइजेशन का यह अर्थ नहीं होना चाहिये कि एफिशियेंसी नष्ट हो। लेकिन एफिशियेंसी बढ़ाना, इसके यह भी अर्थ नहीं होने चाहिये कि inefficiency बढ़े। एकानामी के साथ-साथ एफिशियेंसी होनी चाहिये और इस दृष्टिकोण से इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार का कमीशन सरकार नियुक्त करे।

दूसरी बात, श्रीमन्, यह है कि आज का जो राज्य का ढांचा है, सरकारी कर्मचारियों का जो ढांचा है इसका निर्माण अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुरूप किया था और उनका दृष्टिकोण और ध्येय केवल policing ही एक मात्र था कि किस प्रकार हम देश के अन्दर पुलिस के आधार पर, शक्ति के बल पर, एक श्मशान घाट की शांति कायम रख सकें, जिस शांति के नाम पर वे अपनी दृष्टि से देश का पूर्णरूपेण एक्सप्लायटेशन कर सकें। आज स्वतंत्रता के बाद क्या देश को उस ढांचे की जरूरत है? मैं तो कहूंगा, श्रीमन्, नहीं है। इस ढांचे के बारे में, आज से २०० वर्ष पूर्व जिस समय कि आयरलैन्ड में अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था और लार्ड केविंडिश ने इसी प्रकार का ढांचा बना कर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था, उस समय पार्लियामेंट में जब वादविवाद हो रहा था तो

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

Sir Edmund Burke ने उस ढांचे को कंडम करते हुये, उसकी सारी बुराइयों का दिग्दर्शन कराते हुये बड़े मार्मिक शब्दों में कहा था :

"By this structure you can rule, you can misrule and abuse the people and destroy their capacity and character and perpetuate your misrule for ever".

इसका अनुवाद इस प्रकार है "इस ढांचे के आधार पर बड़ी सुविधा के साथ आप अन्याय कर सकते हैं, राज्य भी कर सकते हैं, देश का दमन भी कर सकते हैं और उस देश के लोगों के स्वाभिमान और स्वावलम्ब को भी नष्ट कर सकते हैं, जिस नष्टता के आधार पर आप सर्वदा के लिये अपने राज्य की स्थापना का प्रयास सफलतापूर्वक कर सकते हैं।"

जिले के स्तर पर आप देखें तो कलेक्टर या जिलाधीश जिसे कहते हैं वह तो बिलकुल एक सर्वशक्तिमान सर्वगुण सम्पन्न व्यक्ति माना जाता है और उसके ऊपर कार्य का इतना बोझ होता है कि वह सारे कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सके यह संभव नहीं है। मैं एक उदाहरण दूं। हम लोग एम० एल० एज० हैं, जनता के चुने हुये प्रतिनिधि माने जाते हैं। परन्तु, श्रीमन्, दुख का विषय है कि हम कोई बात कहते हैं तो सरकार उस बात का खंडन करने के लिये कलेक्टर की बात को सामने रखती है, उसी की दी हुई रिपोर्ट को सामने रखती है और हम यहां कलेक्टर की धज्जियां उड़ा सकते हैं। लेकिन कोई बात अगर हमने कही तो उसी कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर सरकार तर्क उपस्थित करती है। तो मैं पूछता हूं कि हमारी बातों का सरकार ने क्या मूल्य रक्खा ? यह तो अंग्रेजों के काल में ऐसा होता था। आज से २० वर्ष पहले इसी माननीय सदन की प्रोसीडिंग्स आप उठा कर देखें। जब भी कोई बात इस पक्ष की ओर से कही गई उस समय के सत्तारूढ़ दल ने उस बात का खंडन किया और खंडन करते हुये यही कहा कि अधिकारियों की यह रिपोर्ट है और आज भी उसी प्रकार खंडन किया जाता है और अधिकारियों की रिपोर्ट ही उस खंडन की आधारशिला होती है।

अगर यह मान लें कि हमारी जनतंत्रीय सरकार यह विश्वास करती है कि जनता के चुने हुये लोगों का कोई मूल्य नहीं है तो मैं कम से कम इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। परन्तु मैं, श्रीमन्, यह अवश्य कहूंगा कि आज की सरकार जिस शासन पद्धति के अनुसार शासन चलाने का प्रयास कर रही है वह स्वयं उस पद्धति की कैदी हो गई है। कैदी हो गई है इसके लिये मैं, श्रीमन्, उदाहरण दे सकता हूं। इस माननीय सदन के अन्दर यहां भी और विधान परिषद् में भी बहुत बार बहस के दौरान में इस बात की मांग की गई कि सरकार माननीय सदस्यों की एक जांच कमेटी बनाये।

मैं आज तक नहीं समझ पाया कि जांच कमेटी बनाने में आपत्ति क्या है। क्या माननीय सदस्य इस सदन के, जो जांच कमेटी में होंगे, क्या उनके अन्दर उतनी क्षमता नहीं है कि उस बात का विश्लेषण वह उचित रूप से कर सकें ? माताटीला डैम के बारे में जब जांच कमेटी आप बनाते हैं तो राजकर्मचारियों की बनाते हैं जिनके ऊपर स्वयं आक्षेप लगाये जाते हैं। उनकी उपस्थिति से वहां गड़बड़ी हो सकती है। यह कहा जाता है कि टेक्नीकल बात की जांच करने के लिये टेक्नीकल आदमियों की आवश्यकता है, परन्तु क्या, श्रीमन्, साधारणतया किस स्थान पर क्या गड़बड़ी हुई है, क्या गलती है, इसकी जांच करने के लिये क्या दोनों सदनों के माननीय सदस्यों में किसी में इतनी क्षमता नहीं रह गयी है, यह मैं कैसे मान लूं ? आज तो, श्रीमन्, आवश्यकता यह थी कि जो जनता के चुने हुये प्रतिनिधि हैं उनका स्तर ऊंचा किया जाय और उसका एक ही उपाय है कि आज की शासन पद्धति के अन्दर आप परिवर्तन करें।

श्रीमन्, आपने लोकल बाडीज बनायी हैं और उनका वही रूप रखा है जो अंग्रेजों के काल में था। आज लोकल बाडीज का चेयरमैन बिलकुल वहां के कलेक्टर के अंगूठे

के नीचे दबा हुआ रहता है। आज वही आदमी जो कल किसी लोकल बाडी का चेयरमैन था आज अगर चुन कर यहां आता है और मंत्री हो जाता है तो कल जो वह कलेक्टर के अंगूठे के नीचे दबा हुआ था और जिसके बारे में कहा जा सकता था कि लोकल बाडी का प्रबन्ध ठीक तौर से जांचने के लिये उसको बदल देने की आवश्यकता है, अगर वह एलेक्शन के बल पर मिनिस्टर हो जाता है तो उसको इतना अधिकार हो जाता है कि वह कलेक्टर को बदल सकता है। आज उन लोकल बाडीज के स्तर को ऊंचा उठाना है तो उनके अधिकारों का परिवर्तन करना पड़ेगा और उसके लिये, श्रीमन्, यह कलेक्टरों का जो स्वरूप जिलों में है, वह बड़ा भयानक स्वरूप खड़ा किया गया है। मैं तो कहूंगा कि वह "कम्पलीट डिक्टेटर आफ ए यूनिट" है। इस रूप को आपको बदलने की आवश्यकता है, और, श्रीमन्, यह बदल जायगा जब आप डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। उससे मेरा यह अर्थ न रखा जाय कि केंद्र को किसी स्थिति से हम कमजोर करना चाहते हैं। केंद्र हमारा शक्तिशाली होना चाहिये, चाहे वह प्रांतीय केंद्र हो या भारतीय हो, लेकिन ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं जो स्थानीय स्तर पर बहुत आसानी से दूर की जा सकती हैं। मैं कहता हूं कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को जिनका एलेक्शन ११ साल से नहीं हुआ, क्यों नहीं समाप्त किया जाता और इनका स्टेटस ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता जैसा कि इंगलैन्ड में काउंटी कौंसिल का है। क्या मैं यह मान लूं कि हमारे देश में इतनी क्षमता नहीं रह गयी? मैं, श्रीमन्, एक निवेदन करूंगा कि समय थोड़ा होने के कारण अगर श्रीमन् ५ मिनट दे दें तो मैं आपका बड़ा आभारी हूंगा।

श्री अधिष्ठाता—आप दो मिनट और बोल लें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—श्रीमन्, एक जनतंत्र के अन्दर आवश्यकता है कि लोगों का एसोसियेशन होना चाहिये। शासन की किसी बाडी के साथ वह एसोसियेशन नहीं हो पा रहा है। आज, श्रीमन्, प्लानिंग की कमेटी बनाते हैं तो उसको कलेक्टर के द्वारा निर्मित बनाते हैं। मैं अपना व्यक्तिगत मत बतलाता हूं कि वह कमेटी जिसका चेयरमैन कलेक्टर है, उसमें मैंने जाना छोड़ दिया, क्योंकि किसी भी एलेक्टेड रेप्रेजेंटेटिव के लिये किसी भी अफसर की चेयरमैनी में किसी कमेटी में जाना उसके स्वाभिमान के विरुद्ध है। क्यों नहीं आप ऐसी कमेटियों को ऐसे लोगों की चेयरमैनी में बनाते हैं जो जनता के चुने हुये लोगों में से हों? अगर किसी अफसर को उसमें रखने की आवश्यकता है तो वह अफसर उस कमेटी के अधीन हो, चाहे वह प्लानिंग कमेटी हो, म्युनिसिपल बोर्ड हो या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो। आज अफसरों के अधिपत्य में इन बाडीज को लाने का परिणाम यह है कि इसी सदन में कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी आज सरकार के हाथों से भागी जा रही है, आज उस पर सरकार का इतना कंट्रोल नहीं रह गया है जितना कि होना चाहिये। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि यह तो ऐसा घोड़ा है कि अगर इसके ऊपर ठीक से सवारी नहीं की गयी, अगर ठीक से रास नहीं रखी गयी तो यह हाथ से निकल जायगा और आप पर सवारी करेगा, आपको फेंक देगा।

मैं एक उदाहरण बताऊं कि कैसे यह हो रहा है। मैंने तो पहले कहा कि यहां के सेक्रेटेरियट से जो स्थानीय सरकुलर्स जाते हैं वह तभी पहुंचते हैं जब सारी कठिनाइयां समाप्त हो चली होती हैं। जौनपुर म्युनिसिपैलिटी में एक सर्कुलर गया जिसमें चेयरमैनों से राय पूछी गई थी कि फलां-फलां कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये क्या क्या क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिये। इस सर्कुलर में लिखा गया था कि उनकी राय १५ अप्रैल तक पहुंच जानी चाहिये, लेकिन वह सर्कुलर १५ मई को पहुंचा जब कि राय भेजने की तारीख से भी एक महीना ज्यादा बीत गया। क्या यह ऐडमिनिस्ट्रेशन की ऐफीशियेंसी है? क्या यह ऐडमिनिस्ट्रेशन को कस कर रखा गया है और ठीक से चलाया जा रहा है?

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

तो कहना पड़ेगा कि नहीं। इसलिये, श्रीमन्, मैं कहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी की आदत है कि वह अपने को लाल फीते के साथ बढ़ाती चली जा रही है और सरकार के जो शासन कर्त्ता होते हैं वह अक्सर लाल फीते में बंधकर समाप्त हो जाते हैं। तो, मुझे भय है कि कहीं यह खतरा न खड़ा हो जाय।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य का केवल एक मिनट समय शेष है और समय बढ़ नहीं सकता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---इसके लिये आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अब एक ही बात कहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है।

जैसा कि अन्य देशों में ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करके रखा गया है उसी तरह से यहां पर भी होना चाहिये और ब्यूरोक्रेसी में से भेद को मिटाना चाहिये जो कि आज सेक्रेटेरियट के कर्मचारियों में और अन्य विभागों के कर्मचारियों में ८० रुपये और २०० के बीच का भेद भाव रखा गया है, उसको मिटाया जाय। अगर इस भेदभाव को दूर नहीं किया गया तो यह बहुत बुरी बात होगी। अगर एकानामी करना है तो ऊपर से करें; नीचे से क्यों कर रहे हैं? श्रीमन्, अन्त में मैं एक और निवेदन करूंगा कि ब्यूरोक्रेसी के होल्ड को ठीक करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार इसके लिये एक जांच कमीशन की नियुक्ति करे।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। इसलिये पहले उनको मौका दे दिया जाय तो मैं जवाब दे दूंगा।

श्री अधिष्ठाता---फिर आपको बोलने का मौका नहीं रहेगा क्योंकि उनकी लास्ट स्पीच होगी।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---अधिष्ठाता महोदय, ...

श्री अधिष्ठाता---जो कायदा है, नियम है वह यह है कि मैं पहले उनको समय दूं। अगर वह नहीं बोलना चाहेंगे तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बोलने के लिये कहूंगा।

श्री त्रिलोकीसिंह---जैसी आपकी आज्ञा।

श्री रामगोपाल गुप्त---अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसमें पिछले दिन से आज तक बहस होती रही है। मैंने उस बहस को बड़े ध्यान से सुना और मैं उन तमाम सदस्यों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इसके समर्थन में अपना वक्तव्य दिया है। मैं सिर्फ सदस्यों को ही नहीं बल्कि उन तमाम अखबारों को भी जिन्होंने अपनी खबरों के द्वारा और अपने सम्पादकीय लेखों के द्वारा मेरी उस मंशा का समर्थन किया जिसको मैंने इस सदन के सामने उपस्थित किया है धन्यवाद देता हूं। सदन के सामने यह प्रस्ताव मैंने कोई बिना विचार के नहीं प्रस्तुत किया है। यह तो जो मेरी २७ वर्ष की जन सेवा का अनुभव है उसका निचोड़ है जो मैंने, जब मुझे इस सदन में चुन कर आने का मौका मिला, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। इस विषय में बहुत सी बातें कही गयीं। हमारे दो माननीय सदस्यगण, श्री सुल्तान आलम खां और श्री रामेश्वर

प्रसाद जी ने इसकी कुछ मुखालिफत सी की। मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने प्रस्ताव की भाषा को ध्यान से पढ़ा होता तो ऐसा न करते और मुझे आशा है कि अब उन्होंने उसे ध्यान से पढ़ लिया होगा और अपने विचारों को बदल दिया होगा।

माननीय वित्त मंत्री ने पिछले दिन मेरे प्रस्ताव की मन्शा से तो सहमति प्रकट की लेकिन उन्होंने यह कहा कि कमीशन इस मसले को हल नहीं कर सकता। उन्होंने एक बात यह कही कि सन् ३७ से लेकर आज तक का जो उनका अनुभव है वह यह है कि कमीशन या कमेटियां तो ऊपर-ऊपर की बातों पर विचार करती हैं, लेकिन अन्दर की बातों पर अच्छी तरह से विचार नहीं कर सकतीं। उनके कहने से मुझे ऐसा लगा कि उनके खयाल से अन्दरूनी बातों पर अच्छी तरह से विचार एक ही आदमी कर सकता है। मैं बहुत ही नम्र शब्दों में यह कह देना चाहता हूं कि मैं उनकी राय से कतई सहमत नहीं हूं। बदकिस्मती से इस वक्त वे यहां नहीं हैं लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सन् ४६ में जो पे कमीशन यहां पर बैठाया गया था, जिसके वे एक सदस्य थे और आज के मुख्य मंत्री उसके चेयरमैन थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि शासन का कौन सा ऐसा कार्य था जिस पर उस पे कमीशन ने विचार नहीं किया और अपनी रिपोर्ट नहीं दी। मैं समझता हूं कि आज यह लोगों का तकाजा है और जन-जन की पुकार है जो प्रस्ताव मैंने सदन में पेश किया है।

बहुतों से लोगों का यह खयाल है कि यह सरकार पर कोई सेंश्योर मोशन है। वित्त मंत्री जी के भाषण से तो ऐसा मालूम हुआ कि मानो वह कहते हैं कि क्या यह सरकार निकम्मी हो गयी है? मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस सरकार को बनाने में अगर कहीं के लोगों का कुछ अंश है तो मेरे जिले का सेंट परसेंट अंश है। मैं इस सरकार को निकम्मी कहने के लिये तैयार नहीं हूं और जिन भाइयों का यह खयाल है कि यह सेंश्योर मोशन है उनका खयाल गलत है। मैं तो इस संकल्प द्वारा सरकार का ध्यान उस समस्या की ओर खींचना चाहता हूं जिसकी ओर देश के एक-एक आदमी का ध्यान है और मैं चाहता हूं कि हमारा प्रदेश जो पुराने जमाने से लेकर आज तक हर चीज में अगुवा रहा है, इस चीज में भी सारे देश को मार्ग दर्शन दे। अगर आज हम यह समझें कि हम यह काम नहीं कर सकते, इस शासन प्रणाली को कैसे बदलें, तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं।

अगर संसार के इतिहास का आप अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अगर हमने इसको नहीं बदला तो फिर जनता बदल देगी और इसके लिये फ्रेंच रवोल्यूशन को देखिये फिर गांधीजी के सिद्धांत इस देश को बचा नहीं सकते। हमने बुद्धिज्म का यहां पर ह्रास देखा और वह दूसरी जगह पनपा। यह इसीलिये हुआ कि उनके अनुयायी उसका ठीक-ठीक यहां पर संचालन नहीं कर सके। इसलिये मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहता हूं कि अगर समय की पुकार को हम लोगों ने जिनको जनता ने चुन कर यहां भेजा है, नहीं सुना तो, गांधी जी के सिद्धांत इस परिस्थिति को कायम नहीं रख सकते और फ्रांस की वह परिस्थिति पैदा हो जायगी जब एक रात में ८ हजार बड़े-बड़े सरकारी अफसर गिलोटिन कर दिये गये थे। मैं यह नहीं कहता कि हमारे नेता सदन और जिनके ऊपर इस शासन के चलाने की जिम्मेदारी है इस बात पर विचार नहीं करते। उनके लिये मेरे हृदय में बड़ी इज्जत है और उनका अनुभव मुझसे महान है। लेकिन यह चीज बहुत ही आवश्यक है।

माननीय मोतीलाल जी ने यह कहा कि उनको यह डर है कि मैं इस संकल्प को वापस ले लूंगा, अखबारों में मेरा नाम निकल जायगा और मेरा प्रोपेगेंडा हो जायगा। मैं उनसे बहुत अदब के साथ कहना चहता हूं कि प्रोपैगेंडा वाली स्टेज अब हमारी गुजर चुकी है। बहुत प्रोपैगेंडा हो चुका है, बहुत अखबारों में नाम निकल चुका है, और उस सबको पार कर के हमको फांसी के तख्ते पर से फिर यहां वापस आना पड़ा है। यह तो प्रस्ताव मैंने इसलिये पेश किया था कि हम सब विचार करें, प्रदेश की जनता विचार करे, हमारी इंटेलीजेंशिया

[श्री रामगोपाल गुप्त]

विचार करे और इसके साथ-साथ में उन अधिकारियों को बता देना चाहता हूं कि हमने अभी महात्मा गांधी के साथ, उनके विचारों के साथ, अपना नाता तोड़ा नहीं है। हमने उनके उपदेशों के अनुसार हृदय परिवर्तन की प्रणाली को स्वीकार किया है। हमने चाहा है कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाय और मैं तो ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि बावजूद उन तमाम बातों के इस शासन प्रणाली के अधिकारियों का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ।

इसलिये मैं आप से कहता हूं कि मैंने बहुत ही नम्र सुझाव पेश किया है, मेरा प्रस्ताव बहुत ही गरीब है, इन्नोसेंट है और किसी के ऊपर अविश्वास करने वाला नहीं है, किसी को हानि पहुंचाने वाला नहीं है। वह महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा और दूसरे को तकलीफ न पहुंचाने का सब से बड़ा प्रतीक है और अगर आपने मेरे प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया, उसकी मंशा को मंजूर नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि आज नहीं तो कल, आप उसको मंजूर करेंगे।

आपने मेरी पूरी-पूरी बात मानी लेकिन कहा कि कमीशन नहीं बैठायेंगे। मेरा खयाल है कि आपने बीसियों कमीशन बैठाये है। इसके बारे में यह कहना कि इससे कोई काम न होगा, अथवा कमीशनों से कोई काम नहीं होता, मैं नम्र शब्दों में इसके लिये कहना चाहता हूं कि यह कहना सारे सदन पर अविश्वास करना है। आखिर उन कमीशनों में हम सब ही तो होते हैं और जब से यह सदन स्थापित हुआ है तब से आज तक जाने कितनी बार, जाने कितनी जगह आपने कमीशनों में और कमेटियों में अपनी रायों का इजहार किया है और उस जमाने में भी, जबकि हम गुलाम थे, हमने प्लानिंग कमीशन बनाया था, नाना प्रकार के कमीशन बनाये थे। अगर यह बात गलत है कि हम कमीशन में बैठ कर ठीक काम नहीं कर सकते तो मेरा खयाल है कि इस पर आपको विचार करना होगा।

इसके अलावा एक बात और मेरी समझ में नहीं आई कि कमीशन तो काम नहीं कर सकता, कामयाब नहीं हो सकता लेकिन एक आदमी का रिआर्गेनाइजेशन कमीशन काम कर सकता है। यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं और इसके अतिरिक्त मैं आप से एक बात कहता हूं कि बहस के दौरान में मैंने देखा कि मेरे प्रस्ताव का माननीय सदस्यों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से समर्थन किया। कई प्रकार के व्यक्तिगत आक्षेप भी उन्होंने किये, नाम लेकर तो नहीं किये लेकिन उनका इशारा ऐसा ही था। मेरी मंशा किसी व्यक्तिगत अधिकारी पर आक्षेप करने का नहीं थी। मैं तो कहता हूं कि उनमें बहुत शानदार आदमी हैं और इसीलिये मैंने कहा था कि जो रिपोर्ट आई हैं उन पर बहुत से आदमियों को इख्तलाफ है, विरोध है और असहमति हैं। इसमें जो मैंने नान आफिशियल्स को शामिल करने की बात कही है वह इसलिये कि बहुत से रिटायर्ड और दूसरे अनुभवी व्यक्ति ऐसे हैं कि जो शासन प्रणाली के संबंध में, पोलिटिकल साइन्स के सिलसिले में अच्छे ज्ञाता हैं। मैं तो अपने को अनुभवी नहीं समझता लेकिन इस सदन में बहुत से दूसरे माननीय सदस्य ऐसे हैं जो हमें इस बारे में बहुत अच्छी राय दे सकते हैं। इसलिये मैंने इस प्रस्ताव को आपके सामने पेश किया था।

जहां तक सेक्रेटेरियट के रिआर्गेनाइजेशन का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों से बहस के दौरान में मेरे से बात हुई, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हो सका। मैं नहीं समझता कि यह मोशन कांग्रेसी बेंचेज की तरफ से कोई अपोजीशन की बात है। इस प्रस्ताव और संकल्प का मंशा किसी प्रकार से सेंश्योर करने का नहीं है। इसका मंशा यह है कि वह अधिकारी जिन पर हम विश्वास करते हैं और जिनको हम चाहते हैं कि वह शासन की जिम्मेदारी महसूस करें, वह इस बात को सोचें कि उनका क्या कर्त्तव्य है। आज आप दूसरे प्रदेश के और अपने प्रदेश के अखबारों को देखें कि वह क्या कहते हैं। एक बात और

कहता हूं कि इस मसले को आप जनता के सामने भेज दीजिये। उनकी राय लीजिये कि यह मशीन जो हमारे शासन को चला रही है, हमारी योजनाओं को जिसे कार्यरूप देना है, जिसके ऊपर इस सारे काम की जिम्मेदारी है उसके बारे में उसका क्या खयाल है। मैं आपसे कहता हूं कि यह बात ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। हमें तो जनता को कांनफीडेंस में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इस संकल्प को बिना सोचे समझे पेश कर दिया है। मुझको बड़ी भारी जरूरत महसूस हुई कि आज इस जरूरी संकल्प को यहां पर उपस्थित करूं।

मेरे एक मित्र ने कहा कि यह अनटाइमली है, किन्तु मैं कहता हूं कि टाइम तो यही है "काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होयगी, फेरि करोगे कब।" यदि इसको हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? इसको हम करेंगे। मैं आपसे सचिवालय की बात कह रहा था कि मैं उससे सहमत नहीं हो सका। मैं आपको बताता हूं कि एक वक्त ऐसा हुआ कि एक उच्चाधिकारी यहां से बम्बई गये और बम्बई जाने का उन्होंने एक चपरासी का भत्ता भी ले लिया, किन्तु हवाई जहाज से वह उसकी जगह अपनी बीबी को ले गये थे। यहां पर उस चपरासी की हाजिरी थी; एक असिस्टेंट ने यह कहा कि यह भत्ता उन्होंने गलत लिया है। उस समय जो यहां पर चीफ मिनिस्टर साहब थे उन्होंने उस मसले को अपने पर्सनल अकाउन्ट से देकर खत्म कर दिया। मैं समझता हूं कि इस सेक्रेटरियट को खत्म करने से काम में किसी तरह का अड़ंगा नहीं आयेगा, यह बात गलत है। जो यह कहा जाता है कि रिआर्गेनाइजेशन से काम जल्दी हो जायगा, मैं कहता हूं कि बिल्कुल अंधेर हो जायगा।

२५ हजार बकरियों के लिये एक परमिट यहां से बना। जो लोग बुन्देलखंड के रहने वाले हैं वे जानते हैं कि इटावा जिले में बर्बरी बकरी बहुत होती हैं। एक साहब ने दूसरे देश के लिये यहां से २५ हजार बर्बरी बकरियों के परमिट के लिये प्रयत्न किया। वह हमारे यहां से उस नस्ल को ही समाप्त कर देना चाहते थे। उनके लिये २५ हजार बकरियों का परमिट बन गया। दैवयोग से एक असिस्टेंट ने उस पर आब्जेक्शन लगा दिया कि हम इस प्रदेश से नहीं दे सकते, वहां के कलेक्टर से पूछ लिया जाय। पूछने पर कलेक्टर महोदय ने कहा कि २५ हजार तो क्या, हम १० भी नहीं दे सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर यह सेक्रेटेरियट का असिस्टेंट नहीं होता तो यह २५ हजार बर्बरी बकरी हमारे यहां से चली जातीं और बर्बरी बकरी की नस्ल खत्म हो जाती।

मैं एक बात और आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं; मैं सुधारक मनोवृत्ति से उसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं। एक बार ऐसा हुआ कि इसी सचिवालय में एक असिस्टेंट की रिपोर्ट के विरोध में अन्डर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी दोनों ने अपनी रिपोर्ट लगा दी। उस समय के चीफ मिनिस्टर पं० गोविन्द बल्लभ पंत ने उस अन्डर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की रिपोर्ट को नहीं माना। उन्होंने उस असिस्टेंट की रिपोर्ट को माना। मैं आपसे पूछता हूं और बहुत अदब के साथ पूछता हूं कि मुहतरिम बुजुर्ग, अगर यह साधन आप हटा दें तो फिर आपको बताने वाला कौन रहेगा? मैं निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाय। आपका अनुभव बहुत लम्बा है। मैं तो अभी इस सदन में आया हूं और यहां के अनुभव के लिये दावा नहीं कर सकता कि मुझे कुछ अनुभव है। यदि इस सदन में रहा तो कुछ अनुभव हो जायगा। किन्तु इतना कहता हूं कि यदि आप रिआर्गेनाइजेशन कमिश्नर से पूछेंगे तो वह बतायेंगे कि जो रिपोर्ट उन्होंने दी है वह उससे स्वयं ही संतुष्ट नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इन तमाम बातों पर विचार करें और विचार करने के बाद सब तरफ से इस पर राय लें। उस राय का मानना या न मानना तो आपके हाथ में है। जन-जन की जो पुकार है उसको आप सुनें और इसी भावना को लेकर मैं आज इस संकल्प को इस सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे आशा है कि आप मेरी ईमानदारी और सच्चाई

[श्री रामगोपाल गुप्त]

पर विश्वास करेंगे। आप इस बात पर न जायें कि उधर के लोगों ने उसको सपोर्ट किया है। ऐसे प्रस्ताव पर तो लोग बोलेंगे ही, किन्तु यह ऐसी बात है जिस पर सबने खुले दिल से और ईमानदारी के साथ विचार किया है।

इस प्रस्ताव के द्वारा मैं उन सरकारी कर्मचारियों से भी कह देना चाहता हूं कि वह समझ लें कि उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। यदि आप जनता के उन विचारों को पूरा नहीं करेंगे और इसी प्रकार से चलते रहेंगे तो मैं उस रेवोल्यूशन की याद दिलाना चाहता हूं जो कि सब चीजों को तोड़ देता है। मैं 'टुक-टुक दीदम, दम न कशीदम' का मानने वाला नहीं हूं। इस पार्टी का हर शख्स, अगर शासन खराब होगा, तो उसको खतरे की घंटी बजाकर यह आवाज उठायेगा, बतायेगा और कहेगा कि इसको दूर किया जाय। मैंने इस संकल्प को उपस्थित करके खतरे की घंटी बजाई है। लेकिन यह संकल्प जो मैंने उपस्थित किया है वह किसी को तकलीफ देने वाला नहीं है, अहिंसात्मक है, इसको मंजूर किया जाय। अगर आज नहीं तो कल आप इसको मंजूर करेंगे, क्योंकि परिस्थिति उस तरफ चली जा रही है। मैं इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों से और विशेषकर जिनके हाथ में शासन का सूत्र है, उनसे प्रार्थना करूंगा कि कमीशन या जो भी नाम आप उचित समझें, बोर्ड या कोई और नाम रखकर आप इस पर विचार करें और अगसरेनौ इसको एग्जामिन करें कि इसमें क्या सुधार हो सकता है और इसमें कोई जल्दी की बात नहीं है। महीना, २ महीना, ४ महीने इस पर विचार किया जाय और एक सिद्धांत को मानकर आप इसको तोलें। अगर इसमें कोई कमी दिखाई दे तो उसको आप मंजूर करें। कमियों को गांधी जी भी मंजूर करते थे और यह जनता के सामने कहा करते थे कि मुझसे हिमालयन ब्लंडर हो गयी तो फिर आज कौन सी बात है कि अगर मैं कोई बात कह दूं तो उसमें ऐसा खयाल हो जाय कि यह फलां मंशा से कही गयी है? मेरा मंशा बिलकुल साफ है। मैंने अपना जीवन ही इस सरकार को बनाने के लिये दिया है। जैसा सन् १८८५ से अब तक कांग्रेस का इतिहास है, मैं समझता हूं कि यह सरकार वह काम करेगी जो कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है और ऐसी शासन प्रणाली हम अपने देश को देंगे जिसमें हमारे देश का एक-एक आदमी शांति के साथ रह सके, सुख की जिन्दगी बसर कर सके।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अधिष्ठाता महोदय, इस प्रस्ताव के बारे में कुछ कहते समय या कहने के पहले, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी की नीयत पर आक्षेप करने या सन्देह करने का मेरा विचार नहीं है चाहे बोलने वाले इधर बैठे हों या उधर बैठे हों। जैसी इस प्रस्ताव पर जिसकी दृष्टि रही होगी वैसे उन्होंने विचार प्रकट किये होंगे। माननीय रामगोपाल जी हमारी कृतज्ञता के पात्र हो सकते हैं कि उन्होंने किन्हीं आवश्यकताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया। प्रस्ताव बेचारा है, इन्नोसेंट है, गरीब है, जैसा कुछ भी है, लेकिन मेरी समझ में दुर्भाग्य से ऐसा है कि उस पर इस समय कार्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसे मैं निवेदन करूंगा। मैं आशा करता हूं कि ठंडे दिल से विचार करने पर और लोग भी मुझसे सहमत होंगे।

हमारी शासन व्यवस्था में खराबियां होंगी। शासन-व्यवस्था या शासन प्रणाली या शासन-पद्धति बड़ा व्यापक शब्द है। बहरहाल, उसमें खराबियां होंगी; हो सकता है कि खराबियां हों और वे इस समय न सुधारी गईं तो कल मालूम नहीं क्या नतीजा निकले। यहां फ्रेंच रिवोल्यूशन का २-३ बार जिक्र हुआ या उससे भयंकर कोई चीज हो। लेकिन हमको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश फ्रांस नहीं है। फ्रांस स्वतंत्र देश था और हम स्वतंत्र देश के एक प्रदेश हैं। तो यदि फ्रांस जैसी क्रांति होगी तो सारे भारत में होगी। अगर ऐसी क्रांति शासन की खराबी से होने वाली है तो उसकी चर्चा यहां न करके दिल्ली में करनी चाहिये। यहां करने से कोई लाभ नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें हम यहां करना

चाहें तो भी नहीं कर सकते। हमारा संविधान है, चाहे अच्छा है या बुरा, उसके अधीन हम कार्य करते हैं और उसने हमें बहुत से मामलों में स्वतंत्रता नहीं छोड़ी है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुल्तान आलम खां के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं कह यह रहा था कि हमारी शासन प्रणाली में दोष हो सकते हैं, उनको दूर करना ही चाहिये और दूर हो भी सकते हैं। अगर सचमुच ही बहुत ज्यादा हैं। तो भी उनको दूर करने का प्रयत्न किया जा सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं नहीं समझता कि इतनी भयानक कोई कमियां हममें हैं और अगर हैं भी तो जरूर ही हम उनको समय से पहले दूर कर लेंगे। दूसरी बात यह कि अगर खतरे की घंटी बजनी ही है तो वह लखनऊ के बदले दिल्ली में बजनी चाहिये।

यहां कई ऐसी बातें कही गयीं जो बजट के सामान्य वादविवाद के समय भी कही गयी थीं और सामान्य शासन के सम्बन्ध में कही गयी थीं। निश्चय ही जिन लोगों ने उसका जिक्र किया उनको इस प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध दीख पड़ा होगा लेकिन मैं समझता हूं कि उन बातों के सम्बन्ध में कुछ कहना, अपनी पुरानी बातों को दुहराना इस सदन का समय लेना होगा। सरकारी अहलकारों या अफसरों के सम्बन्ध में एक फैशनेबिल लफ्ज 'ब्यूरोक्रेसी' और उससे भी ज्यादा फैशनेबिल लफ्ज 'नौकरशाही' का इस्तेमाल होता है जो एक प्रकार से ग़लत शब्द है। इसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहता नहीं सिवाय एक बात के कि कुछ ऐसी बातें कही गयीं जिनका कहना बेकार था और जिनको सन् १९४७ में कहना चाहिये था।

हमने महात्मा जी के नेतृत्व में स्वराज्य उस तरीके से हासिल नहीं किया जिस तरीके से दुनियां के और देशों ने हासिल किया, तलवार के जोर से नहीं, एक खास टेक्नीक से, अहिंसात्मक तरीके से, अंग्रेजों से एक समझौते के द्वारा स्वराज्य हासिल किया और उस समझौते का एक अंश यह भी था कि जो देना लेना था, लाइबिलिटीज थीं वह भी हमने पायीं। कुछ फौज और कुछ खजाना पाया और उसके साथ-साथ उस शासन व्यवस्था को भी, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, पाया। इसके बारे में एक चीज को हमें और मानना होगा कि देश ने इस समझौते को स्वीकार किया। यह मैं मानता हूं कि कुछ मामलों में कुछ मतभेद अवश्य थे, आज भी हैं, लेकिन बावजूद उन मतभेदों के, मैं फिर कहता हूं कि देश ने उस समझौते को स्वीकार किया, समझौते के तरीके को पसन्द किया।

एक दूसरी मिसाल सन् १९२२ के करीब आयरलैण्ड में हुई। वहां भी समझौते से स्वराज्य हासिल किया गया लेकिन आयरलैण्ड के कुछ लोगों ने, जिनका यह खयाल था कि किसी तरीके से भी अंग्रेजों से समझौता नहीं करना चाहिये, समझौते से स्वराज्य हासिल नहीं करना चाहिये, उसका नतीजा यह हुआ कि स्वराज्य गवर्नमेंट के लिखाफ उन्होंने बलवा कर दिया। उन दोनों पार्टियों में इतने गहरे मतभेद थे कि अंग्रेजों से समझौता करने वाली पार्टी ने जब अपनी गवर्नमेंट बनायी तो उसके विरुद्ध दूसरी पार्टी ने बलवा कर दिया। लेकिन हमारे यहां तलवार से अथवा हिंसात्मक तरीके से ऐसी कोई चीज नहीं हुई। इससे मानना पड़ता है कि जो कुछ भी छोटे-मोटे मतभेद रहे हों परन्तु आन दि होल, देश के सभी आदमियों ने उस समझौते को स्वीकार किया। समझौते में कुछ बुरी बातें भी हो सकती हैं, कुछ अच्छी भी हो सकती हैं, आज यहां इन सब बातों का जिक्र करना बेकार है।

हमने देखा कि कई माननीय सदस्यों ने हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ वाक्यों को यहां उद्धृत किया : क्या मतलब ? जब से इस देश ने स्वराज्य हासिल किया तब से पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधान मंत्री हैं; उन्होंने जो बात कही होगी उसी के अनुसार काम करने की कोशिश की होगी। जितना शासन प्रबन्ध है उन्हीं के हाथ में है, वे प्रधान मंत्री हैं तो कांस्टीट्यूशन को बदलवाने का या उसमें और कोई चीज करने का उनको पूरा अधिकार है।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

जिस पार्लियामेंट को कांस्टीट्यूशन बनाने का या बदलने का अधिकार है उस पार्लियामेंट में उनका पूरा जोर है और इसके लिये उनको पूरा अधिकार है। उन्होंने इस बात को कोई खास कोशिश तो की नहीं। इसके माने यह हैं कि जिन वाक्यों को उन्होंने कहा था, उनका भी खयाल है कि प्रायः उन्हीं वाक्यों के अनुसार काम हो रहा है और मैं समझता हूं कि हमको यह मानना पड़ेगा।

आज सरकारी अहलकारों के सम्बन्ध में कुछ बातें कही जाती हैं, बहुत बातें कही जाती हैं, तो हमको यह नहीं भूलना चाहिये कि ये बड़े ओहदे जो होते हैं वे आल-इंडिया सर्विसेज हैं और कलेक्टर, कमिश्नर तथा पुलिस के बड़े-बड़े आफिसर आल इंडिया सर्विसेज के ही होते हैं। वे आल-इंडिया बेसिस पर चुने जाते हैं। अगर हमने उनको अपने उत्तर प्रदेश में नापसन्द कर दिया तो हम क्या चाहते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इन अफसरों को नहीं लेंगे? जब ये आल-इंडिया सर्विसेज के हैं तो फिर हम कैसे इनको नहीं लेंगे? इसके अलावा जो प्रादेशिक सर्विस के अफसर होते हैं वे भी उनमें जाते हैं। यह मेरी भी कोशिश रहती है कि हमारे आफिसर आल इंडिया सर्विसेज में जायं और इस तरह से हमारे शासन का जो ढांचा बनता है वह ऐसे अफसरों के रेक्रूटमेन्ट से बनता है और वह करीब-करीब उसी तरीके का होगा, इस बात को नहीं भूलना चाहिये। बार-बार उसी बात को दोहरा कर जो आल-इण्डिया केडर की एक तस्वीर है, जो सारे भारत के लिये बनी है, उस तस्वीर से बाहर हम नहीं जा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उस तस्वीर को बदलें तो उसकी जगह यहां नहीं है बल्कि तस्वीर बदलने की जगह दूसरी है।

प्लानिंग डिपार्टमेन्ट का भी जिक्र किया गया है। मैं नहीं समझता कि जिन माननीय सदस्यों ने प्लानिंग ढांचे का जिक्र किया, व्यक्तियों की बात मैं नहीं कह सकता, जो खराब व्यक्ति हों उनकी शिकायत करनी चाहिये उनको बदलना चाहिये, उनकी बाबत में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि प्लानिंग का जो सेट अप है उसकी तरफ ध्यान दिया गया है या नहीं दिया गया है। प्लानिंग का जो ढांचा है वह भारतवर्ष के सारे प्रदेशों में एक सा ही है। कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां इसके सिवा कोई दूसरा ढांचा हो। सभी प्रदेशों में यही ढांचा है यहां तक कि केरल में भी यही ढांचा है। केरल का नाम मैं खास तौर से इसलिये ले रहा हूं कि वहां तीन गवर्नमेन्ट बदल चुकी हैं। पहले कांग्रेस सरकार थी, फिर पी० एस० पी० की सरकार बनी और आजकल कम्युनिस्ट सरकार है, लेकिन किसी सरकार ने कभी यह नहीं सोचा कि इस ढांचे को बदला जाय। इसलिये ऐसा मानना कि हम अपने यहां इसको बदल सकते हैं, गलत बात है। मैं माननीय सदस्यों को उन भाषणों की याद दिलाना चाहता हूं जो बजट के सिलसिले में प्रकट किये गये हैं।

आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को कोई तरक्की नहीं दिखलायी पड़ी। माननीय सदस्यों का ध्यान सिर्फ उन्हीं बातों की ओर गया कि कितनी खराबियां हैं, कितनी कमियां हैं। श्रीमन्, खराबियां हैं, कमियां हैं, दोष भी हैं, लेकिन साथ ही तरक्की का काम भी कुछ हुआ है और अच्छा हुआ है। पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश की प्लानिंग हुई है, उसका प्लान २५३ करोड़ का है जिसमें से ११० करोड़ तो प्रदेश की सरकार को देना है और १४३ करोड़ केन्द्रीय सरकार को देना है। इतना हमको याद रखना चाहिये कि जहां केन्द्रीय सरकार हमको इतना रुपया देती है तो जाहिर है कि उसका जो सेट अप है, उसके जो नियम हैं, उन नियमों के अनुसार ही वह रुपया दे सकती है। अब यह कि इतने विलेज लेविल वर्कर्स होंगे, इतने ई० डी० ओज० होंगे, इतने बी० डी० ओज० होंगे, इतने डेवलपमेंट आफिसर होंगे, इतने डेवलपमेन्ट कमिश्नर होंगे, यह सारा ढांचा जो सारे भारत के अन्दर है उसी के अनुसार हम भी अपना ढांचा तैयार कर सकते हैं। उसके बने हुए नियम के अनुसार ही हम रुपया खर्च कर सकते हैं। इसलिये यह कहना कि कोई कमीशन बनाया जाय या इस तरह का सेटअप तैयार किया जाय, इसको हम कैसे सोच सकते हैं और इसको कर सकते हैं?

हमारा जो प्लानिंग सेट अप है सारे भारत के लिये एक सा ही है। इसलिये अखिल भारतीय शासन का जो रूप है उसको हम नहीं बदल सकते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि अखिल भारतीय जो रूप है उसको बिना बिगाड़े हुए कई तरह के काम हो सकते हैं। उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, मसलन प्लानिंग के सम्बन्ध में हम समझते हैं कि जो सरकारी अफसरान हैं और जो आज तक का सरकारी तरीका रहा है उसके साथ साथ गैर-सरकारी लोगों को अब से ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिये, उनको ज्यादा मौका मिलना चाहिये और उनको कुछ हिस्सा अधिक मिलना चाहिये और अधिकार के साथ मिलना चाहिये। इसी सदन में पहले भी बताया गया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का मौजूदा रूप हम बदल रहे हैं और एक नया रूप डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल्स का उनको देना चाहते हैं ताकि जिन बातों का जिक्र किया गया उनका उस नये ढांचे से समावेश हो सके। उसको अधिक इस समय बताने की जरूरत नहीं है। यह कहा जा सकता है कि उसका क्या रूप होगा लेकिन अभी हम उसे नहीं बता सकते, यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है, नये बोर्ड या कौन्सिल का क्या रूप होगा, वह हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि वह ऐसी संस्था होंगी कि जिनके हाथ में करोड़ों सरकारी रुपये की डीलिंग होगी। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि प्लानिंग कमीशन की तरफ से एक कमेटी बनी है जिसके अध्यक्ष श्री बलवन्तराय मेहता हैं। वह सारे भारतवर्ष में यह जानने के लिये घूमे कि प्लानिंग का काम ठीक से कैसे चले। वह यहां भी १५-२० दिन पहले आये थे। उनसे इन तमाम बातों का जिक्र हुआ जिनका जिक्र श्री राम-गोपाल जी ने किया। उन्होंने कहा कि वह तमाम प्रश्न हमारे सामने हैं और उनकी रिपोर्ट करीब-करीब तैयार हो गई है। मैंने उनसे अपने इरादे का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि हमने भी कुछ इसी से मिलती-जुलती कमेटी की बात सोची है और आप इसको अभी फाइनेलाइज न करें। वह अभी दूसरी बार फिर यू० पी० में आयेंगे, शायद इसी महीने की २४ तारीख को, उन्होंने कहा था कि अभी हम कोई अन्तिम रूप नहीं बता सकते। वह कमेटी सारे भारतवर्ष में घूमी है, उसके अनुभव से भी हमें लाभ उठाना चाहिये। जैसा कि श्री रामगोपाल जी चाहते हैं और जो इस तरह के काम हैं कि जिनसे जनता को अधिक सहूलियत हो और उसको अधिक अधिकार प्राप्त हों यह सब हमें भी सोलहो आना अभीष्ट है, हम इस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आगे और जोर से इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं।

यहां पर विकेन्द्रीकरण का जिक्र भी हुआ। सोलहो आना सही बात है। शासन बिना विकेन्द्रीकरण के चल नहीं सकता, बिल्कुल असम्भव बात है कि थोड़े से मुट्ठीभर आदमियों के पास सारी शक्ति रहे, चाहे वह मिनिस्टर्स हों या अफसरों के हाथ में सब अधिकार रहें। यह चीज नहीं चल सकती। जाहिर है कि जनता का आज समय नष्ट होता है, पैसा खर्च होता है, उनकी शक्ति नष्ट होती है। छोटे-मोटे कामों के लिये लखनऊ भागकर आना पड़ता है, जहां तक छोटे मामलों का सवाल है वह जरूर वहीं खत्म हो जाने चाहिये और हम इस बात को मानते हैं कि बिना विकेन्द्रीकरण के काम नहीं चल सकता। हम इस दिशा में पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत से अधिकार विभागीय अध्यक्षों को गवर्नमेंट की तरफ से दिये गये हैं और विभागीय अध्यक्षों के पास भी आर्डर गये हैं कि वह भी अपने यहां विकेन्द्रीकरण करें, रीजनल अफसरों से भी कहा गया है कि वह अपने यहां जल्द ही जितनी जल्दी हो सके इस चीज को करें। जितनी जल्दी विकेन्द्रीकरण हो जायगा उतनी ही आसानी जनता को हो जायगी। यदि जनता को सहूलियत पहुंचाना ही इसका उद्देश्य है तो हम सोलहो आना इससे सहमत हैं और करते जा रहे हैं, हमें कुछ अनुभव भी है कि कहां कहां विकेन्द्रीकरण की जरूरत है और कहां-कहां केन्द्रीकरण से दिक्कत होती है। मैं समझता हूं कि यह चीज हमारे यहां जल्द ही हो जायगी।

एक बात को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक माननीय सदस्य ने कहा कि अब तो बोर्ड आफ रेवेन्यू को अधिकार डिप्टी कलक्टरों को बदलने का दिया जा रहा है।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

उन्होंने कहा कि क्या मिनिस्टर्स यह नहीं कर सकते हैं कि यह अधिकार हेड आफ दि डिपार्टमेंट को क्यों दिये जा रहे हैं। हम समझते हैं कि अधिकांश माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि अधिकार नीचे जायं और वह मिनिस्टर्स के पास न रहें और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम इसी दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

कुछ काम ऐसे हैं कि जो कमीशन के हाथ की चीज नहीं है। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि मैं अस्पताल में गया वहां किसी ने मुझसे बात नहीं की। यह तो ऐसी चीज है कि जो किसी रूल्स या कायदे में नहीं लाई जा सकती कि शराफत से कैसे पेश आया जाय; सरकारी अफसर हो या कोई हो, कैसे बात शराफत के साथ की जाय ऐसी चीजें चाहे कमीशन बैठे या न बैठे, किसी रूल्स में नहीं लाई जा सकतीं।

जहां तक मैंने देखा, खास तौर से जोर इस बात पर हुआ कि सेक्रेटेरियट का रिआर्गेनाइजेशन हो, ऐसा लगा कि मुख्य लक्ष्य यही था। आज सब से पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने एक विलक्षण सी बात कही कि अगर सेक्रेटेरियट का रिआर्गेनाइजेशन होगा तो बेचारे जो आज वहां काम करते हैं वह कहां जायंगे? सेक्रेटेरियट के बाबू लोग किस जगह जायं, उनको तकलीफ होने वाली है इस वजह से पुनःसंगठन का काम रोक दिया जाय यह नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। थोड़े से दफ्तर में काम करने वाले लोगों के लिए चाहे छोटे हों या बड़े, उनकी सुविधा से संगठन का काम कभी नहीं देखा जा सकता। उसे दूसरी दृष्टि से देखना होगा।

माननीय वित्त मंत्री ने उस दिन अपने भाषण में कुछ कहा था। ऐसा लगता है मुझको कि उसके सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी हुई। जहां तक कमीशन की बात है और जहां तक एक अफसर की बात है, दोनों एक दूसरे की विरोधी चीजें नहीं हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिनको व्यक्ति ही कर सकता है, कमीशन नहीं कर सकता और कुछ काम ऐसे हैं जिनको कमीशन ही कर सकता है, व्यक्ति नहीं कर सकता। जहां तक ब्योरे की बात है, कमीशन नहीं कर सकता। किस जगह पर, कहां पेशकार हो, कहां मोहर्रिर हो, कहां अहलमद हो, बहुत से फार्म्स होते हैं, उनमें से कौनसे रहने चाहिए और कौनसे बेकार हैं, रद्दी हैं, यह कोई कमीशन नहीं कर सकता। वह तो कोई आदमी ही कर सकता है जिसने इसी काम में अपनी जिन्दगी बितायी है, वही जान सकता है। लेकिन जहां तक मूल सिद्धान्त की बात है, कैसे कैसे नियम हों, इन बातों को कमीशन को ही सोचना चाहिए चाहे सरकारी हो या बेसरकारी। यह काम एक आदमी को नहीं सौंपा जा सकता।

इसके सम्बन्ध में कुछ और कहने से पहले एक शब्द और कहना चाहता हूं, वह यह है कि हमको सरकारी अफसरों की तरफ से एक बात अपने दिल से निकाल देनी चाहिए। मैं ज्यादा देशभक्ति की बात नहीं जानता। लेकिन बहरहाल, अपनी जिन्दगी के कुछ वर्ष देशभक्तों के अखाड़ों में मेरे भी बीते हैं। थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं। मैं एक मिनट के लिए भी इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि देश-भक्ति का ठेका, पब्लिक वर्कर्स, जो हम लोग अपने को कहते हैं उन्होंने ले रखा है। मैं जानता हूं कि सरकारी अफसरों में कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी मानी में भी हमसे कम देश-भक्ति नहीं रखते। अपना खयाल न हो, अपने लड़के-बच्चों का खयाल है। वह समझते हैं कि अगर देश आगे बढ़ेगा तो उनके लड़के बच्चे भी अच्छी तरह से रहेंगे, अगर देश तबाह होता है तो उनके लड़के बच्चे भी तबाह होते हैं। जो छोटे आदमी हैं, उनके लिए मैं नहीं कहता। जो सोच और समझ सकते हैं, काफी आदमी ऐसे हैं जिनको देश के कल्याण का उतना ही खयाल है जितना कि हममें से किसी दूसरे को हो सकता है।

अपने आखिरी भाषण में माननीय रामगोपाल जी ने पंत जी का जिक्र किया था। पंत जी विद्वान हैं, अनुभवी हैं, इसमें किसी को शुबहा नहीं हो सकता। इस प्रदेश के ऊपर पंत जी के बड़े-बड़े अहसान हैं। यह बिलकुल सही बात है। १९५४ में एक कमेटी की रिपोर्ट

निकली थी। उस कमेटी के चेयरमैन पंत जी थे। तो मानना चाहिए कि उस कमेटी की रिपोर्ट बहुत अच्छी थी। जिन जिन भावनाओं का बार-बार जिक्र किया गया, उन पर पंत जी का अधिकार था और फिर उन को शासन का अनुभव भी था। तो उस कमेटी की रिपोर्ट बहुत अच्छी होगी। उस कमेटी की रिपोर्ट के दो भाग हैं। पहले भाग में तो यह बात है कि सरकारी अफसरों को कैसे सजा दी जाय। दूसरे भाग में शासन की एफिशियेंसी आदि का जिक्र है। जो बात उनके सामने थी वह यह थी--

"The administrative machinery of government, before the advent of freedom, had been designed mainly to serve the purpose of the Police State established by alien rulers."

यानी स्वराज्य होने के पहले जो सरकार थी उसने जो शासन की मशीनरी बनायी थी वह विदेशी सरकार द्वारा स्थापित पुलिस स्टेट जैसी होती है उसको चलाने के लिए बनायी थी। अब उनके सामने प्रश्न क्या था ?

"The popular Government that came into power was immediately faced with the problem of so organising the Services as to serve its objective of a welfare State."

लेकिन स्वराज्य हासिल होने के बाद जब सरकार आयी तो उसके सामने यह समस्या थी कि इस मशीनरी को किस तरह से चलाया जाय जिस से कल्याणकारी राज्य चल सके। उनके सामने यह चीज थी। मैं जानता नहीं कि माननीय सदस्यों ने इसको पढ़ा है या नहीं। मैं चाहता हूं कि इसका जो द्वितीय भाग है उसको अवश्य पढ़ लें, क्योंकि इसमें उन्होंने उन सिद्धान्तों का जिक्र किया है जिनके अनुसार शासन की मशीनरी को सुधारना चाहिए। सेक्रेटेरियट का रिआर्गेनाइजेशन कैसे होना चाहिए, कलेक्टरी कचहरी का कैसे रिआर्गेनाइजेशन होना चाहिए, इसका उसमें जिक्र है। इस कमेटी में सरकारी आदमी भी थे और गैरसरकारी आदमी भी थे और सब से बड़ी बात यह थी कि पंत जी उसके अध्यक्ष थे। ऐसी कमेटी की कोई बात बुरी नहीं होनी चाहिए। उस कमेटी ने कहा कि सिद्धान्त तो हम कहे देते हैं लेकिन इनको कैसे कार्यान्वित करना चाहिए, इसके लिए एक विशेष अफसर को नियुक्त करना चाहिए जो हमारे बताये हुए सिद्धान्तों के अनुसार पुनस्संगठन का काम करे। कमीशन कहिये, कमेटी कहिये, बात एक ही है। उसने अपने को कमीशन नहीं कहा, कमेटी कहा। उसने कहा कि सिद्धांत हम कहे देते हैं लेकिन उनके ब्योरे में हम नहीं जा सकते। ब्योरे में कमेटी नहीं जा सकती। इसके अनुसार एक अफसर कोई नियुक्त करना चाहिए जो उन सिद्धान्तों के अनुसार पुनःसंगठन का काम करे। तदनुसार हमने रिआर्गेनाइजेशन कमिश्नर नियुक्त किया। वह उन सिद्धान्तों के अनुसार, एक एक विभाग को, सेक्रेटेरियट और दूसरे विभागों के पुनः संगठन की स्कीम पेश कर रहे हैं। उन पर काफी विचार होता है, मिनिस्ट्री में विचार होता है जिस पर अमल होता है। कमीशन और व्यक्ति दोनों का यहां समन्वय है, सामन्जस्य है। सिद्धान्त कमेटी ने बताये, काम ब्योरेवार कोई व्यक्ति करता है। कोई भी कमेटी बैठे, कभी भी ब्योरे का काम नहीं कर सकती।

एक बात मैं और कहता हूं। एक कमेटी बैठी थी जिसने १९५४ में अपनी रिपोर्ट दी, उस पर अभी अमल होना शुरू हुआ है। आज हम एक दूसरी कमेटी की बात कहते हैं। आखिर इसका असर क्या होगा ? इसका मतलब यह होगा कि जो कमेटी माननीय पन्त जी की अध्यक्षता में बैठी थी, वह निकम्मी थी, पब्लिक के मन की बात उसे नहीं मालूम थी, क्या हम यह कहना चाहते हैं ? अगर हम आज ऐसा कहना चाहते हैं, दूसरी कमेटी बैठाने की बात सोचते हैं तो आज हम जिस कमेटी को बैठाते हैं दो वर्ष बाद दूसरे को भी यह कहने का अधिकार होगा कि दूसरी कमेटी बैठायी जाय। ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन के काम में एक परम्परा होनी चाहिए, कान्टीन्युइटी होनी चाहिए। जो सिद्धान्त पहली वाली कमेटी ने बताये उसके अनुसार काम होने दीजिये, दो वर्ष, तीन वर्ष, उसका क्या प्रभाव होता है शासन पर,

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

यह देखने का अवसर भी तो दीजिये और तभी किसी कमीशन को स्थापित करने की बात आ सकती है। देखेंगे कि उस कमेटी ने जो बातें कहीं थीं उनके अनुसार काम हुआ है या नहीं और फिर सिद्धान्तों में क्या परिवर्तन करने की जरूरत है, यह सब सभी तय किया जा सकता है जब किसी चीज पर अमल करके देखा जाय। अभी इस वक्त मझधार में बदलना किसी चीज को, मैं समझता हूं, गलत बात होगी। किसी पौधे को लगाइये और रोज उस की जड़ खोद कर यह देखिये कि प्रगति कर रहा है या नहीं तो जाहिर है कि पौधा नष्ट हो जायगा।

इस प्रस्ताव में लिखा है कि तीन महीने के अन्दर कमेटी रिपोर्ट दे। सोचने की बात है कि इतने अनुभवी लोगों की कमेटी मई सन् १९५२ में बैठी और फरवरी, १९५४ में उसकी रिपोर्ट तैयार हुई, दो वर्ष लगे। हम चाहते हैं कि दूसरी कमेटी जो नियुक्त की जाय वह तीन महीने के अन्दर ही रिपोर्ट दे दे। और फिर माननीय यादवेन्द्र दत्त जी ने यह भी कहा कि लोकल बाडीज वाले नियम भी आ जाने चाहिए, म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरियाज, नोटीफाइड एरियाज, यह सारा काम उसके सुपुर्द हो। और जो काम सिद्धान्त का पहली कमेटी ने दो वर्ष में किया उस को यह कमेटी तीन महीने में कर दे, यह गलत बात है। जब तक कमेटी बैठेगी सारा काम रुक जायगा। यह जानते हुए कि लाखों रुपया खराब हुआ है, यह मानते हुए एफिशियेंसी खराब हुई है, हम को काम रोक देना होगा। यह कहने से काम नहीं चलता कि आप काम जारी रखें, कमेटी अपना काम करेगी। इसलिए जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट न आवेगी तब तक इनएफिशियेंसी होती रहेगी, जो फिजूलखर्च है वह होता रहेगा, इन सब बातों को सदन को सोचना चाहिए। जहां तक सिद्धान्त की बात है, जनता को अधिकार होना चाहिए, पावर का डिसेन्ट्रलाइजेशन होना चाहिए, इन बातों का हमको ध्यान है और हम उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। फिर भी अगर कोई अच्छी राय दे हम उस पर गौर करेंगे। लेकिन इस वक्त किसी कमेटी को, या कमीशन कहिये, बैठाना अनावश्यक है। इस लिए कि जिस कमेटी की दो वर्ष पहले ही रिपोर्ट आयी है उस पर अमल हो जाय तब फिर देखने की जरूरत होगी। इस वक्त इसका मौका नहीं है, जरूरत नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि सदन इस बात से सहमत होगा कि यह वक्त इस किस्म के प्रस्ताव के पेश करने का और प्रेस करने का नहीं है।

श्री रामगोपाल गुप्त—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी के बयान को बड़े ध्यान से सुना . . .

श्री अधिष्ठाता—आप कोई स्पीच न दीजिये। आप प्रस्ताव को वापस लेना चाहते हैं या नहीं, इस बात को बतलाइये।

श्री रामगोपाल गुप्त—मैं थोड़ा सा अर्ज करके बताऊंगा।

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं, इस वक्त मैं मौका नहीं दे सकता।

श्री रामगोपाल गुप्त—मैं मुख्तसर सी बात कर रहा हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी के बयान को बड़े ध्यान से सुना और मुझे मुख्य मन्त्री जी की काबलियत पर बहुत फख्र है और माननीय वित्त मन्त्री जी भी न सिर्फ मन्त्री हैं बल्कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। मेरा मतलब इस प्रस्ताव को रखने का एक झकझोर पैदा करना था, वह हो गया। मैंने मुख्य मन्त्री जी के बयान को सुनकर यह समझा कि कुछ वैधानिक कठिनाई उनके सामने है।

श्री अधिष्ठाता—अब आप तफसील में न जाइये। आप इसको रखना चाहते हैं या नहीं, यह बता दीजिये।

श्री रामगोपाल गुप्त—इसलिए मैं कहता हूं कि कोई मौका निकालकर के जब कोई ऐसा अवसर आये तो इस प्रस्ताव के अनुसार कार्य करने की मुख्य मन्त्री जी कोशिश करें। मैं समझता हूं कि मैंने जो प्रस्ताव सदन में पेश किया था उससे मेरी मंशा हल हो गयी और इसको मैं वापस लेने की आपसे रिक्वेस्ट करता हूं।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।)

कानपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी इजाजत से प्रस्ताव करता हूं कि—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि कानपुर में एक विश्वविद्यालय की शीघ्रातिशीघ्र आवश्यकता है, अतः सरकार इस सम्बन्ध में तुरन्त आवश्यक कार्य करने की कृपा करे।"

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में कानपुर एक बहुत ही प्रमुख स्थान है। आज कानपुर की आबादी करीब २० लाख के है और वहां पर करीब ६ डिग्री कालेज हैं जिनमें करीब ७ हजार विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। इसके अलावा यह नगर व्यापारिक दृष्टि से भी काफी बड़ा है। यही नहीं, यहां पर अनेक प्रकार के केन्द्र हैं। यहां पर ऐग्रीकल्चर कालिज है, यहां पर और बहुत सी टेक्निकल संस्थाएं चल रही हैं; उनको दृष्टि में रखते हुए यह मांग कानपुर की बहुत दिनों से चली आ रही है कि वहां पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो। कानपुर के जो कालेज इस समय चल रहे हैं वह आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं। आगरा विश्वविद्यालय वहां पर सिर्फ परीक्षा लेता है, टीचिंग का काम नहीं होता। कानपुर में अगर विश्वविद्यालय हो जाय तो वह टीचिंग का भी काम करे और परीक्षा लेने का भी—दोनों काम वहां से हो सकते हैं। इसके अलावा कानपुर के आस पास के जितने जिले हैं वहां के विद्यार्थी कानपुर के डिग्री कालेजों में शिक्षा लेने के लिए आते हैं, जैसे इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, उन्नाव, मैनपुरी, हरदोई, तमाम आसपास के जिले वहां से लाभ उठाते हैं। इन दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए, जबकि वहां की आबादी काफी बड़ी है, वहां पर व्यापारिक केन्द्र है, वहां पर शिक्षा संस्थाएं काफी हैं, मैं समझता हूं वहां पर विश्वविद्यालय का होना अनिवार्य है।

इस सम्बन्ध में कुछ वर्ष पहले एक कमेटी कानपुर के कुछ नागरिकों की बैठी थी जो कि काफी दिनों तक इस पर विचार करती रही। पता नहीं कि उन विचारों को सरकार के पास पहुंचाया गया या नहीं, और यदि पहुंचाया गया तो उन पर सरकार ने क्या विचार किया—यह मैं नहीं जानता, लेकिन आज की जैसी स्थिति है उसको देखते हुए वहां पर जो अभी टेक्निकल इन्स्टीटयूट खुलने वाला है, शुगर टेक्नालाजिकल इन्स्टीटयूट खुलने वाला है, मैं यह महसूस करता हूं कि वहां पर एक विश्वविद्यालय अवश्य स्थापित किया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इसको भवन के सामने विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस संकल्प में यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि शब्द "कानपुर" के स्थान पर "उत्तर प्रदेश" रख दिया जाय, तथा शब्द "विश्वविद्यालय" के पहले शब्द "टेक्निकल" रख दिया जाय, तथा शब्द "तुरन्त आवश्यक कार्य करने की कृपा करे" निकाल कर उसके स्थान पर "कानपुर में तुरन्त ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करे" रख दिये जायं।

अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश में उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था है उसकी तरफ हमें गौर करना है। इसके पहले कि इस प्रदेश में और विश्वविद्यालय कायम करने का निश्चय किया जाय, हमें देखना है कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था काफी है या नहीं है। जहां तक कला

[श्री लालबहादुर सिंह]

और विज्ञान की शिक्षा का सम्बन्ध है, इस प्रदेश में ५–६ विश्वविद्यालय हैं और हर विश्वविद्यालय में कला तथा विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। इन विश्वविद्यालयों के अलावा और शहरों में महाविद्यालय हैं जहां बी० ए० और एम० ए० तक कला और विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। तो फिर अगर हमें ऐसा ही विश्वविद्यालय स्थापित करना है जहां कला और विज्ञान की ही शिक्षा दी जाय तो मेरी समझ से कुछ प्रान्त की बहुत आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है।

गोरखपुर युनिवर्सिटी विधेयक इस सदन के सामने आया तो हमें उम्मीद थी कि उसमें एक शब्द जुड़ा हुआ था कि हम रूरल युनिवर्सिटी कायम करेंगे। लेकिन जिस तरह गोरखपुर विश्वविद्यालय ऐक्ट है हमें मालूम नहीं होता कि उसमें रूरल शब्द के क्या मानी होते हैं।

हमारे विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में छात्र शिक्षोपार्जन के लिए जाते हैं। मैंने माना कि जो पढ़ने जाते हैं उनमें ज्ञानोपार्जन की इच्छा होती है, उनसे विचारक निकलते हैं, साइंटिस्ट्स निकलते हैं। लेकिन, अधिष्ठाता महोदय, जो इन विषयों में शिक्षा लेते हैं उनमें काफी ऐसी तादाद होती है जो केवल एक डिग्री लेने जाते हैं। वह डिग्री इसलिए लेना चाहते हैं कि वह डिग्री उनको रोटी कमाने में सहायता करती है। नौकरी खोजने जब वह जाते हैं तो डिग्री की आवश्यकता होती है, इसलिए वे डिग्री लेने जाते हैं। अधिकांश लोगों की ज्ञानोपार्जन या अनुसंधान आदि की ऐसी कोई भावना नहीं होती है। अगर हमारी उच्च शिक्षा का सम्बन्ध रोटी कमाने से है, तो हमें उच्च शिक्षा को ऐसा बनाना चाहिए जो कि रोटी कमाने में सहायक हो सके, जिससे इस प्रदेश का उत्पादन बढ़ सके और जो स्नातक हमारे निकलें, वे स्वावलम्बी हों और देश में ऐसी शिक्षा दें सकें जिससे हमारे बालक जो छोटे दर्जे में पढ़ते हों वे भी स्वावलम्बी बन सकें। ऐसे विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय कहिये इस प्रदेश में कम हैं। मैंने माना कि रुड़की में एक हमारा इन्जीनियरिंग विश्वविद्यालय है और प्रान्त को उस पर गर्व भी है, इसके अलावा कुछ महाविद्यालय और हैं जिनमें इन्जीनियरिंग की शिक्षा या टेक्निकल शिक्षा दी जाती है। लेकिन इस प्रदेश की ६ करोड़ की जनता को देखते हुए मेरी समझ से वे अपर्याप्त हैं।

बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग और टेक्निकल शिक्षा दी जाती है। अलीगढ़ में भी दी जाती है। लेकिन ये दोनों विश्वविद्यालय आल इंडिया विश्वविद्यालय हैं। इस प्रान्त के जितने लोग शिक्षा पाते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी में तो मैंने देखा है कि ७५ से ८० फी सदी तक इस प्रदेश के बाहर के लोग, टेक्निकल और इन्जीनियरिंग शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है, पाते हैं। अलीगढ़ के बारे में तादाद मालूम नहीं है। लेकिन आल इंडिया विश्वविद्यालय होने से उसमें भी कुछ ऐसी ही तादाद होगी। इस के अलावा उच्च शिक्षा के लिए जहां तक टेक्निकल और इंजीनियरिंग का सम्बन्ध है, कोई और विद्यालय हमारे यहां नहीं हैं।

जहां तक ऐरोनाटिक और नेवल इंजीनियरिंग का सम्बन्ध है, तो उसमें हमारे प्रदेश के बहुत कम लोग जाते हैं। कुछ तो इसका कारण भौगोलिक स्थिति है, लेकिन अगर ऐसी शिक्षा का हम प्रबन्ध कर सकें तो शायद देश की रक्षा में जहां तक एयर और नेवी का सम्बन्ध है, हम भी उसमें कुछ भाग ले सकेंगे।

इंजीनियरिंग के अलावा बहुत से ऐसे विषय हैं जिनका उत्पादन से सम्बन्ध होता है, जिनको टेक्निकल आप कह सकते हैं, ऐसे विषयों को बनारस युनिवर्सिटी में अलग किया गया है। वहां एक इंजीनियरिंग कालेज है और एक टेक्निकल कालेज है। टेक्निकल कालेज में माइनिंग आता है, सोप बानाना आता है, केमिकल इंजीनियरिंग आदि ऐसे विषय आते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे विषयों की कमी है। अगर कानपुर में एक विश्वविद्यालय कायम ही करना है—यह इन्डस्ट्रियल सिटी है—तो ऐसा ही विश्वविद्यालय कायम हो और कानपुर वालों को अगर ऐसा विश्वविद्यालय कायम हो तो संतोष करना चाहिए और गर्व करना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि कोई और विश्वविद्यालय कायम करने से पहले एक टेक्निकल विश्व विद्यालय

कायम हो। और प्रदेशों में टेक्निकल विश्वविद्यालय तो न हों, लेकिन उच्च इंजीनियरिंग शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा के महाविद्यालय हमारे यहां से अधिक हैं। वैसी उच्च कोटि के महाविद्यालय हमारे यहां नहीं हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि अगर विश्वविद्यालय वहां कायम करना है तो ऐसा ही विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, जो भी नाम दिया जाय कायम करना है। इंजीनियरिंग की शिक्षा के अलावा हमने उसकी तरफ भी इशारा किया है कि हमें कुछ ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे जो स्नातक उस शिक्षा को प्राप्त करके निकलें तो वह स्वावलम्बी बन सकें और अपनी रोटी कमा सकें और देश पर बोझा न बनें।

अधिष्ठाता महोदय, भारत सरकार ने पालीटेक्निक स्कीम, पायलट ट्रेनिंग आदि का प्रबन्ध किया है। लेकिन अफसोस है कि ऐसे स्कूलों में उचित शिक्षक नहीं मिलते हैं। इसलिए हमें शिक्षक पैदा करना है जो इन स्कूलों में शिक्षा दे सकें और साथ ही हमारे जो स्नातक निकलें, वह अधिकांश नौकरी के लिए न घूमें, बल्कि देश में उत्पादन बढ़ायें और देश में बेकारी दूर करने में अपना सहयोग दे सकें। यही मेरा संशोधन है और आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय . . .

श्री अधिष्ठाता—मैं आपसे चाहूंगा कि आप दोनों संशोधनों को एक साथ पेश कर दें और तकरीर करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं आपकी आज्ञानुसार यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि संकल्प की पंक्ति १ में शब्द "एक" तथा शब्द "विश्वविद्यालय" के बीच में शब्द "टेक्निकल" रख दिया जाय तथा

संकल्प की पंक्ति २ में शब्द "कृपा" के स्थान पर शब्द "कार्यवाही" रख दिया जाय।

श्रीमन्, मेरे पूर्ववक्ता ने जो संशोधन रखा है उसमें भी शब्द टेक्निकल आ चुका है; अतः मैं अपने प्रस्ताव को उसी रूप में आपके सामने रखता हूं। मैं कुछ शब्द इसके समर्थन में कहना चाहता हूं। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उसी कानपुर से सम्बधिन्त हूं और यह जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है वह मैं समझता हूं कि कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षरों से और उनकी सहमति से उपस्थित किया गया है जिससे पूर्णरूपेण उसको सबका समर्थन प्राप्त हो सके।

श्री अधिष्ठाता—आपने दोनों संशोधन पेश कर दिये या नहीं?

श्री मोतीलाल अवस्थी—जी हां, कर दिये हैं।

श्री अधिष्ठाता—तो आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, इस प्रस्ताव के समर्थन में जो पूर्ववक्ता महोदय ने कहा उन चीजों को न दुहरा कर इस बात का प्रबल समर्थन करना चाहता हूं कि कानपुर एक औद्योगिक शहर है और हमारे प्रान्त का एक सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है। इसमें २२५ कारखाने हैं और ६७ हजार मजदूर हैं और हमें अपने यहां उद्योगों को आगे बढ़ाना है, अतः इस बात की आवश्यकता को सभी महसूस करेंगे कि कानपुर या इस प्रान्त के लिये एक ऐसा विश्वविद्यालय हो जिसमें से ऐसे विद्यार्थी निकलें जो इस काम को पूरा कर सकें। यह प्रदेश अन्य विषयों में विश्वविद्यालय कायम करने का कार्य करता रहा है। इंजीनियरिंग के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश को सौभाग्य प्राप्त है कि एक विश्वविद्यालय इस स्टैंडर्ड का उपस्थित है किन्तु इसके अलावा हमारे उद्योगों के लिये टेक्निकल शिक्षा की आवश्यकता है। इसको देखते हुये इसकी अत्यन्त आवश्यकता है कि किसी ऐसे स्थान पर यह विश्वविद्यालय खोला जाय। हमारे प्रदेश में इसके लिये उचित स्थान कानपुर के अलावा और कोई नहीं हो सकता है।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

हमारे सामने इन उद्योगों को रेग्यूलेराइज करने के लिये एक रेश्नेलाइजेशन की स्कीम है लेकिन उसमें भी दिक्कतें हमारे सामने आती हैं। मैं समझता हूं कि इसमें भी स्किल्ड लेबर के बगैर सफलता नहीं मिल सकेगी। इसके अलावा हम अपने प्रदेश में उद्योगों की उन्नति करना चाहते हैं और टेक्निकल हैण्ड्स पैदा करने के लिये एक विश्वविद्यालय शीघ्र से शीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता है। १९५२ में पूर्व मंत्रिमंडल द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया था कि कानपुर में इस प्रकार के विश्वविद्यालय के खोलने का विचार सरकार के मस्तिष्क में है। यह कहा जा सकता है कि नये विश्वविद्यालय खोलने में कुछ अधिक व्यय पड़ता है या यह एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी करके सरकार के कामों में एक नयी बात पैदा कर देना होता है किन्तु मैं यह निवेदन करूंगा कि कानपुर शहर एक स्वावलम्बी शहर भी है। वह ऐसी योजनाओं में हमेशा अपना साथ दिया करता है। यदि हमें टेक्निशियन्स जल्दी उपलब्ध होने लग जायं तो कानपुर शहर धन के मामले में पीछे न रहेगा और ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना में अधिक से अधिक अपना योग देगा।

जहांतक विद्यार्थियों की बात रही, मैं आपका ध्यान अभी पिछली दो एक घटनाओं की ओर आकर्षित करूं। मैं उस शिक्षा संस्था का नाम नहीं लेना चाहता, किन्तु कानपुर शहर में ही एक शिक्षा संस्था ने इस प्रकार का टेक्निकल एजुकेशन देने के लिये क्लासेज खोले। उन क्लासेज में इतने अधिक विद्यार्थी पहुंचे कि उनका संभालना मुश्किल हो गया। यद्यपि वह शिक्षा संस्था संभाल नहीं सकी और उसके सम्बन्ध में आगे एक बहुत ही उपद्रव और स्ट्राइक भी हुआ और विद्यार्थियों को अपना रुपया छोड़ना पड़ा और उस संस्था में अव्यवस्था फैल गई किन्तु इससे यह प्रकट है कि कानपुर में इस प्रकार की शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी अधिक संख्या में मौजूद हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात सरकार सोचे तो धन और विद्यार्थियों की कमी नहीं होने पायेगी और आवश्यकता भी इस विषय की है। यदि हम सब चीजों को उपलब्ध देखते हैं तो मैं नहीं समझ पाता कि किन कारणों से यह प्रस्ताव जो बहुत ही नम्रतापूर्वक उपस्थित है उसे सरकार अस्वीकार कर सकेगी। मैं यह नहीं कहता कि यह सिर्फ कानपुर का ही विश्वविद्यालय होगा किन्तु यह विश्वविद्यालय हमारे प्रान्त की विभूति होगा। इसमें उस कमी की पूर्ति की जायगी जो हमारे प्रान्त के उद्योगों को बढ़ाने के लिये आवश्यक है।

मैं मानता हूं कि प्रान्त के उद्योग आगे बढ़ रहे हैं किन्तु उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिये कुछ स्किल्ड लेबरर्स भी चाहिये और उनकी शिक्षा भी होनी चाहिये। सरकार की निगाह में अनेक योजनायें हैं। पालीटेक्निक आदि नाम से बहुत सी योजनायें हाई स्कूल और इण्टर मीडिएट में हैं किन्तु वे छोटे-छोटे उद्योग धंधों तक ही सीमित रह जाती हैं। कुछ समय पूर्व मुझे लखनऊ के पालीटेक्निक इंस्टीटयूट को देखने का मौका मिला था। मैंने वहां रुपये का अपव्यय होते हुये देखा। किसी-किसी क्लास में १० से भी कम विद्यार्थी थे और अधिक से अधिक १६ विद्यार्थी पाये जिनकी मेन्टीनेन्स में सरकार को अधिक खर्च करना पड़ता है। किन्तु मेरा विश्वास है कि यदि इन सबको कोआर्डिनेट करके एक विश्वविद्यालय खोला जाय जहां इस लक्ष्य से ट्रेनिंग दी जाय कि हमें स्किल्ड लेबरर्स और टेक्नीशियन्स पैदा करना है जिनका उद्देश्य इस प्रान्त के उद्योग को आगे बढ़ाना हो तो कोई वजह नहीं है कि हमें उसके लिये फिर सोचना या पछताना पड़े।

अतः मेरा निवेदन है कि आप इस प्रस्ताव को किसी दूर भविष्य को न टालें बल्कि निकट भविष्य में ही इसको स्थापित करने की बात सोचें और इसके लिये अगर कोई उपयुक्त स्थान हो सकता है तो वह कानपुर ही हो सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि कानपुर में और अन्य संस्थायें जैसे हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इन्स्टीटयूट, शुगर टेक्नोलाजिकल इंस्टीटयूट या ऐग्रीकल्चर कालेज कायम हैं। लेकिन यह होते हुये भी मैं क्या आपसे यह प्रार्थना कर सकूं कि जिस प्रकार से इनमें जो सामग्री तैयार होती है वह प्रान्त

की सेवा के लिये है ठीक इसी प्रकार यह विश्वविद्यालय भी जो कायम होगा वह प्रान्त की सेवा करेगा। किन्तु कानपुर रखने का कारण यह है कि उद्योगों का बाहुल्य कानपुर में है। तमाम उद्योगपति उसको पसन्द करेंगे और सहायता भी देंगे। जनबल भी उसमें सहायता देगा और हर प्रकार से जनता इसका समर्थन करने को तैयार रहेगी। विद्यार्थियों की ओर से मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहता हूं कि उनकी रुचि इसमें अधिकाधिक है।

इस प्रस्ताव के लिये मैं और अधिक समय न लेकर सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार इन संकल्पों पर ध्यान दे जो असरकारी हैं और सदस्यों की ओर से उपस्थित किये जाते हैं। ये प्रस्ताव आवश्यकता को देख कर उपस्थित किये जाते हैं। इन पर वाद-विवाद करने का आशय यही नहीं हुआ करता कि वाद-विवाद के बाद इनको हम ज्यों का त्यों रहने दें, बल्कि हमारा मंशा यह होता है कि सरकार उसकी आवश्यकता महसूस करने के बाद उसे कार्यान्वित कराने का प्रयत्न करे। अतः मेरी प्रार्थना है प्रस्तावक महोदय और सदन से कि यदि यह आवश्यकता मालूम पड़ी है तो इसको केवल वादविवाद करके ताक पर ही न रख दिया जाय बल्कि इसको कार्यान्वित कराने के लिये सरकार पर जोर डाला जाय और अन्त में मैं, श्रीमन्, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संकल्प के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस देश में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसका इतिहास करीब करीब ८०–१०० वर्ष के पहले का है। जब अंग्रेजी शासन इस देश में आया तो उसने एक ऐसी व्यवस्था लाने की बात सोची, ऐसे लोगों को गढ़ने की बात सोची कि जो अंग्रेजी सत्ता इस देश में स्थापित रखें और उनके माध्यम से वे लोग यहां राज्य कर सकें। इसीलिये उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली इस देश में चलाई। श्रीमन्, वह प्रणाली किसी न किसी शकल में अभी भी विद्यमान है। लार्ड मैकाले की रिपोर्ट को देखने से आपको पता चलेगा कि उसने किस प्रकार हमारी भारतीय शिक्षा को बदलने का उपक्रम किया। जो संदेश उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को दिया था उससे स्पष्ट है कि उसकी नीति अंग्रेजी भाषा को प्रचारित कर, अंग्रेजी संस्कृति का प्रचार करने, अंग्रेजी विचारों का प्रचार करने की थी और उसके द्वारा अंग्रेजी सत्ता को दृढ़ बनाने का उसका विचार था। १०० वर्ष के अंग्रेजी शासन में गांव-गांव और शहर-शहर, भिन्न-भिन्न स्थानों पर उसी विचारधारा से प्रेरित होकर विद्यालय खुलते गये और वही विचारधारा प्राइमरी स्टेज से यूनिवर्सिटी स्टेज तक चलती रही। देश की आवश्यकता का प्रश्न दूर रहा, केवल विदेशी शासन कैसे चल सके, किस तरह उसके अनुकूल लोग बनाये जायं, कैसे उस शासन को चलाने में अधिक से अधिक सहायता और सहयोग मिल सके, यही योजना उनके सामने रही। देश की प्रगति कैसे हो, देश की आर्थिक स्थिति कैसे उठे, किस प्रकार उत्तम नागरिक पैदा हों, देश की राष्ट्रीयता कैसे विकसित हो, यह सब भावनायें उन के सामने नहीं थीं और न उनको उसकी आवश्यकता थी। बल्कि वह तो चाहते थे कि किस प्रकार गुलामी की भावना का पोषण हो और ऐसे आदमी पैदा हों कि जो खानबहादुर और रायबहादुर की श्रेणी में रखे जाकर शासन की जड़ मजबूत करें। श्रीमन्, देश में शिक्षा पद्धति का वह ढांचा पश्चिमी संस्कृति की जड़ जमाने के लिये और अंग्रेजी शासन कायम रखने के लिये बनाया गया था, चलाया गया था, वह आज भी देखने में आता है।

यही कारण है कि आये दिन हमारे विद्यालयों में, चाहे माध्यमिक विद्यालय हों अथवा यूनिवर्सिटी, पढ़े लिखे लोगों में असन्तोष की भावना है, वातावरण है और देश के प्रति उनमें आस्था नहीं और वे भिन्न भिन्न समयों पर ऐसे ऐसे कार्य करते रहते हैं कि जिससे राष्ट्र पर बड़ा आघात लगता है। आये दिन हम देखते हैं कि जब हम रेल में बैठते हैं तो हमको वहां पर बल्ब टूटे मिलते हैं, गद्दा चाकू से कटा हुआ मिलता है। हमारे नवयुवक ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे उनको इसका ज्ञान नहीं होता कि वे अपने राष्ट्र की ही सम्पत्ति की हानि कर रहे हैं। इसलिये इससे यह स्पष्ट है कि जिस राष्ट्रीय भावना का हम प्रसार करना चाहते हैं और जिस प्रकार के नागरिक हम अपने देश में बनाना चाहते हैं, उसका कहीं भी सूत्रपात नहीं हुआ है।

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

जो हुआ है वह कम हुआ है और उससे समस्या हमारी सुलझी नहीं है। इस जनतन्त्र में बिना इस शिक्षा के पाये हुये देश का कल्याण होना सम्भव नहीं है। आप किसी भी स्तर पर देखें, आपको एक ही समस्या इस देश में दिखाई देगी और वह समस्या यह है कि यहां पर कैसे मनुष्य बनें। किस शिक्षा के द्वारा यहां मनुष्य बनें, यही एक मसला है। जहां कहीं भी हमारे नवयुवक जाते हैं वह राष्ट्रीयता की उस भावना से ओतप्रोत नहीं होते जिस प्रकार की भावना की हमको इस देश के लिये आवश्यकता है। इसलिये यह शिक्षा का महत्व इस समय इतना बड़ा है कि यदि हम इसको जल्दी नहीं पकड़ते हैं और जल्दी सुधार नहीं लेते हैं और ठीक-ठीक सूत्र का संचालन नहीं करते हैं और ऐसी भावनाओं को प्रोत्साहन नहीं देते हैं तो हमें ऐसी आशंका होती है कि हमारी डेमोक्रेसी भी ऐसे लोग ही बनायेंगे जिसमें भिन्न-भिन्न विचारों के लोग आयेंगे, जिसमें सुन्दर भावनाओं का पोषण नहीं हो सकता है। हम देखते हैं कि अभी भी तरह तरह की समस्यायें पैदा होती जाती हैं। देश के चरित्र निर्माण की तरफ हमने कम ध्यान दिया है।

इस देश में राजनीति का एक स्थान है लेकिन हमारे यहां देश आजाद हुआ और इसमें हम लोग बहुत ओत-प्रोत रहे लेकिन साथ ही साथ राजनीति में काम करने वालों का जैसा इरादा और इच्छा रही है वह भावना अभी पूरी नहीं हुई है। हमें ऐसी भावना उत्पन्न करना है जिससे हमारे नवयुवक ऐसी बातें करें जिससे देश के उत्थान में उनका सहयोग मिले। इस प्रकार के हम नवयुवक बनायें जिससे देश का कल्याण हो। यह केवल शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। यही एक जगह है जहां पर इस प्रकार की शिक्षा मिल सकती है। श्रीमन्, चाहे यूनिवर्सिटी खोलें, चाहे प्राइमरी स्कूल खोलें, मिडिल स्कूल या हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलें या यूनिवर्सिटी खोलें यही हमारे यहां श्रेणियां हैं जिनसे हमारे यहां शिक्षा प्राप्त होती हैं। किन्तु क्या इनसे हमारे देश की समस्या का समाधान हुआ है? समाधान नहीं हुआ बल्कि वह समस्या और बढ़ी है। हमारा एक नवयुवक पढ़ने लिखने के बाद अपने पिता किसान का वह काम नहीं करता है जो टेक्निकल काम वह सदा से करता आया है। जब वह स्कूल से पढ़ कर लौटता है तो जिस गांव से वह आया था उस गांव से उसको घृणा हो जाती है। वह यह समझने लगता है कि गांव ऐसी जगह है कि जो साधारण मनुष्य के रहने लायक स्थान नहीं है। गांव के प्रति उसकी आस्था बिगड़ जाती है। वह यह समझने लगता है कि शहर में रहना चाहिये। वह १० रुपये की नौकरी करना पसन्द करता है लेकिन गांव में वह उस टेक्निकल काम को करना पसन्द नहीं करता, उससे नफरत करने लगता है। यह हमारी शिक्षा की व्यवस्था है।

यह जो संशोधन आया है उसमें एक ऐसी बात आयी है जिससे मालूम होता है कि उस व्यक्ति ने इस पर सोचा है और विचार किया है। माननीय सदस्य यहां पर विराजमान हैं; वह स्वयं इस बात पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। मेरा विचार यह है कि हमको अपनी शिक्षा देश की आवश्यकता के अनुकूल बनानी चाहिये कि हमको क्या जरूरत है। कितने हमको इंजीनियरों की जरूरत है, कितने डाक्टर या किसानों को बताने वाले कितने टेक्निकल आदमियों की जरूरत है और किस योग्यता के हमको चाहिये, इस प्रकार की एक योजना हमको बनानी चाहिये, जिसके अनुसार हमारे स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटीज बनें। इस क्रम से प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और यूनिवर्सिटी की शिक्षा का स्तर हमें निर्धारित करना चाहिये, जिससे हम नवयुवकों को विभाजित करके उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार उनको शिक्षा दे सकें। तभी मेरा खयाल है कि देश की आवश्यकता पूरी होगी और देश उत्थान की ओर जायगा। हमारी यूनिवर्सिटी की शिक्षा इस प्रकार की हो जो राष्ट्रीयता का प्रसार करे। जापान का इतिहास सभी जानते हैं कि १९०१ में जब वह स्वतन्त्र हुआ तो उन्होंने सारी पुरानी पुस्तकों को जला दिया था---क्योंकि उन्होंने देखा कि उस समय विदेशी लोग मौजूद थे, गुलामी की बू उसमें है, उन्होंने सोचा कि उसको बदल ही डालना चाहिये जिससे

कि उसमें अच्छी भावना भरी जा सके। उन्होंने नये ढंग से पुस्तकें लिखायीं, शिक्षकों को ट्रेन किया और फिर विद्यार्थियों को पढ़ाया। यही कारण था कि थोड़े से समय में जापान ने इतनी प्रगति दिखायी। लेकिन हम पंचवर्ष करते हैं, यही कारण है कि हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है। इसी के सिलसिले में नरेन्द्रदेव कमेटी हायर सेकेण्डरी एजूकेशन के सिलसिले में सुधार करने के लिये बैठाई गयी। लेकिन पता नहीं उसके बारे में क्या हुआ। पारसाल के बजट में ३ करोड़ रुपया एजूकेशन सर्वे के लिये रखा गया था उसके बारे में कुछ पता नहीं लग सका। इसके पश्चात् रघुकुल तिलक कमेटी बैठी। माध्यमिक विद्यालयों के मैनेजमेन्ट के बारे में सुझाव देने के लिये १९४८ में एक कमेटी बैठी। मुदालियर और राधाकृष्णन् आदि लोगों की अनेक कमेटियां बनीं जिन्होंने इक्का-दुक्का सुधार करने के बारे में सुझाव दिये लेकिन पूरी स्कीम को कार्यान्वित करने के लिये हमने कोई कदम आज तक नहीं उठाया।

एक लड़का जब वह ६ बरस का होता है, वह शिक्षक के पास जाता है और २० बरस में नागरिक बन कर नागरिकता की भावना से ओत प्रोत होकर निकलता है। इस प्रकार जिस प्रकार का और जिस भावना का आदमी हम चाहते हैं वह बीस बरस में बनेगा। आज अगर एक सुधार किया तो वह २०–३० बरस तक चलेगा और उसका प्रभाव भी इतने बड़े समय में पड़ेगा। तो इस ओर हमें बड़ी सावधानी और पूरे तरीके से कदम को बढ़ाना चाहिये। आज जो विश्वविद्यालय खुले हुए हैं ये हमारी समस्या का हल कभी भी नहीं हो सकते बल्कि ये तो और हमारी समस्याओं को बढ़ाते चले जायेंगे। हमें तो ऐसी शिक्षा-पद्धति को अपनाना चाहिये जिससे कुछ नतीजा निकल सके, हमारी समस्याओं का हल हो सके।

टेक्निकल शिक्षा की एक ऐसी मांग है जिससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। टेक्निकल शिक्षा के लिये जो यह संशोधन पेश किया गया है, वह सामयिक है चाहे वह कानपुर में हो या और किसी स्थान पर हो। गोरखपुर में एक यूनीवर्सिटी खोली गयी है और भी जहां-जहां आवश्यकता हो, खोली जानी चाहिये। जो और भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी कनवर्ट कर दिया जाना चाहिये और योजनानुसार उनको चलाना चाहिये और इस प्रकार से उनको चलाना चाहिये कि जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

शिक्षा की यूनिवर्सिटी स्टेज को सोचने के साथ ही साथ हमें माध्यमिक स्तर पर विचार करना होगा कि वहां लड़कों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाय जिससे वे यूनिवर्सिटी में योग्य साबित हो सकें। माध्यमिक स्तर पर हमें इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिये कि वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। अधिकतर लोगों को हाई स्कूल और इण्टर के बाद ऐसी शिक्षा देनी चाहिये जिससे आवश्यकतानुसार वे कोई काम कर सकें। जो लोग बहुत अच्छे हों वही यूनिवर्सिटीज में जायं क्योंकि उन्हीं से हमें अपने देश का शासन चलवाना है, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उनको भेजना है। इस भावना से हमें यूनिवर्सिटीज को चलाना है।

एक शुगर टेक्नोलाजी का शिक्षालय कानपुर में है जबकि देवरिया, गोरखपुर वगैरह में खेती ईख की अधिक होती है और उसके ऊपर रिसर्च सहारनपुर में होती है। इस प्रकार की हमारी शिक्षा की व्यवस्था है। जिस स्थान पर जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता हो, १०–१५ जिले मिला कर, जोनल या रीजनल बेसिस पर, जहां जिस प्रकार का रा मेटीरियल मिलता हो, विशेष प्रकार की जहां जैसी सुविधायें हों, वहां उसी प्रकार की शिक्षा में प्रशिक्षण होना चाहिये जिससे वहां के लोग उस विषय में योग्य बन कर वहीं की चीजों को समझ सकें। इस प्रकार से जो शिक्षा होगी वह सुनियोजित होगी चाहे कानपुर में हो या किसी दूसरी जगह। फिलहाल कानपुर माडल बने। तो इस गम्भीर विषय पर सदन भली प्रकार से विचार करे और किसी नतीजे पर पहुंचे। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—अधिष्ठाता महोदय, कानपुर शहर उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक केन्द्र है।

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

इस शहर की आबादी १० लाख के ऊपर है और अगर पूरे जिले की आबादी को जोड़ा जाय तो मतगणना के अनुसार १९,३९,८६७ है। इस समय पूरे जिले और शहर में ९९३ प्राइमरी स्कूल्स हैं और इनमें लगभग १,१७,३८५ विद्यार्थी इस समय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कानपुर शहर में भी ४ आर्ट और साइंस कालेजेज हैं, एक ऐग्रीकल्चर कालेज है और एक मेडिकल कालेज है। इनमें ५ आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं और मेडिकल कालेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित है। हमारे इस शहर में ५ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स हैं। हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट है, जिसमें आयल, सोप और केमिकल की विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है। कानपुर टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है जिसमें डाईंग, प्रिंटिंग, वीविंग और स्पिनिंग की शिक्षा प्रदान की जाती है। शुगर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट है जिसमें शुगर के सम्बन्ध में शिक्षा प्रदान की जाती है। लेदर वर्किंग स्कूल है और एक ब्रजेन्द्र स्वरूप इंजीनियरिंग कालेज हैं। साथ ही साथ यहां पर म्युनिसिपल ट्रेनिंग स्कूल, जे० टी० सी० स्कूल, दोसर वैश्य इण्टर कालेज तथा ब्रज भूषण अवस्थी मल्टीपरपजेज इण्टरमीडिएट कालेज भी हैं। इसके साथ ही साथ लगभग ३८ इण्टरमीडिएट कालेज भी कानपुर में स्थापित है। जो डिग्री कालेज हैं उनमें इस समय और इसी वर्ष लगभग ८,००० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लगभग इतने ही विद्यार्थी हर साल परीक्षा में भी बैठते हैं। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा और मैं आपके द्वारा आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर में ही एक वह डिग्री कालेज है जिसके छात्रों की संख्या इस प्रदेश की कई यूनिवर्सिटियों से ज्यादा है और वह है कानपुर का डी० ए० वी० कालेज जिसमें लगभग ५,६०० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और यह क्रम सुबह ७ बजे से प्रारम्भ होता है और रात्रि के १० बजे तक चलता रहता है।

ऐसी हालत में जबकि हमारे यहां इतने ज्यादा शिक्षा केन्द्र हैं, कालेज हैं, तो वहां पर इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है कि वहां एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय। गुलामी के दिनों में अंग्रेजों के जमाने में कानपुर एक फौजी अड्डा था, गोरे जो वहां फौज के रहते थे उनको इस बात की आवश्यकता थी कि उनके कल-कारखाने चलाने के लिये उनको मजदूर मिल जायं, उनकी शासन व्यवस्था चलाने के लिये उनको क्लर्क उपलब्ध हो जायं और इन सब बातों की पूर्ति के लिये कानपुर में कल-कारखानों की स्थापना की गयी और इसी तरह से वहां स्कूलों और कालेजों की स्थापना करके उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली जाया करती थी।

कानपुर के साथ एक और यह दुर्भाग्य रहा है कि जैसे बनारस को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय; अलीगढ़ को सर सैयद अहमद और इलाहाबाद को श्री सी०वाई० चिन्तामणि शिक्षा-विशारद और महारथी मिले, उस तरह का शिक्षा-विशारद और महारथी तथा व्यक्तित्व कानपुर को नहीं मिला। और इसलिये वहां पर अभी तक विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो सकी लेकिन वह युग कि जब व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिये काम होते थे और उनको स्वीकार किया जाता था, अब समाप्त हो गया है और अब ऐसा समय आया है कि जब समूह और समाज की महत्वाकांक्षाओं और भावनाओं का अधिक आदर किया जा रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि अब वह अवसर है कि इस समय हमें कानपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिये। मैं उन आदरणीय सदस्यों का बड़ा ही कृतज्ञ हूं जिन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और जिन्होंने वहां की दस लाख जनता की भावनाओं का और अगर शहर और जिले को शामिल करें तो २० लाख जनता की भावनाओं को व्यक्त करते हुये जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उनका बहुत ही कृतज्ञ हूं और साथ ही मैं माननीय सदस्यों का और भी कृतज्ञ होऊंगा यदि वह इसे स्वीकार कर लें। इस के साथ ही साथ मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में जो संशोधन आये हैं उसके ऊपर मैं कोई विवाद नहीं करना चाहता और न बहस का उत्तर

देना चाहता हूं लेकिन मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि इससे पहले कौंसिल में भी इसी तरह का प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है कि सरकार किसी समय कानपुर में टेक्निकल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी लेकिन सरकार की गाड़ी जरा देर से चलती है और जो हो सकता है कि उसमें अभी साल दो साल का समय लगेगा।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी की स्थापना के संबंध में जो राधाकृष्णन कमीशन ने सिफारिशें की हैं उनके अनुसार भी कानपुर में वह तमाम बातें प्राप्त हैं। जिन आधारों को मानकर कहीं विश्वविद्यालय खोलना चाहिये वह सब कानपुर में विद्यमान हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये पहले कोष या फंड की आवश्यकता होती है, इक्विपमेन्ट या औजारों की जरूरत होती है, कुछ परसोनल या विभूतियों की आवश्यकता होती है और मुझे इस बात को कहने में संकोच नहीं है कि आज कानपुर में जो कालेजेज चल रहे हैं उनको सामान्य रूप से कोई घाटा नहीं है इसलिये वहां धन का प्रश्न नहीं उठता। इसी तरह से वहां औजारों और इक्विपमेन्ट की भी कमी नहीं है और परसोनल भी वहां मौजूद हैं। जिस समय वहां विश्वविद्यालय की स्थापना होगी और एक स्वतंत्र यूनिवर्सिटी कायम होगी तो उस समय इन विभूतियों को अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। कानपुर में इस तरह के परसोनल की कमी नहीं है, अवसर मिलेगा तो वह अपनी प्रतिभा का अधिक प्रदर्शन कर सकेंगे। इसलिये वहां कोष की कमी का या परसोनल का सवाल भी नहीं है, यह ज्यादा अच्छा होगा कि जो कालेज वहां पर हैं उनको कांस्टीटुएन्ट कालेज मानकर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाय, अगर इसे स्वीकार किया जाय तो वहां के जो मौजूदा कालेजेज हैं उन के प्रबन्धकों की भी अच्छी हैसियत है और उनको भी विलीनीकरण का कोई भय नहीं है। इसलिये वहां पर एक यूनिवर्सिटी कायम होना आवश्यक है। इन शब्दों के साथ में इस संकल्प का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि आदरणीय सदन के सदस्य इसे स्वीकार करेंगे जिसके लिये मैं उनके प्रति बड़ा ही कृतज्ञ होऊंगा।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, मैंने प्रस्तावक के प्रस्ताव को और संकल्प के संशोधन को बड़े ध्यान से सुना। मैं एक ऐसे शहर से आता हूं कि जहां इस देश की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया भर की एक निराली यूनिवर्सिटी कायम है। मेरा मतलब रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय से है। वह आज से कुछ साल पहले केवल एक कालेज था और जब उसे विश्वविद्यालय का रूप देने के लिये इस सदन में बिल आया था तो कुछ लोगों को आशंका हुई थी कि वह कालेज ही रहे और विश्वविद्यालय का रूप न धारण करे लेकिन रुड़की के इंजीनियरिंग कालेज में जो कमियां थीं उनको विश्वविद्यालय ने पूरा किया है और वह विश्वविद्यालय एक सफल विश्वविद्यालय है। इसकी सफलता के लिये हम वित्त मंत्री को बधाई दे सकते हैं। इसी प्रकार जब भी इस सदन में किसी विभाग के लिये, यानी उप-प्रदेश के लिये किसी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रश्न आता है तो प्रायः यह कहा जाता है कि विश्वविद्यालय पहले से ही काफी हैं, इसलिये नया विश्वविद्यालय न होना चाहिये। इस दृष्टि से अगर कोई सोचे तो बहुत से लोग यह भी कह सकते हैं कि कानपुर में भी विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं उनमें से हूं जो यह समझते हैं कि इस प्रदेश में जो कि बहुत बड़ा प्रदेश है ऐसे विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है जोकि स्थानीय निकायों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसीलिये मैंने दो तीन बार इस सदन में मेरठ में विश्वविद्यालय कायम करने का प्रस्ताव रखा था। मेरा विचार यह है कि इंगलैन्ड में जो कि इस प्रदेश की आबादी का दो-तिहाई का देश है यानी जिसकी आबादी केवल साढ़े चार करोड़ है उसमें दो दर्जन से अधिक विश्वविद्यालय हैं। तो इंगलैन्ड में जब दो दर्जन से अधिक विश्वविद्यालय हो सकते हैं तो साढे छः करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में अगर एक दर्जन भी विश्वविद्यालय हो जायं तो उसके लिये हमें संकोच नहीं करना चाहिये। इसी दृष्टि से मैं कानपुर में विश्वविद्यालय का समर्थन करता हूं।

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

जो यह आज के एजेंडे में तीन संकल्प हैं, मेरठ का विश्वविद्यालय कायम हो, कुमायूं का विश्वविद्यालय कायम हो, और कानपुर का विश्वविद्यालय कायम हो, इन तीनों को एक ही में लिया जाता और तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना पर इस सदन में विचार किया जाता तो अच्छा था। लेकिन चूंकि वह दोनों विश्वविद्यालयों का विषय पेश नहीं है इसलिये मैं समझता हूं कि कानपुर के विश्वविद्यालय के संबंध में मैं अपने कुछ विचार प्रगट कर दूं।

श्री लालबहादुर सिंह जी और श्री अवस्थी जी ने जो संशोधन पेश किये हैं मेरी राय में यह ठीक नहीं हैं और अगर हम उनको स्वीकार कर लेते हैं तो कानपुर में यद्यपि टेक्नालाजिकल विश्वविद्यालय तो कायम हो जाता है लेकिन कानपुर के सभी कालेजों में असंगति बनी रहती है। एक ही शहर के कुछ कालेज ऐसे रहेंगे जो किसी और विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होंगे और कुछ कालेज ऐसे रहेंगे जो कानपुर के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होंगे। आज भी वहां पर, वहां का मेडिकल कालेज लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है और दूसरी ओर डी०ए०वी० कालेज सनातन धर्म कालेज और क्राइस्ट चर्च कालेज आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। यह एक असंगति सी है जिसका संशोधकों ने कोई हल नहीं बताया। इसलिये मेरी राय में यह संशोधन उपयुक्त नहीं है कि कानपुर में टेक्नालाजिकल विश्वविद्यालय कायम किया जाय और साधारण विश्वविद्यालय न हो। मेरी राय में अगर कानपुर में विश्वविद्यालय कायम होना है और होना चाहिये तो वह सर्वांगीण होना चाहिये। उसमें सर हरकोर्ट बटलर इंस्टीट्यूट और ऐग्रीकल्चरल कालेज भी आ सकता है और दूसरे इंस्टीट्यूट्स आ सकते हैं। उनके साथ डी० ए० वी० कालेज, सनातन धर्म कालेज और क्राइस्ट चर्च कालेज भी सम्मिलित किये जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि जब विश्वविद्यालय बनाया जाता है तो उसमें सब विद्याओं का अध्ययन होना चाहिये, पठन-पाठन होना चाहिये सिवा उन विश्वविद्यालयों के जो किसी विषय विशेष के लिये रखे जाते हैं जैसे कि रुड़की का विश्वविद्यालय है। इसीलिये आम तौर पर यह देखा जाता है कि विश्वविद्यालय की सफलता तभी हो सकती है जबकि उसमें विविध विषय पढ़ाये जायं। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि अगर कानपुर में टेक्नालाजिकल विश्वविद्यालय स्थापित होता है तो वहां के जो अन्य महाविद्यालय हैं उनकी उसमें संगति नहीं होती है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन इस समय उपयुक्त नहीं है और कानपुर के विश्वविद्यालय की आवश्यकता को इस दृष्टिकोण से पूरा किया जाना चाहिये कि कानपुर के जितने कालेज हैं सब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों।

मेरा यह खयाल है कि इस प्रदेश में जब हम यह कहने लगते हैं कि नया विश्वविद्यालय कायम होना चाहिये तो सरकार की ओर से भी और बहुत से उन मित्रों की ओर से भी जिन के यहां विश्वविद्यालय पहले से विद्यमान हैं, कहा यह जाता है कि नये विश्वविद्यालयों की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले कहा था कि इंगलैण्ड के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अगर बहुत से विश्वविद्यालय रखे जायं तो कोई हानि नहीं है लेकिन हमारे प्रान्त में एक और दृष्टि से भी इसकी आवश्यकता है। वह यह है और मैं उस दृष्टि को मानने वाला हूं। हिमालय के प्रांगण में जो इलाके हैं उनकी अपनी एक विशेष परिस्थिति है और उस परिस्थिति को कानपुर, बनारस या इलाहाबाद या लखनऊ के विश्वविद्यालय नहीं पूरा कर सकते। और इसलिये अगर हम ऐसे विश्वविद्यालय की जैसे कि कुमायूं विश्वविद्यालय है, मांग करते हैं कि वहां पर ऐसा विश्वविद्यालय हो तो हम कोई नई बात नहीं कहते हैं क्योंकि हम उस प्रदेश की ऐसी आवश्यकताओं को जो आज पूरी नहीं हो रही हैं उनको पूरा करने के लिये नये विश्वविद्यालय की मांग करते हैं। इसी प्रकार मेरा खयाल यह है कि मेरठ के इलाके में जब विश्वविद्यालय की मांग करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे प्रदेश ने ही नहीं सारे देश ने जिस खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया है वह खड़ी बोली

मेरठ के इलाके में है और उसमें रिसर्च के लिये एक विशेष विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। इसीलिये हम मेरठ विश्वविद्यालय की मांग करते हैं, इन शब्दों के साथ में यह कहते हुये कि विश्वविद्यालय काफ़ी हैं और विश्वविद्यालय होने चाहिये, कानपुर में वैसे विश्वविद्यालय की मांग का समर्थन करता हूं जो वहां के सभी कालेजों को आपस में सम्बद्ध कर सके।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने प्रस्तुत संकल्प पर सभी माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना और विचारधारायें जिस दिशा की ओर अग्रसर हैं मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं और इस सदन में पहले भी युनीवर्सिटीज पर डिबेट हुई हैं उससे हमें उस दिशा का पता चल जाता है जिधर हम जा रहे हैं।

मैं यह बताना चाहता हूं आज बीसवीं सदी में जब सारे संसार के अन्दर डेवलपमेंट ऐक्टीविटीज का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, जब बड़े बड़े शहर जहां राष्ट्रों की डेवलपमेंट ऐक्टीविटीज केंद्रित थीं और आज साइंस और विज्ञान के युग में जब उन्होंने देखा कि भविष्य में उन सारी चीजों की सुरक्षा के प्वाइन्ट आफ व्यू से अधिक खतरा होने जा रहा है तो इस नतीजे पर पहुंचे कि सारी डेवलपमेंट ऐक्टीविटीज को एक ही जगह में केंद्रित करना अपने देश को खतरे में डालना है। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे यहां भी जब शहरों में बहुत सी ऐक्टीविटीज हैं, उनके ऊपर और विकास के कार्य लादना शहरों की जिन्दगी को गंदा करना है, ऐकोमोडेशन की समस्या को और जटिल बनाना है तथा उनकी और प्राबलम्स को उग्ररूप में खड़ा करना है।

आपको पता है कि हमारे प्रदेश की प्रीमियर म्युनिसिपैलिटी लखनऊ है; जो साहब जानना चाहते हैं वे चौक एरिया में जायं और देखें कि वहां स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, वह नक्शा आपकी आंखों के सामने आयेगा। अगर आप इन शहरों की आबादी को और बढ़ाने जा रहे हैं तो इनकी प्राबलम्स को और उग्र रूप में पैदा करने जा रहे हैं जहां आपको कंट्रोल करना नामुमकिन होगा। इसलिये डेवलपमेंट की ऐक्टीविटीज को इन शहरों में ही केंद्रित करना बुद्धिमानी का काम नहीं है। हमने देखा है कि रूस और अमेरिका ने समय की पुकार को सुनकर अपनी पालिसीज को अमेंड किया है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जब हमारा देश आर्थिक हालत के इस गर्क में पड़ा हो, फाइनेंसेज बहुत कम हों, जबकि बेसिक इंडस्ट्रीज जिनका सेकेंड फाइव ईयर प्लान में जिक्र कर दिया गया है हमारी सरकार के पास रुपये की कमी है तो मैं समझता हूं ऐसे समय में ऐसे विकास के स्तर पर बिना किसी प्लान के अपनी ऐक्टीविटीज को बिखेर दें तो अपनी शक्ति को स्फैटर करना होगा, उसको पूरी तरह से जाया करना होगा और इसमें कोई अक्लमन्दी की बात नहीं है। कोई भी अभागा प्राणी इस देश के अन्दर नहीं है जो नहीं चाहता हमारे देश के अन्दर अधिक से अधिक विश्वविद्यालय हों, और स्टैंडर्ड विश्वविद्यालय हों। जिनमें आज की शिक्षा-दीक्षा न दी जाय, बल्कि ऐसी शिक्षा-दीक्षा दी जाय जो कि आने वाले ५० वर्षों के अन्दर जो विकास हमारे यहां होने जा रहा है उस विकास में अधिक से अधिक सहायता दे सके। ऐसी शिक्षा-दीक्षा का हमारे देश का हर नागरिक स्वागत करेगा। जो सरकारें, जो हुकूमतें और जो राष्ट्र अपने देश के विकास का और उसके भविष्य का नजारा नहीं देखते और उस भविष्य के नक्शे को देखते हुये जो उसकी व्यवस्था करने की कोशिश नहीं करते, उस दिशा की ओर अपने कदम नहीं बढ़ाते जिधर कि उस विकास के प्रकाश की किरणें उन्हें ले जाने की प्रेरणा देती हैं, मैं समझता हूं कि वह देश आत्मघात करने जा रहा है। इसलिये मैं यह बताना चाहता हूं कि निष्पक्ष भाव से, किसी का पक्ष न करते हुये, अगर हमारे अन्दर दृढ़ता है, अगर हम अपने निश्चयों पर चट्टान की तरह खड़े हैं तो कल भी हमारे उत्तर प्रदेश में सरकारें होंगी, कल भी उत्तर प्रदेश में विधान भवन होगा और उनमें भी लिखे-पढ़े लोग और बड़े चतुर लोग एम०एल०एज० होंगे,

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

तो यह समझना कि जिस काम को आज हम न कर पायेंगे इस देश के भविष्य की संतान उस काम को न कर सकेगी, यह बड़ी भूल हमारी तरफ से होगी। मैं समझता हूं कि अगर आप ऐसी गलती करने भी जा रहे हैं कि आप अपने फाइनेंसेज को इस प्रकार स्कैटर करने जा रहे हैं जहां अधिक आवश्यकता है उस दिशा में आप अपने सारे रिसोर्सेज को डेवलप नहीं करने जा रहे हैं, अगर आप उसका बटवारा करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वह बंटवारा उन क्षेत्रों के हक में होना चाहिये जहां इसकी जरूरत है और अधिक जरूरत है।

मैं आपको बताऊं, यहां पर सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, यूनिवर्सिटी और कालेज, हायर सेकेंड्री स्कूल और दूसरी दूसरी शिक्षा संस्थायें, सब की भरमार है। परन्तु खेद यह है कि जहां तक यूनिवर्सिटी एजुकेशन का हमारा मकसद होता है वह मकसद पूरा नहीं होता। मैं समझता हूं कि लाखों करोड़ों ग्रेज्युएट जो हमारी यूनिवर्सिटियां पैदा करती हैं अगर उनके दिमाग के अन्दर वह ऐसी उत्पत्ति और ऐसी क्षमता को पैदा करने में फेल होती हैं जिससे कि हमारे वह पढ़े लिखे लोग ऊंची से ऊंची और अच्छी से अच्छी व्यवस्था अपने देश के विकास की करने में सफल नहीं होते, इस देश की प्लानिंग में वह अपने दिमाग की उत्पत्ति का सबूत नहीं दे सकते, अगर हमारे साइंटिस्ट नये इन्वेशंस करके इस देश के रिसोर्सेज को बढ़ाने में, उनको डेवलप करने में, उनको एक्सप्लायट करने में अपनी बुद्धि का परिचय नहीं दे पाते तो मैं समझता हूं कि उस पढ़े लिखे समाज से हमारी यूनिवर्सिटी को कोई क्रेडिट नहीं। उसके बजाय मैं उस यूनिवर्सिटी को क्रेडिट देता हूं जिसके चन्द ग्रैजुएट ही निकलकर अपने देश के विकास के लिये नये नये तरीके निकालते हैं, नये नये इन्वेंशंस करते हैं जिनसे कि हमारे देश के अन्दर चमत्कार होता है तो मैं उन लाखों और करोड़ों ग्रैज्युएट्स से उस व्यक्ति को अधिक सम्मान देता हूं। उस यूनिवर्सिटी का मैं अधिक आदर करता हूं जिस यूनिवर्सिटी की पैदावार हमारे देश के विकास को आगे बढ़ाने में अधिक से अधिक सहयोग दे सकती है। इसलिये यूनिवर्सिटी खोल देना यह कोई बड़े प्राइड की बात नहीं है अगर उसके अन्दर ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि हमारी भावी संतान अपने देश के विकास में अधिक से अधिक सहयोग दे सके। इस एजुकेशन से तो एजुकेशन अच्छी है। इस एजुकेशन से बड़ी बड़ी खराबियां पैदा होती हैं। उससे वह दिमाग जो कि दूसरे बड़े-बड़े कामों में आ सकता था, आइडिल हो जाता है। पढ़े लिखे लोग भी दूसरों की भिक्षा के आकांक्षी बने रहें, दूसरों की कृपा के भिक्षुक बने रहे, मैं समझता हूं कि हम ऐसी एजुकेशन को लानत भेजते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि हमें एम० ए० और पोस्ट ग्रेज्युएट की शिक्षा देकर इतना अपंगु बना देती है कि हम रोटी के लिये दर दर फिरते हैं, मैं समझता हूं कि ऐसी शिक्षा की हमें जरूरत नहीं है। आज हमारी यूनिवर्सिटी की शिक्षा की यह प्राब्लम नहीं है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी ने इन बड़े बड़े कार्यों की ओर हमारा कंसेन्ट्रेशन नहीं किया, अगर शिक्षा-दीक्षा से समाज को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं की, उसके अन्दर अच्छा और एफिशियेंट स्टाफ हम न रक्खें, वहां हम लिखाई पढ़ाई के लिये अच्छे से अच्छा सुभीता अपने विद्यार्थियों को न दें, च्वायस आफ सब्जेक्ट न दें और सामग्री पढ़ने के लिये न हो तो मैं समझता हूं कि यह तो नेशन की एनर्जी को और पब्लिक एक्सचेकर को और हमारे दिमागों की कूवत को खराब करना है। उससे देश की ताकत नहीं बनती।

मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि भले ही आज लिखे पढ़े लोगों का समर्थन मेरी इस आवाज के पीछे न हो, भले ही उनकी ताकत मेरे साथ न हो, भले ही उनका वोट और उनका ऐग्रिमेंट मेरे साथ न हो, परन्तु मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं कि आखिर को कल उत्तर प्रदेश इस बात को महसूस करेगा कि हमारे दोस्तों ने कहां गलतियां की हैं। अगर ऐसा होना ही है तो जैसा कि माननीय शास्त्री जी ने यहां पर कहा है, यह स्पष्ट है कि कुमायूं, रुहेलखंड और मेरठ डिवीजन के लिये अवश्य यह बात कही जा सकती है

और कुछ प्रोपोजल इसके लिये सरकार के सामने आ सकता है, उसको कंसीडर किया जा सकता है।

कानपुर में इतने कालेजेज हैं। वहां मेडिकल कालज भी खुल रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी कानपुर के पास ही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी दूर नहीं है। अगर हर कालेज को यूनिवर्सिटी का रूप देना है तो दूसरी बात है, लेकिन जहां तक सरकारी खजाने पर आश्रित होकर इन यूनिवर्सिटीज के खोलने की बात है तो वह जनहित के खिलाफ है। विकास के प्वाइन्ट आफ व्यू से यही उचित है कि जो इगनोर्ड क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जहां से मौजूदा यूनिवर्सिटियां दूर पड़ती हैं, गरीब किसान और मजदूर अपने बच्चों को दूर दूर शिक्षा मंदिरों में शिक्षा देने से अब अपने को असमर्थ पाते हैं, वहां उनके घरों के नजदीक उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती है तो उसमें कोई सेंस हो सकता है। फाइनेंस के प्वाइन्ट आफ व्यू से देखा जाय, उत्तर प्रदेश के भविष्य को देखा जाय और कुछ विकास को दृढ़ से दृढ़ स्तर पर करने के विचार से देखा जाय तो आज यह ऐडवाइजेबिल नहीं है कि हम इस तरह से यूनिवर्सिटीज की भरमार कर दें। हर कोई यूनिवर्सिटी की चिल्लाहट करे, हर डिग्री कालेज को यूनिवर्सिटी बनाया जाय, यह कहां तक जस्टिफाइड है ? मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जब कि यूनिवर्सिटी आपकी बगल में हो तो फिर डिग्री कालेज खोलने का आप क्या हक रखते हैं ? आपके पास रुपया है। वह रुपया आपका नहीं है। अगर रुपया आपके पास है तो वह हमारे समाज की कमाई है। अगर आप उसको अपना रुपया कहते हैं तो आप सेंस आफ जस्टिस नहीं रखते। अगर आप कहते हैं कि रुपया जुटा लेने मात्र से सारी ऐक्टिविटीज केंद्रित कर दी जायं तो वह नाजायज बात है; हम अपने देश को, प्रदेश को इस तरह से पीछे ढकेल रहे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थों को लेकर इस तरह से हम विकास की ऐक्टिविटीज को डैमेज करते हैं। तो इस प्रकार के कालेज हमारे नौजवानों के लिये नहीं होने चाहिये। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह हमारे राष्ट्र के रुपये का बिलकुल एक बेजा खर्चा है। इसके लिये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हर जिले के अन्दर आप इतने डिग्री कालेजेज खोल दें और इतना अधिक रुपया खर्च करें यह कोई जायज बात नहीं है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि अगर हम लोगों की कलेक्टिव बुद्धि से, कलेक्टिव विचारों से कोई एक नतीजा नहीं निकलता है तो इस सदन में जितने भी डिएकशंस होते हैं उन पर हम अपने घर से चिट्ठी भेज सकते थे, हर शख्स अपने विचारों को भेज सकता था और इस प्रकार सरकार के खजाने का डी० ए० और टी० ए० बच सकता था। जब हम मिलते हैं तो सदन में एक साथ बैठने का मकसद यह है कि सब लोग अपने दिमाग एक साथ लगा कर किसी एक निर्णय पर पहुंचें। हम लोग किसी एक व्यक्ति के निर्णय के लिये इस सदन में नहीं आये हैं। हम इस सदन में जनता की निगाह से मसलों को देखेंगे, जनता की बुद्धि से, जनता की जरूरियात को देखते हुए, जनता के कानों से सुन कर और जनता की आंखों से देखकर, जनता की जबान में बात करने के लिये हम इस सदन में आये हुये हैं। अगर हर सदस्य सदन में अपनी व्यक्तिगत हैसियत से बात करता है तो फिर यह हाउस आफ दि पीपुल नहीं रहता। यहां जितने भाषण होंगे, जितने रीजन्स होंगे, जितनी दलीलें और तकरीरें होंगी वह व्यक्तियों की हैसियत से नहीं बल्कि प्रतिनिधियों की हैसियत से और जनता के सामूहिक मसलों के दृष्टिकोण से होंगी और जनता की बुद्धि से उनके ऊपर देखने का प्रयास किया जायगा। बड़े बड़े और ऊंचे व्यक्ति जिनका कि अधिक विकास हो चुका हो, उनके दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो समाज और मुल्क हमारा उस विकास के साथ जाने को तैयार नहीं है। हम तो धीरे-धीरे जनता के उन कामों के साथ चलना चाहते हैं जिस जनता के भार को हम अपने विकास के अंगों के साथ खींच खींच कर आगे ले जा सकते हैं।

श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्राचीन समय से बहुत पुराने जमाने से हिन्दुस्तान तालीम के लिये मशहूर रहा है। हमारे यहां नालंदा

[श्री शिवराज बहादुर]

यूनिवर्सिटी थी जिसमें एक एक प्रोफेसर दो दो सौ, तीन तीन सौ जबानों का जानने वाला था और इब्नबतूता, फाहियान और मेगस्थनीज जैसे लोग यहां आये और उन्होंने यहां के इल्म और हुनर की तारीफ की। तो आज अगर हम यूनिवर्सिटीज की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें तो कोई ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है।

मैं मोतीलाल जी का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये आपके सामने खड़ा हुआ हूं। हम जिस दृष्टिकोण से आज देखें, यह महसूस करेंगे कि भारतवर्ष में जो तालीम है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े माहिर हैं। ऐसे लोग हैं जिसमें डाक्टर राधाकृष्णन जैसे लोग मौजूद हैं, और भी बड़ी-बड़ी जबानों और इल्मों के जानने वाले हैं, लेकिन अगर हम सामूहिक रूप से देखें तो तालीम की कमी है। १५ फीसदी से कम लोग ऐसे हैं जो तालीमयाफ्ता हैं और ८५ फीसदी से ज्यादा ऐसे हैं जिनमें तालीम नहीं है। इतनी कमी होते हुए भी हम देखते हैं कि हमारे नौजवान लोग बड़े परेशान हैं, उन्हें सर्विस नहीं मिलती है, नौकरियां नहीं मिलतीं, बड़े बेकार हैं। इसकी वजह क्या है? हमने यह देखा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज, कालिजेज और जो छोटे-छोटे स्कूल हैं वहां से जो लोग पढ़ कर निकलते हैं वह "जैक आफ आल ट्रेड्स बट मास्टर आफ नन" बनकर निकलते हैं। बहुत सी चीजों का उन्हें थोड़ा थोड़ा सा इल्म होता है, थोड़ी-थोड़ी जानकारी होती है लेकिन किसी चीज में तकमील नहीं कर पाते। जब तक किसी आदमी को एक चीज में तकमील न हो, उस वक्त तक उसके फन की कद्र नहीं होती। एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हमारे यहां से जो विद्यार्थी निकलते हैं, पढ़ने के बाद वह बेचारे या तो दफ्तर के बाबू होने की कोशिश करते हैं या छोटी और बड़ी नौकरियों की तलाश में रहते हैं। उनका लक्ष्य फार दि अल्टीरियर परपज यह होता है कि हम यहां से निकल कर कोई बिजनेस करें, कोई काम करें, नालेज फार नालेज सेक नहीं। वह इससे बेखबर होते हैं कि यूनिवर्सिटी की स्पिरिट क्या होती है, क्यों लोग कालेजों को स्कूलों से बेहतर और यूनिवर्सिटियों को कालेजों से बेहतर समझते हैं। यूनिवर्सिटी की स्पिरिट ऐसी होती है जहां तक एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म एक चीज सीखता है, लेकिन उसके साथ बहुत सी चीजों का ज्ञान हासिल करने की कोशिश करता है। ऐसे सम्पर्क में आता है, ऐसे कंटैक्ट में आता है जिससे बहुत सी चीजों का उसे ज्ञान होने लगता है। तो आज हमें इस बात की आवश्यकता है कि यूनिवर्सिटियां जितनी भी ज्यादा हो सकें उतनी हमारे देश के लिये और प्रांत के लिये बेहतर हैं।

मेरे एक भाई ने यह कहा कि रुपये की बड़ी कमी है। यह मुमकिन नहीं है कि गवर्नमेंट धड़ाधड़ यूनिवर्सिटियां खोलती चली जाय। तो मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि कानपुर एक ऐसा शहर है जहां से लाखों रुपया दूसरे लोगों को चन्दा दिया जाता है, मुख्तलिफ तौर से संस्थाओं को, पार्टियों को और एलेक्शन के लिये चन्दा दिया जाता है। तो मेरा ख्याल तो यह है कि कानपुर आज ऐसी हालत में है कि एक नहीं दो यूनिवर्सिटियां भी कायम करना चाहे और अगर उनको गवर्नमेंट की हेल्प मिले तो वह खुद कायम कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में हैं। लेकिन मैं एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जरूरत इसलिये महसूस करता हूं कि आज यू० पी० में क्या, सारे देश में, मुझे माफ करेंगे, टेक्नीकल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन उनमें बहुत कमियां हैं। जो वहां से लोग निकलते हैं वह सौ सवा सौ और डेढ़ सौ रुपये की नौकरी तलाश करते हैं, वह ऐसे न हों बल्कि ऐसे हों जो चीजें बना सकें। अभी देखिये अच्छी घड़ियां हमको फारेन से मंगानी पड़ती हैं। हिन्दुस्तान में साइकिल बनती हैं लेकिन विदेशी साइकिलें ज्यादा बेहतर समझी जाती हैं। हमारे यहां अच्छे निब और अच्छी रोशनाई तक नहीं बन सकती है। ऐसी चीजें जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में आती हैं वह भी हमें बाहर से मंगाना पड़ती हैं। मशीनरीज बाहर से मंगानी पड़ती हैं और उसके लिये हमें बर्मिंघम और जर्मनी का मुंह देखना पड़ता है। अलीगढ़ में ताले अच्छे बनते थे और आज भी बनते हैं, इसी तरह से मेरठ में कैंचियां अच्छी बनती हैं।

आज इस बात की बड़ी जरूरत है कि कानपुर में टेक्निकल कालेज खोला जाय जिसमें तमाम यू० पी० के लोग आयें। हमारे प्रांत की ६ करोड़ से ज्यादा की आबादी है। इसलिये वहां पर लोग मुख्तलिफ तरह की चीजें बनाना सीखें और वह नौकरी तलाश न करें बल्कि ऐसी चीजें बनाएं जिनकी हमारे यहां खपत हो सके। इससे बड़ी हद तक बेकारी दूर हो सकती है। इसलिये आवश्यकता है कि कानपुर जैसे शहर में, जहां सैकड़ों कारखाने हैं, सैकड़ों लोग सैकड़ों चीजों के जानने वाले हैं और वह एक तिजारती मरकज है, यूनिवर्सिटी खोली जाय तो वह जरूर कामयाब होगी और उसकी कामयाबी से लोगों में जोश बढ़ेगा और दूसरी जगह के लोग भी अपने यहां यूनिवर्सिटी कायम करने की कोशिश करेंगे। इससे दो मकसद हल होंगे, एक तो यह कि बेकारी दूर होगी और दूसरे ऐसी चीजें अपने यहां बनने लगेंगी जिनको हम बाहर से मंगाते हैं। इन बातों को मद्देनजर रखते हुये हमें यह नहीं कहना चाहिये कि कानपुर जैसी जगह में यूनिवर्सिटी खोलने में गवर्नमेंट को परेशानी होगी। गवर्नमेन्ट के तो इशारा करने की देर है और वहां यह हालत हो सकती है कि शानदार यूनिवर्सिटी कायम हो और जो लोग निकलें वह अपना काम करें और देश में ऐसी चीजें पैदा करें जो बाहर से मंगानी पड़ती हैं। मैं अपील करता हूं कि यह तजवीज निहायत मुनासिब है और टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर में कायम होनी चाहिये।

श्री आर्थर सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)—मिस्टर चेयरमैन, मैं इस संकल्प के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं जो हाउस के सामने इस वक्त पेश है कि कानपुर में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोलने की सख्त जरूरत है। मैं जानता हूं कि सरकार के पास रुपये की बहुत कमी है और हर रुपये को यह दो-दो दफा घुमाकर खर्च करती है। मैं कह सकता हूं कि कानपुर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी कायम करने के लिये अगर चन्दा उठाया जाय तो बहुत रुपया इकट्ठा हो सकता है। मैं यह कहता हूं कि रेजीडेन्शियल ऐज वेल ऐज ऐफीलियेटेड यूनिवर्सिटी हो जाय और उसी से मेडीकल कालेज और दूसरे कालेजेज भी ऐफीलियेटेड हो जायं। लेकिन इसमें तो समय लगेगा और बहुत दिन लग जायेंगे।

मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां तक यह सवाल है कि कानपुर में टेक्निकल एजूकेशन देने की सख्त जरूरत है उसके लिये हम यह कह सकते हैं कि वहां ऐसी टेक्निकल एजूकेशन हो सकती है जिसमें ज्यादा रुपया खर्च न हो। हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मल्टी परपजेज स्कूलों के खोलने के लिये कहा है। मैं कहता हूं कि ऐसे दो स्कूल खोल दिये जायं जो टेक्निकल हों और नाइट स्कूल्स हों।

तीन चार साल हुए मैंने एक संशोधन मिलों में विद्यार्थियों को ट्रेनिंग हासिल करने के लिये रखा था। मैंने कहा था कि ऐप्रेन्टिस स्कीम चालू कर दी जाय। लेकिन लोगों ने कहा कि यह बड़ा मुश्किल है, एक तो उन लोगों को ८०-९० रुपया महीना देना पड़ेगा, उनको काम भी सिखायें और ऊपर से यह कि हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में आ जायं, यह बहुत मुश्किल बात है। बहरहाल मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमें इस बात को देखना चाहिये और हमारे यहां अप्रेन्टिस स्कीम बड़ी आसानी से हो सकती है। कम्पल्सरी मिनिमम वेज और डी० एफ० ए० हटा दिया जाय और उसकी जगह ३०,४०,६० रुपये रख दिये जायं। पहले साल ३०, दूसरे साल ४० और तीसरे साल ६० रुपये देने की स्कीम बना दी जाय और मल्टी परपजेज स्कूल्स शुरू कर दिये जायं और ये ऐपरेन्टिसेज वहां जायं और फिर धीरे-धीरे वह यूनिवर्सिटी हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बात पर ध्यान देगी और कानपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का जल्द से जल्द इंतजाम करेगी।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, कानपुर के अपने माननीय सदस्यों की भावनाओं से मेरी पूर्ण सहानुभूति है। वास्तव में हम तो वह स्वप्न देखते हैं कि कभी वह समय आये जब कि हमारे हर जिले में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो। माननीय दीनदयालु जी शास्त्री ने इंग्लैन्ड का उदाहरण दिया। हम

[श्री देवकीनन्दन विभव]

भी जानते हैं कि हमारे इस प्रदेश में जितने ही विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी उतना ही प्रदेश के लिये कल्याणकारी होगा। अभी गत वर्ष हमारे प्रदेश में दो विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, एक काशी में संस्कृत विश्वविद्यालय की और दूसरे गोरखपुर विश्वविद्यालय की। लेकिन हमें विश्वविद्यालय के साथ ही दूसरी अनेक समस्याओं पर भी विचार करना आवश्यक हो जाता है। हो सकता है कि इसमें कुछ भाइयों को एतराज हो कि कानपुर तो लखनऊ से ४५ मील ही दूर पर है और इलाहाबाद से भी ज्यादा दूर नहीं है फिर कानपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की जाय।

एक बात मेरे मस्तिष्क में स्पष्ट नहीं हुई है कि कानपुर के भाई क्या अपने यहां एक एफिलियेटेड यूनिवर्सिटी चाहते हैं या रेजीडेन्शल यूनिवर्सिटी चाहते हैं। यदि वे केवल एक एफ़िलियेटेड, एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटी चाहते हैं तो मुझे सख्त अफसोस है कि मैं उनके इस विचार का समर्थन नहीं कर सकता। अगर एग्जामिनिंग बाडीज हमारे प्रदेश में ज्यादा संख्या में पैदा हो जायंगी तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा बल्कि हानि ही होगी, क्योंकि जितनी छोटी यूनिट्स होती हैं उतना ही जो एक एजूकेशन का स्तर है, उसे वे कायम नहीं रख सकतीं। रेजीडेन्शल यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात भिन्न है। लेकिन उसके साथ अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। आप जानते हैं कि इस प्रदेश में कई रेजीडेन्शियल यूनिवर्सिटीज हैं। आपको यह भी पता होगा कि हर रेजीडेन्शियल यूनिवर्सिटी को सरकार को साल में कम से कम १०,१२ लाख रुपया देना पड़ता है और उसके बाद भी यूनिवर्सिटीज कर्ज में रहती हैं और उनकी और कई तरह से मदद करनी पड़ती है। तो हमें इस बात पर व्यावहारिक रूप से विचार करने की आवश्यकता है कि हम इस प्रदेश में कितनी रेजीडेन्शियल यूनिवर्सिटीज कायम कर सकेंगे।

इसके साथ ही प्रदेश में जहां कि हम ९ करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च करते हैं, हमें यह भी देखने की आवश्यकता है कि हम कितना रुपया प्राइमरी एजूकेशन पर खर्च करें, कितना सेकेण्डरी एजूकेशन पर और कितना युनिवर्सिटी एजूकेशन पर। अब हमने यहां यह निश्चय किया है कि हम अपने प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर करेंगे तो यह मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्राइमरी एजूकेशन का कितना महत्व इस समय प्रदेश के लिए है।

इसके अतिरिक्त मैं प्रि-प्राइमरी एजूकेशन की तरफ भी सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह ३ वर्ष से ६ वर्ष तक के बच्चों के लिए है। मुझे अफसोस है कि हमारे प्रदेश ने पहली बार प्रि-प्राइमरी एजूकेशन के लिए १ लाख रुपया रखा है। मैं तो कहता हूं कि मनुष्य का निर्माण ३ से ६ या ८ वर्ष की अवस्था तक हो जाता है और उसके बाद की शिक्षा मार्ग प्रदर्शन के लिए एक थोड़ा-सा साधन मात्र रहती है। उसमें उसको आप मोल्ड नहीं कर सकते, सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। मुझे अफसोस है और मैं कहना चाहता हूं कि जब हम केवल एक लाख रुपया प्रि-प्राइमरी शिक्षा पर खर्च करते हैं तो हम किस प्रकार युनिवर्सिटीज पर और रुपया खर्च करें और खास तौर पर एफिलियेटिंग युनिवर्सिटीज पर। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने मुदालियर कमीशन और राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा होगा और शिक्षाविदों के विचारों को सुना होगा, उन्हें अच्छी तरह विदित होगा कि एग्जामिनिंग बाडीज जो हमारे प्रदेश में हैं वह क्या करती हैं।

आगरा की जहां तक मांग है, मैं कह सकता हूं वह यह है कि उसको शीघ्र से शीघ्र रेजिडेन्शियल युनिवर्सिटी में बदल दिया जाय और एग्जामिनिंग बाडी कहीं और स्थापित हो जाय तो आगरा को उसमें एतराज नहीं है। मुझे कोई कारण नहीं दिखायी पड़ता कि हम क्यों और एग्जामिनिंग बाडीज स्थापित करते हुए चले जायं।

टेक्निकल कालेज की बात जो मिस्टर ग्राइस ने कही, वह मुझे पसन्द आयी। टेक्निकल और मल्टीपरपज स्कूल्स एक अच्छे पैमाने पर कानपुर में स्थापित हों, मैं उसका समर्थन करता

हूं। मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता है और उसे स्थापित होना चाहिए। आज यदि आप अमेरीका के अच्छे टेक्निकल कालेजेज को देखें तो जितने महत्वपूर्ण साधन वह कालेजेज में जुटा देते हैं टेक्निकल एजूकेशन के लिए वह हमारी किसी यूनिवर्सिटी में भी मिलना मुश्किल होंगे और कई मानों में उससे अच्छे हैं।

हमें यह भी देखना है कि जो भी संस्था स्थापित कर उनको पूर साधन दिये जायं। टेक्निकल युनिवर्सिटी आपके यहां रुड़की कालेज में चल रही है जिसमें एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मिकैनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाती है। मैं समझता हूं उस यूनिवर्सिटी में भी बहुत-सी कमियां हैं। यदि हमारे पास साधन हों तो हम उसको प्रथम श्रेणी की यूनिवर्सिटी बनाना चाहेंगे लेकिन साथ ही मैं कानपुर की भावनाओं का भी आदर करता हूं। मैं समझता हूं कानपुर हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा इन्डस्ट्रियल सेन्टर है। वहां पर बड़े ऊंचे दर्जे का एक मल्टीपरपज टेक्निकल स्कूल जैसा कि मिस्टर ग्राइस ने कहा, यदि हम स्थापित कर सकें, तो बहुत अच्छा होगा।

इस सम्बन्ध में कुछ भाइयों ने कुमायूं के सम्बन्ध में कहा। कुमायूं के भाइयों की भी आकांक्षा हो सकती है और मेरठ में भी एक यूनिवर्सिटी की आवश्यकता हो सकती है लेकिन जिस समय वह यूनिवर्सिटी की बात करें, तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं कि उनके दिमाग में यह बात साफ होनी चाहिए कि किस प्रकार की यूनिवर्सिटी वह चाहते हैं। एग्जामिनिंग युनिवर्सिटी के स्थापित करने से न उनका कल्याण होगा, न हमारी शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा और न उनकी समस्या ही हल हो सकती है जिसको वह सुलझाना चाहते हैं। इसलिए जिस शक्ल में यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया है, मुझे खेद है, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। कानपुर के जो माननीय मित्र हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वह इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि आज क्या होता है। आपके लखनऊ में एक मेडिकल कालेज था। एक मेडिकल कालेज कानपुर में और स्थापित किया गया। बड़ी खुशी है और हमको इससे कोई गुरेज नहीं है। कानपुर में मेडिकल कालेज के अलावा और भी प्रदेश के स्थानों में मेडिकल कालेज स्थापित करने की आवश्यकता है लेकिन आप यह देखें कि जब साधन न हों तो उसका परिणाम क्या होता है। उसका परिणाम यह होता है कि आप के पास टेक्निकल आदमियों की कमी है और मुझे मालूम है कि टेक्निकल स्तर के आदमियों का इन मेडिकल कालेजों में बटवारा हो गया है। मेरा ख्याल है कि जो एफिशियेन्सी इन तीनों कालेजों में अब तक थी उसमें कुछ न कुछ कमी आयी है। आपके पास जो साधन थे वह एक सीमित साधन कहे जा सकते हैं। उनका बटवारा कर के जो परिणाम हुआ उसका असर लखनऊ मेडिकल कालेज पर क्या पड़ा और आगरा मेडिकल कालेज पर क्या पड़ा यह सोचने और समझने की आवश्यकता है। इस तरह से काम नहीं चलेगा।

हम प्लानिंग के युग से गुजर रहे हैं। हमें सारे प्रदेश में प्लानिंग करनी पड़ेगी और इसको देखना पड़ेगा कि किस तरह की प्लानिंग की आवश्यकता है और किस तरह की प्लानिंग से हमारा प्रदेश आगे बढ़ सकता है। थर्ड ग्रेड संस्था खोलने से प्रदेश का लाभ नहीं होगा। हमें संस्था ऐसी खोलनी चाहिए जिससे इस प्रदेश का ही लाभ नहीं बल्कि दूसरे देशों की संस्थाओं से मुकाबला कर सके। ऐसी संस्थाओं का खोलना हमारे देश के लिए गौरवपूर्ण होगा। लेकिन एक छोटी संस्था खोलना जिसको न तो हम टेक्निकल आदमी दे सकें, न पूरा साधन दे सकें और न पूरे इक्विपमेन्ट दे सकें, तो वह बजाय शिक्षा के स्तर को ऊंचे करने के नीचे गिराता है। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि जो मुझे कहना था वह मैंने कह दिया।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं और वाजिब है कि इस संकल्प को पेश करने वालों की लिस्ट में जो नाम हैं उनको अवसर कब मिलेगा। मुझे सदन के नियमों की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं

श्री अधिष्ठाता---अब तो मैंने उग्रसेन जी को बुला लिया है, आपको भी मौका मिलेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---अधिष्ठाता महोदय, मैं मोतीलाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। हमारे देश में टेक्निशियन्स की बहुत कमी है। पहली पंचवर्षीय योजना में हमारा अरबों रुपया लगा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि हमारे पास टेक्निशियन्स होते तो हमारा बहुत-सा धन जो प्लानिंग में बेकार खर्च हो गया है, वह बच जाता। आये दिन इसी सदन में हम देखते हैं कि एक बांध जिसका १ या २ करोड़ का बजट था उस पर ४, ५ करोड़ रुपया खर्चा हो गया। आडिट रिपोर्ट से पता चलता है कि जितनी धनराशि स्वीकृत होती है उससे अधिक खर्च हो जाती है, रूपरेखा ठीक से नहीं बन पाती है और कारण यही है हमारे यहां टेक्निशियन्स की कमी है। पुराने जमाने में हर एक विषय की जानकारी हमारे देश के लोगों को विशेष तौर से हुआ करती थी। अगर हमारे कानपुर के साथी वहां एक टेक्निकल विश्वविद्यालय की मांग करते हैं तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इससे इन्कार नहीं होगा। कानपुर औद्योगिक केन्द्र है और कपड़े का सबसे बड़ा उद्योग है। मुझे मालूम है कि टेक्सटाइल उद्योग में जब एक स्पिन्डिल टूट जाता है तो उसके लिए भी बाहर को आर्डर देना पड़ता है। जो छोटे-मोटे कारखाने हैं यहां स्पिन्डिल की खराद के लिए हैं वे उन्हें ठीक से नहीं बना पाते हैं। नतीजा यह होता है कि जब मालिकों से कहा जाता है कि कपड़े के खाते में फलां औजार टूट गया है तो वह कहते हैं कि उन्होंने लंकाशायर, मानचेस्टर या जापान को आर्डर दिया हुआ है। मैं तो एक चीज की मांग करता हूं कि अगर टेक्सटाइल टेक्नालोजी कानपुर में चला दी जाय तो वहां मिलों का आउटपुट और मजदूरों की एफिशियेन्सी बढ़ जायगी, कानपुर के मिलों का उत्पादन भी शोलापुर, बम्बई और अहमदाबाद के मिलों से कम नहीं होगा। इस से मजदूरों को भी बहुत लाभ होगा।

इसके साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूं। गोरखपुर में भी विश्वविद्यालय खुला, मगर उसकी फाइनेन्शियल जिम्मेदारियां भी कुछ होती हैं। जब मुझे यह मालूम हुआ कि कानपुर की जनता खर्च का बड़ा हिस्सा देने के लिए तैयार है तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हम चाहते हैं कि कानपुर ही नहीं, टेक्निकल विश्वविद्यालय के नाम पर देश के सभी धनीमानी लोग रुपया दें और यहां विश्वविद्यालय बनें।

रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की बात कही जाती है। लेकिन रुड़की युनिवर्सिटी से जो इंजीनियर्स या ओवरसियर्स निकलते हैं वह किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। जब फ्लड डिवीजन में उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है तो उनको बड़ी परेशानी होती है क्योंकि वे ट्यूबवेल्स का काम जानते हैं, इरिगेशन का काम जानते हैं जब वे फ्लड के काम में लगा दिये जाते हैं, उनको कठिनाई होती है। इसलिए रुड़की यूनिवर्सिटी में जो विशेष प्रकार के टेक्निकल काम नहीं सिखाये जाते उनके लिए कानपुर में यूनिवर्सिटी बनायी जाय।

विभव जी ने कहा कि दो एजुकेशन की बड़ी भारी आवश्यकता है, एक तो प्राइमरी एजूकेशन लाजिमी हो। हमारी भी यही मांग ह। सोशलिस्ट पार्टी यह मांग करती है कि हमारी प्राइमरी एजूकेशन लाजिमी होनी चाहिए। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। मगर जिन लोगों को देश का निर्माण करना है, उनको हमें टेक्निशियन्स के रूप में देखना है। बिना टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वे सिद्धहस्त नहीं हो सकते, कुशल और निपुण नहीं हो सकते। आज जबकि हमारा देश द्वितीय पंचवर्षीय योजना से गुजर रहा है, जबकि हमारे देश को कुशल और निर्माण करने वाले लोगों की आवश्यकता है, हमें उन लोगों की खास जरूरत है।

श्रीमन्, विदेशों की बात की जाती है। मैं जापान की बात बताना चाहता हूं। जापान में कहीं जाइये, प्राइमरी स्टेज से लेकर यूनिवर्सिटी स्टेज तक, टेक्नालोजी की शिक्षा दी जाती है। जर्मनी में हिटलर के जमाने में जबकि बच्चे स्कूल में भी दाखिल नहीं होते थे, उससे पहले ही स्पेशल ट्रेन्स में बैठा कर इन्डस्ट्रियल कन्सर्न्स को दिखाया जाता था। विदेशों के लोग, जब तक बच्चे किताबों को भी नहीं खोलते, सरकार की ओर से उनके अभिभावकों

की ओर से यह प्रयत्न होता है कि वह यह जानें कि लड़का किस टेक्निकैलिटी में जा सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अल्ला मियां ने कह दिया कि प्रकाश हो जाय और प्रकाश हो गया। हमें तो अपने बच्चों को बनाने के लिए शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करना होगा। बचपन से ही हमें उनका दिमाग टेक्निशियन्स की ओर मोड़ना होगा।

मैं रूस का एक उदाहरण दता हूं। रूस में जब कि क्रान्ति हुई और लेनिन की सरकार आयी, वहां टेक्निशियन्स की बहुत कमी थी। आरम्भ में तो उन्होंने बुर्जुआ टेक्निशियन्स से काम चलाया लकिन सेकिंड फाइव इयर प्लान के आते-आते इतने ज्यादा टेक्निशियन्स उन्होंने पैदा कर लिये कि उनकी कोई कमी नहीं रही। हर डिपार्टमेन्ट में स्टेख नोवाइट नाम का एक आन्दोलन चलाया गया और जो किसी विषय का विशेषज्ञ हो जाता था उस को लेबर हीरो कहा जाता था तथा इस मूवमेन्ट का सदस्य माना जाता था। बिना टेक्नालोजी के देश में किसी भी इन्डस्ट्री का कुशलपूर्वक संचालन नहीं हो सकता। बेकारी को खत्म करने के लिए और इन्डस्ट्रियलाइज अपने देश को करने के आधार पर हम कभी भी टेक्निकल युनिवर्सिटी का विरोध नहीं कर सकते हैं। यह हम मानते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, कपड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी लांग टर्म योजनाओं की पूर्ति के लिए कानपुर में टेक्निकल युनिवर्सिटी की जरूरत है। गोरखपुर में रूरल युनिवर्सिटी है। अगर ऐग्रीकल्चर की, पलड की वहां पर शिक्षा दी जाय तो कम से कम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा कानपुर में दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मोतीलाल जी अवस्थी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--अभी एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था कि अगर एक प्रस्ताव ४-५ सदस्यों की तरफ से आये और एक सदस्य उसको मूव करता है तो दूसरे लोगों को भी बोलने का कोई अधिकार रहता है या नहीं। मैं उन की जानकारी के लिए बतला देता हूं कि जो माननीय सदस्य मूव करते हैं वही मूवर की हैसियत रखते हैं, बाकी माननीय सदस्यों के अधिकार बिलकुल बराबर हैं, कोई फर्क उनके अधिकारों में नहीं रह जाता।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने आज के प्रस्तुत संकल्प और उसमें प्रस्तुत किये हुए संशोधनों को बड़े आदर पूर्वक सुना। मेरी ऐसी धारणा है कि आज जैसे जैसे शिक्षा की प्रगति होती जा रही है, यूनिवर्सिटी की डिमाण्ड भी बढ़ती जा रही है और ऐसी मांगों का होना स्वाभाविक है। मेरा हमेशा से यह विश्वास है और मेरी यह आस्था है कि एजूकेशन को टाप प्रायरिटी मिलनी चाहिये। लेकिन श्रीमन्, इस प्रस्तुत संकल्प से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये यह आवश्यक है कि हम दो मौलिक बातों पर गौर करें। एक तो यह कि आज शिक्षा का प्रसार किस प्रकार से होना चाहिये और किस प्रकार की शिक्षा होने की मांग देश करता है और किस प्रकार की शिक्षा का प्रसार करना देश के हित में हैं। और जब हम इन प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त कर सकेंगे तब हमको यह देखना होगा कि वह प्रसार किस प्रकार हो, किस रूप में हो और उसका लोकेशन किस सिद्धान्त के आधार पर हो।

पहली बात मैं श्रीमन्, आपके द्वारा नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। आज कितनी ही शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता हो लेकिन आर्थिक सीमा को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और उस सीमा को ध्यान में रखते हुए ही हमको यह सोचना पड़ेगा कि जितना प्रसार हम शिक्षा का कर सकते हैं उसमें किस चीज की शिक्षा को टाप प्रायरिटी दें। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश में टेक्निकल एजूकेशन की बहुत जरूरत है। आज हमारे देश में टेक्निकल एजूकेशन की कमी है। हमारे प्रधान मंत्री बार-बार घोषित कर चुके हैं कि देश में इंजीनियर्स की कमी है, ओवरसियर्स की कमी है। आज देश का निर्माण हो रहा है और आज निर्माण के युग में यह आवश्यक है कि हम ऐसी शिक्षा दें जिस शिक्षा के फलस्वरूप उस निर्माण के सहायक लोग ही समाज म आवें और उनका विकास हो।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

दूसरी बात यह है श्रीमन्, कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काटेज इंडस्ट्रीज के प्रसार पर बहुत बड़ा बल दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में भी कोई ऐसी शिक्षा संस्था नहीं है जहां पर काटेज इंडस्ट्रीज के लिये कोई अच्छी एजूकेशन मिल सके। जापान में देखिये, चीन में देखिये, इसके अलावा स्विटजरलैण्ड और नार्वे में देखिये कि वहां काटेज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेण्ट के लिये किस तरह से बड़े बड़े केन्द्र हैं और किस तरह से वहां इंडस्ट्रीज का विकास हो रहा है। वहां पर जो शिक्षा हमको मिलती है और जो अनुभव हमको प्राप्त होता है और जो उस शिक्षा को प्राप्त करके आदमी समाज में आते हैं वे काटेज इंडस्ट्रीज का उसी तरह से प्रसार कर पाते हैं जिससे देश का हित हो। दुर्भाग्यवश आज हमारे देश में काटेज इंडस्ट्रीज की बात तो कही जाती है, काटेज इंडस्ट्रीज की बार-बार दुहाई दी जाती है तथा भाषण भी काटेज इंडस्ट्रीज पर दिये जाते हैं लेकिन उनका प्रसार कैसे हो, उनकी मौलिक दिक्कतें किस तरह से दूर हों, इसका अब तक कोई प्रबन्ध नहीं है। तो आज हमको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा।

श्रीमन्, आज हम देखते हैं कि रामपुर, अल्मोड़ा और बनारस में तथा और कई जगहों में वोकेशनल ट्रेनिंग के सेन्टर गवर्नमेंट की तरफ से खोले जा रहे हैं जहां ड्राफ्ट्समैन, वायरमैन, रेडियो मेकेनिक और कई तरह की टेक्निकल शिक्षा उन केन्द्रों में दी जाती है। लेकिन जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है और जिस मात्रा में वह शिक्षा दी जाती है वह समुचित नहीं है, वह पर्याप्त नहीं है। उसके प्रसार की आवश्यकता है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है और उस ओर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम देश के इस निर्माण युग में टेक्निकल एजूकेशन की तरफ उतना ध्यान न दे पायें जितना देने की आवश्यकता है तो उस दौड़ में हम पीछे रह जायेंगे और जो हमारा लक्ष्य है उसकी पूर्ति में हम इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ सकेंगे जितना कि बढ़ना चाहते हैं। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि आज यूनिवर्सिटी एजूकेशन जिस तरह से दी जाती है उसके एक्सपैन्शन की आवश्यकता इतनी नहीं है जितनी कि टेक्निकल एजूकेशन की आवश्यकता है और वह टेक्निकल एजूकेशन भी ऐसी हो कि जो केवल टेक्निकल सेन्स ही में टेक्निकल न हो, उसका अर्थ केवल यह न हो कि जिस तरह के आज के टेक्निकल कालेज विद्यमान हैं वहीं तक उनकी परिधि सीमित हो बल्कि हमें तो अब उस दायरे को उस परिधि को बढ़ाना होगा और उस परिभाषा में हमें लोगों को काटेज इंडस्ट्रीज और छोटे उद्योग-धंधों की शिक्षा देनी होगी, जिस से हमारी जो बेकारी की समस्या है, जो एक ज्वलंत समस्या है, उसका हल हो सके। देश की बेकारी की समस्या को यूनिवर्सिटी एजूकेशन बढ़ाकर हल नहीं किया जा सकता। यदि हमें बेकारी को दूर करना है तो हमें सर्वप्रथम टेक्निकल एजूकेशन को ही बढ़ाना होगा और मेरा तो यहां तक मत है कि अब तो समय आ गया है कि हम यह देखें कि इंटरमीडियेट एजूकेशन के बाद, जो कि एक एलीमेन्टरी स्टेज है, वहां तक तो शिक्षा दी ही जाय, वह तो एक तरह से प्राइमरी स्टेज है लेकिन उसके बाद स्टेज आता है कि हम देखें कि विद्यार्थी किस दिशा में बढ़ना चाहता है। मेरी भावना है कि जिस दिशा में विद्यार्थी प्रवृत्ति रखता है उसको उसी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करना चाहिये। यदि उस विद्यार्थी में फर्स्ट या सेकिंड डिवीजन प्राप्त करने की विशेष योग्यता हो तब तो वह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आगे पढ़े और उसके लिये इस तरह के विश्वविद्यालयों के दरवाजे खुले रहें लेकिन जो इस प्रकार की योग्यता न रखते हों और जिनमें क्षमता न हो उनके लिये उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, शिक्षा देने का प्रबंध हमें करना होगा और वह साधन उपलब्ध कराने होंगे जिन से वह भी समाज का उपयोगी अंग बन सकें और इसके लिये आवश्यक है कि हम अपना सारा ध्यान टेक्निकल एजूकेशन की ओर केन्द्रित करें। जो छोटे-छोटे केन्द्र जगह-जगह छितरे हुए हैं वे भी खुले रहें लेकिन

उससे ज्यादा आवश्यक यह है कि हम अपने यहां टेक्निकल यूनिवर्सिटी कायम कर सकें और वहां हम इन तमाम बातों का सामंजस्य स्थापित कर सकें और एक प्रकाशपुंज स्थापित कर सकें जिससे इस तरह की काटेज इंडस्ट्री और इस तरह की टेक्निकल एजूकेशन, जो ऊंचे लेविल की हो और जो छोटे विषयों में भी लाभप्रद हो, दे सकें।

अब यह भी एक प्रश्न है कि ऐसी यूनिवर्सिटी कहां खोली जाय। मैं उन मेम्बरान के विरोध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को कानपुर में खोलने का अनुरोध किया है। वह प्रदेश में जहां भी खोली जा सके, अच्छा है। अगर सरकार के साधन असीमित हों तो वह हर जिले में खोली जाय तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर हमें सीमित साधनों के अन्दर चलना है और यदि हमारे पास सीमित मात्रा में धन है और उसी में हमें सब काम करने हैं तो हमें एक ऐसा प्लानिंग करना होगा कि यूनिवर्सिटी इस हिसाब से खोली जायं जिससे प्रदेश के हर कोने के लोगों को पूरा-पूरा लाभ पहुंच सके। इसलिये यह आवश्यक होगा कि हम आगे विश्वविद्यालय खोलें तो इस तरह से कि अगर कहीं २० मील या ५० मील की रेडियस में कोई दूसरी यूनिवर्सिटी मौजूद है तो वहां न खोलकर ऐसी जगह खोलें कि जहां दूर तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने सीमित साधनों में जो हमारी एनर्जी है उसका हम पूरा उपयोग नहीं कर सकेंगे।

मैं तो आप की आज्ञा से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि विभाजन के प्रश्न को लेकर इसी सदन में पूर्वी और पश्चिमी जिलों के मामले में बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं लेकिन मैं तो उन लोगों में से हूं जो कि प्रदेश के बटवारे के मूव को बहुत ही घातक समझते थे, समझते हैं और समझेंगे। मेरा तो एक ही निवेदन है कि जब-जब कोई नई स्कीम हम अपने प्रदेश में लायें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इसमें ऐसा सामंजस्य रहे कि किसी भी विशिष्ट स्थान के, विभिन्न रीजन के लोगों को ऐसा विचार न होने लगे कि उनकी कोई अवहेलना ही निरन्तर होती रहती है। मैं समझता हूं, यदि यह कहा जाय कि कुछ पश्चिमी नगरों की यह शिकायत है तो अतिशयोक्ति न होगी कि उनकी अवहेलना हो रही है। आज कुमायूं विश्वविद्यालय की मांग आपके सामने है, आज रुहेलखंड विश्वविद्यालय की मांग इस सदन के सामने है, आज मेरठ के विश्वविद्यालय की मांग इस सदन के सामने है। उसमें बल है और इसलिये बल है कि उनके क्षेत्रों का अधिकार है और वाजिब अधिकार है कि वहां पर भी जो सरकार के नये प्रयास हो रहे हैं, उनसे वह लाभान्वित हों।

मेरा इतना ही निवेदन है कि बजाय इसके कि हर क्षेत्र से मांग व्यक्तिगत रूप से आये, सरकार इस तरह से कदम उठाये कि जितने साधन सरकार के पास उपलब्ध हों जिस मात्रा में वह टेक्निकल इंस्टीट्यूट या रूरल यूनिवर्सिटी खोलने की क्षमता रखती हो, वह स्वयं इस बात को निश्चय करे, इक्विटी के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए कि किसी एक जगह डुप्लीकेशन न हो जाय, वह निश्चय करे और उस निश्चय को अपने प्रदेश के हित की निगाह से सर्वमान्य माने।

मेरी माननीय मंत्री जी से, जो यहां बैठे हैं, यह प्रार्थना है कि आज हम टेक्निकल एजूकेशन का किस तरह से प्रसार कर सकते हैं और टेक्निकल एजूकेशन जिसके द्वारा ही हम अनएम्प्लायमेन्ट दूर कर सकते हैं, उसको किस तरह से पूरा कर सकते हैं और जिस हद तक पूरा किया जा सके पूरा करना चाहिये।

इसलिये मैं इस प्रस्ताव के सिद्धांत का समर्थन करता हूं।

श्री हरीसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो सदन के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि कानपुर शहर में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि उत्तर प्रदेश में बहुत से शहर हैं, यदि प्रत्येक शहर में विश्वविद्यालय

[श्री हरीसिंह]

की स्थापना की गयी तो शायद हमारी सरकार इसमें असमर्थ हो । हां, पता नहीं क्यों, आसपास के जिले और कानपुर के जिले को नहीं सम्मिलित किया । मैं चाहता हूं कि विश्व-विद्यालय से किसी शहर या जिले से ही सम्बन्ध न हो बल्कि उस के आसपास के जिले जिस जिले का वह शहर है और जिस के नाम से वह विश्वविद्यालय खुल रहा है वह भी सम्मिलित हों । यदि एक शहर के लिये, क्योंकि वहां पर व्यापारी वर्ग रहता है, क्योंकि वहां अधिक उद्योग धंधे हैं, महज इसलिये विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय तो यह दूसरे शहर के निवासियों की हकतलफी होगी । उनका भी अधिकार है कि वह भी अपने शहर के लिये एक अलग विश्वविद्यालय खुलवाने के लिये आप से निवेदन करें । तो मेरा माननीय सदस्यों से यह नम्र निवेदन है कि वह बजाय इसके कि कानपुर जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये प्रश्न उठायें, इस बात की मांग करें और हम साथ देंगे, उनको सहयोग देंगे कि यह विश्वविद्यालय सिर्फ शहरों के लिये न हो । अगर सरकार इस तरह से विश्वविद्यालय खोलेगी तो मेरी समझ में नहीं आता कि जनता का, देहात का इतना रुपया करों द्वारा और दूसरे साधनों द्वारा आता है, सब शहरों में विश्वविद्यालय पर अगर खर्च कर दिया गया तो जो देहात के विद्यार्थी हैं, नवयुवक हैं जिनको हम शिक्षा देना चाहते हैं, वह सब वंचित रह जायेंगे । हम आज यह देख रहे हैं कि जितने विश्वविद्यालय खुले हैं सब शहरों में हैं । लखनऊ में एक विश्वविद्यालय है । लखनऊ के पूर्व तरफ इलाहाबाद का विश्वविद्यालय मौजूद है । फिर एक बीच में विश्वविद्यालय की जरूरत पड़ गयी । दो-दो मील पर विश्वविद्यालय खोले जायं । आज कालेजेज की गिनती की जाय तो उतने नहीं होंगे जितने की मांग है । जहां मजदूरों ने अपने पैसे से स्कूल कालेज बनाये हैं जहां ७,८ लाख रुपये से इस प्रकार के आने के पहले कालेज खोल दिये गये थे और जहां किसान का दर्जा एक पास लड़का रेडियो बनाना सीखता था आज वहां की मांग की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया । जहां ४,५ जिलों में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, वहां की जनता हृदय से चाहती है कि विश्वविद्यालय हो । लेकिन महज कानपुर के शहर में क्योंकि वहां बड़े-बड़े सरमायेदार रहते हैं जबकि वहां के देहातों में इतने स्कूल नहीं होंगे जितने इस प्रान्त के प्रत्येक जिले में हैं । पैसा दे सकते हैं इसलिये वहां कालेज खोल दिये जायं जिसमें उनके लड़के शिक्षा प्राप्त करेंगे । मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि वहां विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिये । टेक्निकल कालेज या विश्वविद्यालय होना चाहिये जिससे अच्छे इंजीनियर्स ओवरसियर्स, फिटर्स मेकेनिक्स निकलें और देश की आवश्यकता को पूरी करें । ऐसे विश्वविद्यालय जिनमें लड़के पढ़ कर बाबू बन कर निकलते हैं, जिन पर इतना अधिक रुपया खर्च किया जाता है ऐसे विश्वविद्यालय तो ४०, ४० मील के फासले पर हैं ही, इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, लखनऊ, लेकिन जहां विश्वविद्यालय की जरूरत है उधर कोई ध्यान नहीं । मैं तो कहता हूं कि कानपुर में ही नहीं बल्कि प्रत्येक जिले में टेक्निकल कालेज होने चाहिये ताकि वहां के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले । कानपुर में आपने एक मेडिकल कालेज खोल दिया, ठीक है, खोलना चाहिये था । लेकिन पश्चिमी जिले का विद्यार्थी अगर मेडिकल कालेज में आयेगा तो वह खर्चा कहां से देगा इतना ? इसलिये मैं कहता हूं कि आप मेरठ में खोलिये, मुजफ्फरनगर में खोलिये, बुलन्दशहर में खोलिये, उधर दृष्टि क्यों नहीं जाती ? लेकिन आज ३०० मील से गरीब विद्यार्थी पढ़ने आता है तो उसकी सुविधा का भी तो ध्यान रखिये उसके जिले में न कोई मेडिकल कालेज, न विश्वविद्यालय, कोई चीज नहीं है ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि कानपुर में टेक्निकल कालेज होना चाहिये आज वहां के सरमायेदार पैसा दे देंगे लेकिन कल को तो सारा बोझ सरकार पर आयेगा फिर कोई पैसा नहीं देगा और नतीजा यह होगा कि यह १०,१२ लाख रुपया गरीब जनता की जेब से आया करेगा । जिसकी जेब से रुपया आयेगा उसका भी तो ख्याल सरकार को करना चाहिये । इसलिये मैं तो कहूंगा कि सरकार को देहातों में ऐसी संस्थायें खोलनी चाहिये ताकि गांव के बच्चे शिक्षा पा सकें । यदि आप यह भी नहीं

कर सकते तो हमारे मेरठ में चौधरी मुख्तार सिंह का स्थापित किया हुआ टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उसमें दर्जा चार पास कर लड़के फिटर्स बन करके अच्छी अच्छी जगह निकल जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है आज भी सरकार ऐसी शिक्षा पर ध्यान नहीं देती जिससे कि यहां का नवयुवक अपनी रोजी कमा सके, अच्छी चीजों का उत्पादन कर सके और हमारा देश उन चीजों के उत्पादन के द्वारा धनाढ्य बन सके, विदेशों को हम वह चीजें भेज सकें। तो सरकार को जरूर ऐसी बात सोचनी चाहिये और हमें ऐसे टेक्निकल कालेज, ऐसे विश्वविद्यालय खोलने चाहियें जिससे कि हमारी बेकारी दूर हो, हमारे राष्ट्र में अच्छी-अच्छी चीजों का उत्पादन हो, अच्छे शिल्पकार, अच्छे दस्तकार बन कर के निकलें। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप बजाय इस विश्वविद्यालय के हर जिले में और खासकर उन इलाकों में जहां देहातियों ने काफी स्कूलों की स्थापना की है, उन देहातों में टेक्निकल कालेज खोलें ताकि वहां के नवयुवक उससे सही फायदा उठा सकें।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)---मैं विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अब इस प्रस्ताव पर बहस खत्म की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(श्री मदन पांडेय का नाम पुकारा जाने पर)

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---इधर आप किसी को बुलाते ही नहीं हैं। उधर से ही लोगों को बुला लेते हैं।

श्री अधिष्ठाता---बात यह है कि जो लोग जरा नुमायां होकर खड़े होते हैं उन पर मेरी नजर पड़ जाती है और उन्हें मैं बुला लेता हूं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, किसी विश्वविद्यालय या किसी शिक्षा संस्था के खोलने की बात जब उठती है तो इस प्रदेश का कोई भी भला आदमी ऐसा नहीं होगा जो इसके विरोध की बात सोचे। आज कानपुर विश्वविद्यालय के लिये जो प्रस्ताव हुआ था उसमें माननीय अवस्थी जी ने इस प्रश्न को लोकलिज्म से उठाकर प्रदेशीय स्तर पर रखने वाला यह जो संशोधन पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। मूल प्रस्तावक को भी मैं बधाई देता लेकिन उस तरफ के जिन प्रस्तावकों को हम बधाई दिया करते हैं उनसे कुछ खतरा कल ही से पैदा होने लग गया है। हम रात भर सोहर कहते रहे और सुबह के वक्त मालूम हुआ कि बच्चा ही नहीं हुआ। कुल बधाई दे गये, दो दिन तक बहस हुई, उसके बाद प्रस्ताव वापस। इस प्रस्ताव के प्रस्तावक से मैं यह कहूंगा कि कहीं वह इस प्रस्ताव को भी वापस न ले लें जिससे कि अवस्थी जी का संशोधन भी चला जाय और हम लोगों का यह लेक्चर और यह सब कुछ कहना भी व्यर्थ हो जाय।

अब इस संशोधन और मूल प्रस्ताव के बारे में मैं दो चार बातें कहना चाहता हूं। कानपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो और अधिक से अधिक स्कूल और विश्वविद्यालय हमारे इस प्रदेश में कायम हों तथा जितनी यहां की जरूरत है उसके मुताबिक शिक्षा संस्थायें हमारे सूबे में स्थापित हों, यह सबकी कामना है और होनी चाहिये। लेकिन आज तक जितनी शिक्षा संस्थायें कायम हुई हैं उनमें से अधिकांश अंग्रेजी जमाने की ही हैं और उनमें हम लोग क्लर्क पैदा करते रहे हैं। लेकिन जब से स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है तब से हमने शिक्षा को एक दूसरे नुक्ते निगाह से भी देखना शुरू किया है। अब हम अपने देश की जरूरत के मुताबिक ऐसे विद्यार्थियों को पैदा करें जो हमारे मुल्क की समस्याओं को हल करना शुरू करें और

[श्री मदन पाण्डेय]

शायद इन्हीं चीजों की पूर्ति के लिये टेक्निकल विश्वविद्यालय या ग्रामीण विश्वविद्यालय या इस तरह के विश्वविद्यालयों की चर्चा शुरू हुई है। चर्चा तो शुरू होती हुई हम कई वर्ष से सुनते हैं लेकिन जिन-जिन विश्वविद्यालयों को हमने मूर्त होते देखा है या जिनको असली जामा पहनाने की बात सामने आयी है, उन्हें देखने से तो कुछ निराशा सी प्रतीत हुई है। कानपुर में अवश्य ही एक विश्वविद्यालय होना चाहिये यह हमारी इच्छा है और सबकी इच्छा होगी लेकिन क्या उसी तरह का एक और स्टीरियो टाइप्ड विश्वविद्यालय जिस तरह की और यूनिवर्सिटी हमारे सूबे में है, अधिकाधिक क्लर्क पैदा करने वाली मशीनें पहले से जो मौजूद हैं, क्या उसी तरह की एक और मशीन, एक और कारखाना क्लर्क पैदा करने का खोल दिया जाय या कोई इस तरह की शिक्षा उस में दी जाय जो हमारे मुल्क की समस्याओं को हल करने वाली हो ?

हमारे इस प्रदेश की मुख्य समस्या अन्न समस्या के अलावा जो इस वक्त है यह है कि हमारे प्रदेश में भूमि पर अधिक भार है। हर स्क्वायर माइल में जो पापुलेशन है वह कुछ हिस्सों में तो संसार के काफी घनी आबादी वाले क्षेत्रों से भी अधिक है। अगर ऐवरेज पापुलेशन के आंकड़े देखे जायं, तो काफी अच्छी तादाद भूमि पर निर्भर करती है और उस से ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि का भार हल्का होना चाहिए। सवाल पैदा होता है कि यह भार कैसे हल्का हो। तो हमें निश्चित रूप से यह सोचना पड़ता है कि हमारी जो युनिवर्सिटीज बनें उन में भी इसी प्रकार की शिक्षा दी जाय जो हमारे प्रदेश की नितान्त आवश्यक कमियों की पूर्ति करें।

भूमि पर भार हल्का करने की एक मात्र दवा जो लोग बतलाते हैं वह है इन्डस्ट्रियलाइजेशन। अगर हमारे इस प्रदेश का औद्योगीकरण काफी बड़े पैमाने पर हो जाय तो निश्चित रूप से हमारी भूमि पर भार हल्का हो सकता है और हमारे यहां जो कभी-कभी भुखमरी की समस्या आती है और कभी-कभी हम दैवी विपत्तियों के कारण कठिनाइयों में पड़ जाते हैं उन से हम छुटकारा पा सकते हैं, अगर इस तरह के विद्यार्थी यूनिवर्सिटीज से शिक्षा प्राप्त करके निकल सकें जो इन समस्याओं को हल करने में सहायक हो सकें। किस प्रकार से यह सहायक हो सकते हैं ? औद्योगी करण करने से भूमि का भार हल्का हो सकता है। दो प्रकार के औद्योगीकरण हो सकते हैं। एक छोटा उद्योग और दूसरा बड़ा उद्योग। बड़े उद्योग की दृष्टि से कानपुर का स्थान प्रदेश में ही नहीं वरन सारे देश में महत्वपूर्ण है। अगर बड़े उद्योगों के लिए हमें टेक्निकल हैन्ड्स की आवश्यकता है तो उस के लिए कानपुर से उपयुक्त स्थान मैं नहीं समझता कि हमारे सूबे में कोई दूसरा भी है। इस दृष्टि से कानपुर के लिए सिफारिश करने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। हां भले ही, जैसा कि माननीय अवस्थी जी ने कहा, उसका नाम कानपुर के नाम पर न रख कर, स्थानीय नाम न रख कर उत्तर प्रदेशीय टेक्निकल युनिवर्सिटी रख दिया जाय।

अभी हमारे किसी भाई ने कहा कि कानपुर शहर में यूनिवर्सिटी क्यों खोली जाय, यूनिवर्सिटी गांव में भी स्थापित की जा सकती है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी खोलने के साथ १० हजार आदमियों के लिये स्थायी रूप से निवास का सवाल भी पैदा होता है। किसी भी गांव में अगर यूनिवर्सिटी खोल दी जाय तो वहां १० हजार आदमियों के रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लाखों रुपये का खर्चा और अधिक करना पड़ेगा। साथ-साथ जो इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज के लिये शिक्षा की सुविधायें कानपुर में अपने आप बिना किसी विशेष प्रयास के, उपलब्ध हो सकती हैं, उन सुविधाओं से उन विद्यार्थियों को गांव में यूनिवर्सिटी होने से वंचित रहना पड़ेगा। इसलिये मैं कुरील जी को बधाई देता हूं कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिये जहां तक स्थान का सवाल है उन्होंने कानपुर चुना है, यह बहुत ही उचित मालूम होता है।

कुछ भाइयों ने दूसरे शहरों के लिये भी ऐसी यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही। तो जो स्थान प्रायरिटी पा जाता है उसके यह अर्थ कदापि नहीं है कि दूसरों का हक मारा गया। उनके सम्बन्ध में भी शिक्षा विभाग निश्चय करेगा।

अब इस निश्चय के साथ यह भी निश्चय किया जाय कि जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनेगी गोरखपुर यूनिवर्सिटी की तरह से उसकी दुर्दशा नहीं होनी चाहिये। इस यूनिवर्सिटी के लिये एक ऐसे ऊंचे दर्जे का वाइस-चांसलर होना चाहिए जिसकी ऊंची पर्सनेलिटी हो और टेक्निकल बातों में काफी एक्सपर्ट हो और जिस तरह का आउटपुट हम यूनिवर्सिटी से चाहते हैं वह आउटपुट हम निकाल सकें। उनके लिये उपयुक्त पदाधिकारी नियुक्त किये जायं, थोड़े से रुपये लगा कर उसे सड़ने के लिये न छोड़ दिया जाय।

इससे अधिक न कह कर मैं केवल इतना ही कहूंगा कि यह सदन स्वीकार करे इस प्रस्ताव को और कुरील जी से मेरी प्रार्थना है कि वे इसे वापस न ले लें। इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रस्ताव का माननीय अवस्थी जी के संशोधन सहित समर्थन करता हूं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने वक्त समाप्त होते-होते मुझे इस संकल्प पर बोलने के लिये याद किया। जिन मित्रों ने इस संकल्प का समर्थन किया है मैं उनका आभारी हूं। मैं भी मुख्य संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और यह कहना चाहता हूं कि कानपुर विश्वविद्यालय के नाम के साथ कानपुर जुड़ा रहने से लोग भड़कें नहीं। कानपुर में आज भी कालेजेज हैं, विद्यालय हैं और वे कालेज सिर्फ कानपुर वालों के लिये नहीं हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या कानपुर के बाहर के विद्यार्थियों और अध्यापकों की हैं। सौभाग्य से यदि कानपुर की यूनिवर्सिटी बनी और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आशा करता हूं कि अवश्य बनेगी, तो उसमें इस प्रदेश के ही नहीं, देश के नागरिकों के बालक आ कर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे और उस संकल्प का मंशा पूरा हो सकेगा। कानपुर में एक यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता।

श्री अधिष्ठाता---अब माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखेंगे।

(इसके बाद सदन सायंकाल ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१७ सितम्बर, १९५७।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९ पर)

सूची

जिला बलिया में निर्माण विभाग द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पक्की की जाने वाली तथा नई बनाई जाने वाली सड़कें निम्न हैं :

१—पक्की की जाने वाली सड़कों का ब्यौरा—

(क)—चालू योजनाओं के अन्तर्गत—

	मील
१—मधुबन-बिलथरा	१
२—रसरा-नगरा-तुरतीपार	१/४
योग ..	१ १/४

(ख)—नई योजनाओं के अन्तर्गत—

१—सिकन्दरपुर-दहातल	१४
२—बांसडीह-खेती	१२
योग ..	२६

१—नव-निर्माण

नई पक्की सड़कें

१—दहातल-बांसडीह	४
२—पचखोरा-रतसंड	३
योग ..	७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर)

सूची

असमाप्त योजनाएं—

	मी०	फ०	फीट	लागत रुपयों में
१—भारी यातायात की सड़कों का आधुनीकरण				
टांडा अकबरपुर सड़क ..	१	०	१२२	५२,८००
२—नव-निर्माण—कच्ची सड़कों का पक्की करना				
जलालपुर-रामगढ़ सड़क ..	१३	६	४२४	३,९९,०००

नई योजनाएं—

१—पुनर्निर्माण—

(क) स्थानीय पक्की सड़कें—

१—गोसाईगंज रेलवे फीडर ..	१	१	०	
२—सोहावल रेलवे फीडर ..	०	१	२६३	
३—अकबरपुर रेलवे फीडर ..	०	१	२६३	
	१	३	५२६	
या	१	४	०	४५,०००

(ख) भारी यातायात की सड़कों का आधुनीकरण इलाहाबाद-फैजाबाद रोड .. २ ० ० ७४,०००

२—नव-निर्माण—नई पक्की सड़कें

अकबरपुर-दोस्तपुर .. १० ० ० ५,००,०००

३—शकर मिलों के क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

(क) पक्की सड़कें

जमूरतगंज-हरनाथगंज .. ९ ० ० ६,४३,५००

(ख) सीमेंट कांक्रीट ट्रैक

१—लंगड़ा की चौकी दर्शननगर ..	२	०	०	
२—रायबरेली सड़क के बिद्दिया स्थान से लखनऊ सड़क के रायपुर स्थान तक	४	०	०	
३—मसोधा-सुचितगंज ..	३	०	०	
कुल ..	९	०	०	४,४५,५००

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९ पर)

गोरखपुर जिले के विनायकपुर विधायक क्षेत्र में दी गई दूकानों की संख्या तथा उन दूकानों द्वारा मई, जून और जुलाई, १९५७ में सरकारी गोदामों से उठाये गए गल्ले की मात्रा की तालिका।

क्रम-क्षेत्र का नाम संख्या	दूकानों की संख्या	सरकारी गोदामों से उठाये गए गल्ले की मात्रा			योग	प्रति दूकान
		मई	जून	जुलाई		
		(आंकड़े मनों में)				
१—लक्ष्मीपुर ..	१	१४०	४२०	५७०	१,१३०	
२—नौतनवां ..	१	..	२५०	२८०	५३०	
३—रघुनाथपुर ..	१	..	१५०	२८०	४३०	
४—दशरथपुर ..	२	४२०	६०५	८९०	१,९१५	
५—देवघटी	१	..	..	२८०	२८०	
योग ..	६					

नोट: १—नौतनवा और रघुनाथपुर क्षेत्रों के दूकानदारों ने मई मास में तथा देवघटी क्षत्र के दूकानदार ने मई तथा जून मास में कोई गल्ला नहीं लिया क्योंकि उन महीनों में इन क्षेत्रों में बिक्री लगभग शून्य थी।

२—तालिका में दी हुई ६ दूकानों के अतिरिक्त, कल्हुई, मेड़हरा, रतनपुरवा, सिंहपुर थरौनी, महुअवा अड्डा तथा खैराटी क्षेत्रों में भी अगस्त, १९५७ से सस्ते गल्ले की एक-एक दूकान खोली गई है और उनमें कल्हुई तथा मेडेहरा की दूकानों में से प्रत्येक ने २८० मन तथा रतनपुरवा की दूकान ने २५० मन गल्ला उठा लिया है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ २२ पर)

सूची संख्या १

सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर काम करने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित मासिक वेतन मिलता है :

	रु०
१—मेट	३५
२—बेलदार	३०
३—मजदूर	२५

इन्हें प्रति रविवार को छुट्टी रहती है तथा प्रतिवर्ष मुख्य त्यौहारों पर १० दिन की छुट्टी दी जाती है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२ पर)

सूची संख्या २

निकाले गये कर्मचारियों की संख्या :—

	स्थायी गैंग	अस्थायी गैंग
१९५६	२३	३,२४४
१९५७	४	१,१००

स्थायी गैंग से १९५६ में २१ तथा १९५७ में दो कर्मचारी काम की कमी के कारण तथा शेष कर्मचारी काम पर न आने के कारण निकाले गये।

अस्थायी गैंग के कर्मचारियों के निकाले जाने का कारण या तो काम का कम होना है या स्वयं उनका काम छोड़कर चला जाना है।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर।)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बांदा जिले में बनने वाली योजनाओं का विवरण

	मी०	फ०	फीट
(क) चालू योजनाओं के अन्तर्गत :—			
(१) कर्वी राजापुर ओ० डी० आर० का पक्का करना ..	१९	३	०
(ख) नई योजनाओं के अन्तर्गत			
(अ) स्थानीय पक्की सड़कों का पुनर्निर्माण			
(१) बांदा-हमीरपुर	५	३	०
(२) बांदा-करतल पी० एच०	७	१	३३०
(३) मलौंध रेलवे फीडर	१	५	२२०
(४) खुरशंद रेलवे फीडर	०	३	१३७
(५) अतर्रा रेलवे फीडर	०	२	५७
(६) बदौसा रेलवे फीडर	०	१	३२०
(७) भरतकूप रेलवे फीडर	०	०	३८०
(ब) भारी यातायात वाले मीलों का आधुनीकरण व सुधार ..	१८	०	०
(स) नई पक्की सड़कों का निर्माण			
(१) चित्रकूट से कामतानाथ पहाड़ियों तक ..	३	०	०
(२) बांदा-हमीरपुर	४	०	०
(द) ओ० डी० आर० तथा बी० आर० का पक्काकरण			
(१) अतर्रा बुजुर्ग-बबेरू	१९	६	०
(२) बरगढ़ से बरगढ़ रेलवे स्टेशन तक (इलाहाबाद-बांदा सड़क से मिलाने के लिये)	३	०	०
(३) पपरेंदा-टिड्डवारी	७	७	०

संसद पुस्तकालय सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३३ पर)

उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर विधेयक, १९५७ पर प्रवर समिति की रिपोर्ट

हमने उत्तर प्रदेश वृहत्-जोतकर विधेयक, १९५७ के प्रत्येक खंड के निर्देशों पर विचार किया है और हम निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ उसका अनुमोदन करते हैं :—

(१) धारा २—हमने खंड (२०) में "सर्वोदय मंडल" की परिभाषा को निकाल दिया है। खंड (२१) में से शब्द, "इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय", निकाल दिये गये हैं।

(२) धारा ३—हमने शब्द, "कम (reduce) कर सकती है, उसमें छूट दे सकती है (remit) अथवा उसे माफ (exempt) कर सकती है", के स्थान पर शब्द "माफ (exempt) कर सकती है, अथवा उसमें छूट दे सकती है (remit) रख दिये हैं। हमने उन क्षेत्रपतियों की सहायता के लिये जिनके पास बड़े-बड़े अहातों सहित इमारतें हैं धारा ३ में निम्नलिखित उप-धारा (३) बढ़ा दी है :—

"(३) उप-धारा (१) के प्रतिबन्धक के अधीन भूमि का क्षेत्रफल आकलित करने के लिये ऐसी भूमि की, जिस पर इमारत हो उससे संलग्न भूमि सहित, किन्तु २ १/२ एकड़ से अनधिक, गणना नहीं की जायगी।"

(३) धारा ४ तथा ५—हमने सहकारी समितियों को सहायता देने और कर-वंचन (evasion of tax) को रोकने के लिये धारा ५ निकाल दी है और धारा ४ को निम्नलिखित रूप में रख दिया है :—

"(४) (१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, 'जोत' (land holding) का तात्पर्य ऐसी समस्त भूमि के समुच्चय से है जो प्रत्येक वर्ष में जुलाई के प्रथम दिनांक पर किसी क्षेत्रपति द्वारा उपभुक्त (held) या अध्यासित (occupied) हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि स्वयमेव क्षेत्रपति अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा उपभुक्त या अध्यासित भूमि, यदि भूमि का प्रबन्ध अथवा उस पर खेती पृथक रूप से न होती हो, उस क्षेत्र पति की जोत का भाग समझी जायगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त, किसी भी परिवार के अन्तर्गत निम्नलिखित है :—

(क) माता,

(ख) पत्नी,

(ग) अविवाहिता पुत्री अथवा पौत्री (grand daughter)

(घ) पुत्र या पुत्र का पुत्र या पुत्र का पौत्र,

(ङ) पुत्र की पत्नी अथवा पौत्र की पत्नी,

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन यदि भूमि दो या अधिक व्यक्तियों अथवा किसी सहकारी समिति द्वारा उपभुक्त हो तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का अथवा सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य का भूमि में हिस्सा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त, पृथक रूप से उपभुक्त समझा जायगा और यथास्थिति एसे व्यक्ति की अथवा सदस्य की जोत का भाग होगा।

(३) किसी निगमित एसोसियेशन (incorporated association) द्वारा, जिसके अन्तर्गत सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन रजिस्टर्ड सोसाइटी अथवा एसोसियेशन भी हैं, या कम्पनी अथवा फर्म द्वारा उपभुक्त भूमि एक जोत समझी जायगी।"

(४) धारा ६—हमने स्वीकृत मौरूसी दरों को बढ़ाने के सरकार के अधिकार को केवल उन्हीं दशाओं तक सीमित रखने के लिये जिनमें उक्त स्वीकृति १ जुलाई, १९२७ के पूर्व दी गई थी, धारा ६ का संशोधन कर दिया है।

(५) धारा—हमने धारा ८ का संशोधन निम्नलिखित रूप में किया है :—

(क) उप-धारा (२) में इस बात की व्यवस्था की गई है कि क्षेत्र पतियों को दिये जाने वाले नोटिस में यह अपेक्षित किया जाय कि वे ऐसी अवधि के भीतर जो ३० दिन से कम न हो, उक्त विवरण प्रस्तुत करें।

(ख) उप-धारा (४) में नोटिस में बाद में कोई दोष पाये जाने पर, कर-निर्धारिक अधिकारी को अधिकार होगा कि वह तीन वर्षों की अवधि के भीतर ही नये नोटिस की तामील करे।

(ग) उपधारा (५) निकाल दी गई है क्योंकि वह अनावश्यक है।

(६) धारा ११—हमने प्रत्येक कर-दाता को कर-निर्धारण आज्ञा की प्रतिलिपि देने की व्यवस्था करने के लिये इस धारा का संशोधन किया है।

(७) धारा १८—हमने इस धारा का संशोधन यह व्यवस्था करने के लिये किया है कि क्षेत्र पति द्वारा, भूमि के उसके हिस्से के सम्बन्ध में जो किसी सहकारी समिति के कब्जे में हो, देय जोत कर सहकारी समिति द्वारा देय होगा तथा उससे वसूल किया जायगा, मानो वह कर-दाता (assessee) थी।

(८) धारा २०—हमने इस धारा का संशोधन चार समान किस्तों में कर की अदायगी की व्यवस्था करने के लिये किया है।

(९) धारा २२—हमने इस धारा का संशोधन इस व्यवस्था के लिये किया है कि कि शास्ति (penalty) बकाया की धनराशि के १/८ से अधिक न हो।

(१०) हम समझते हैं कि कुछ दशाओं में कर की दरों में कमी की जानी चाहिये और तदनुसार ही हमने अनुसूची १ की दरों को निम्नलिखित रूप में संशोधित कर दिया है:—

अनुसूची

जोत-कर की दर

१—वार्षिक मूल्यांकन के पहले १,८०० रु० पर ..	कुछ नहीं
२—उपर्युक्त वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर के ३,२०० रु० पर ..	प्रति रु० ५ नये पैसे
३—उपर्युक्त वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर के ५,००० रु० पर ..	प्रति रु० १० नये पैसे
४—उपर्युक्त वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर के १०,००० रु० पर ..	प्रति रु० २० नये पैसे
५—उपर्युक्त वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर के १०,००० रु० पर ..	प्रति रु० ३० नये पैसे
६—उपर्युक्त वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर के १०,००० रु० पर ..	प्रति रु० ४० नये पैसे
७—वार्षिक मूल्यांकन के अवशेष (balance) पर ..	प्रति रु० ५० नये पैसे

हमने प्रस्तावित विधेयक में कुछ परिणामिक तथा शाब्दिक परिवतन भी किये हैं जो इस रिपोर्ट से संलग्न पुनरीक्षित विधेयक में दृष्टिगोचर होंगे ।

हमारा यह मत है कि इस विधेयक में ऐसे परिवर्तन किये गये हैं जिनके कारण इस विधेयक का फिर से प्रकाशित होना आवश्यक है ।

चरणसिंह
लक्ष्मणदत्त भट्ट
गोपीकृष्ण आजाद
दीनदयालु शास्त्री
श्यामलाल यादव
सुक्खनलाल
कमल गोईंदी
यस० यल० घुसिया
सुल्तान आलम खां
जयराम वर्मा
आर० पी० सिंह
भीखा लाल
फतेहसिंह राणा
*भजनलाल
*प्रतापभान प्रकाश सिंह
*जगबीर सिंह

*विमति टिप्पणी के अधीन ।

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १५४ एल० ए० १९५७—७९६